बिहार सरकार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

प्रतिवेदन

2014

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
6, साऊथ बेली रोड, पटना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

प्रतिवेदन 2014

Printd at : PAKIZA Offset, Patna # 9334116542

बिहार सरकार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

का

प्रतिवेदन

2014

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
6, साऊथ बेली रोड
पटना-800001

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

प्रस्तुति एवं समर्पण

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधान के तहत आयोग की वार्षिक रिर्पोट **2014** तक राज्य के अल्पसंख्यकों को समर्पित, बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(नौशाद अहमद)
अध्यक्ष

पटना / दिनांक : 31.03.2014

विषय सूची

क्र.	अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	अध्यक्ष का उद्‌गार	प्राक्कथन	7
2.	अध्याय - 1	पृष्ठभूमि	13
3.	अध्याय - 2	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का संक्षिप्त इतिहास।	19
4.	अध्याय - 3	समय समय पर अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी निर्णयों के संबंध में निर्गत परिपत्रों का दृढ़ता से पालन हेतु।	25
5.	अध्याय - 4	अल्पसंख्यक आयोग की सक्रियता और वर्त्तमान सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाएँ (और अधिक लाभकारी बनाने हेतु अनुशंसाएँ)। (सच्चर कमिटी एवं आयोग द्वारा आद्री के माध्यम से मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई)।	31
6.	अध्याय - 5	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को और लाभकारी बनाने हेतु अनुशंसा।	41
7.	अध्याय - 6	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये गठित संस्थानों को और क्रियाशील बनाने हेतु अनुशंसाएँ।	45
8.	अध्याय - 7	विविध आवेदन पत्र	49
9.	अध्याय - 8	भ्रमण बैठकें एंव समीक्षा	117
10.	अध्याय - 9	सेमिनार/कॉनफ्रेन्स	123
11.	अध्याय - 10	आयोग की कार्य योजना	127
12.	अध्याय - 11	परिशिष्टियाँ	131

प्राक्कथन

श्री नीतीश कुमार

नौशाद अहमद

प्राक्कथन

बिहार राज्य के धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने, उनकी सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षणिक समस्याओं के समाधान हेतु पहले पहल जननायक कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में कार्यपालक आदेश से ''बिहार राज्य धार्मिक एंव भाषायी अल्पसंख्यक आयोग'' का गठन सन् 1971 में हुआ था। सन् 1991 में आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा आयोग के कार्यों, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। वर्ष 1994 में इस अधिनियम के तहत ''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग'' का गठन हुआ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग सफलता के पायदानों पर चढ़ते हुए अपने 44 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वर्ष 2005 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार के ''न्याय के साथ विकास'' के दृढ़ संकल्प के आधार पर बिहार में एक इंकलाब बरपा कर दिया जिससे अल्पसख्यंक समुदाय भी अछूता नहीं रहा। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2006 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन हुआ तथा सरकार ने मेरे जैसे अदना कार्यकर्त्ता पर विश्वास करके मुझे आयोग का अध्यक्ष बनाया। पुनः 2009 तथा 2012 में सरकार ने मेरे प्रति निरंतर विश्वास बनाए रखा, इसके लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ।

अपने कार्यकाल में मुझे अब तक सरकार और खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अटूट विश्वास एवं भरपूर सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान तथा उनके लिए नित नई योजनाओं का निर्माण संभव हो पाया।

प्रसंगाधीन अवधि में आयोग ने अल्पसख्यंकों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके कल्याणार्थ जो भी अनुशंसाएँ की, सरकार ने तुरंत उन पर हामी भरी और तत्परता से उसका कार्यान्वयन किया।

आयोग द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की आर्थिक शैक्षणिक एंव सामाजिक स्तर की वास्तविक स्थिति के अध्ययन हेतु 'आद्री' से सर्वेक्षण कराया गया था जिसका प्रतिवेदन 2004 में प्राप्त हुआ। साथ ही न्यायाधीश राजिन्दर सच्चर समिति के प्रतिवदेन से भी मुसलमानों की दयनीय स्थिति का हाल सामने आया तो माननीय मुख्यमंत्री ने 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर उन समस्याओं के निराकरण एवं उनके विकास तथा कल्याणार्थ फौरन कदम उठाया । राज्य के अल्पसंख्यको को सामाजिक, शैक्षणिक एंव आर्थिक उत्थान हेतु नई नई योजनाएँ आयोग की सक्रियता से बनाई गई जिसका लाभ बहुत जल्द सामने आने लगा। राज्य सरकार ने बिहार में सच्चर समिति की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए अनेक ठोस योजनाएँ बनाई हैं जिसका विस्तृत उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।

आयोग के कर्तव्यों के सफल निर्वाहन में आयोग के उपाध्यक्षों एवं सदस्यगण के सहयोग के लिए मै अभारी हूँ। उनके पूर्ण सहयोग के बिना आयोग की जिम्मेवारी का निर्वहन सभंव नहीं था। प्रधान सचिव अल्प संख्यक कल्याण विभाग श्री आमिर सुबहानी द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए कृतज्ञ हूँ।

प्रतिवेदन की तैयारी में सहयोग के लिए आयोग के उपाध्यक्षों एवं सदस्यगण का आभारी हूँ। खास तौर पर सदस्य सचिव डा० मंसूर अहमद एजाजी एवं मीडिया प्रभारी मो० फारूकुज्जमाँ का योगदान सराहनीय है। आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी मुमताज अहमद भी धन्यवाद के पात्र हैं।

वर्ष 2014 तक का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। अंजाने में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

(नौशाद अहमद)

अध्यक्ष

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

पटना

छपते-छपते ....

श्री जीतन राम माँझी

का बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रतिवेदन 2014 छपते-छपते

श्री जीतन राम माँझी
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

और

जनाब नौशाद आलम
माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

का हम तहे दिल से इसतक़बाल करते हैं

नौशाद अहमद
अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

अध्याय - एक

पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि

आजा़द भारत के संविधान निर्माताओं ने धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि ''हम भारत के लोग'' भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हो कर अंगीकृत, नियमित और आत्म समर्पित करते हैं।

मूल अधिकार

1. अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध किया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद-16 के तहत लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई नागरिक न तो अयोग्य होगा और न धर्म भेद किया जायेगा।
3. अनुच्छेद-25 के तहत अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म निबार्ध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं।
4. अनुच्छेद-26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
5. अनुच्छेद-27 के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नही किया जायेगा, जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है।
6. अनुच्छेद-28 के तहत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
7. अनुच्छेद-29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ-साथ राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा उनमें से किसी एक आधार पर वंचित नही रखा जा सकता है।
8. अनुच्छेद-30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रूची के शिक्षा-संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासनिक अधिकार दिया है। शिक्षण-संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी विधालय के विरूद्ध इस पर विभेद नही करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में हैं।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं नागरिकों के मूल कर्त्तव्य

1. अनुच्छेद-46 के तहत दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने और उनका सामाजिक अन्याय से सुरक्षा करने का निदेश है।

2. नागरिकों के मूल कर्तव्य के अनुच्छेद-51 (क) के 5वें खंड में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश दर वर्ग पर आधारित सभी भेद्भाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

अन्य प्रावधान

1. अनुच्छेद-347 के तहत तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाय तो वह निर्देश दे सकेगें कि ऐसी भाषा को राज्य में, उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करें, राजकीय अभिज्ञा दी जाए।

2. अनुच्छेद-350 के तहत किसी व्यथा के निवारण के लिए संध या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार को यथोचित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक़ होगा।

3. अनुच्छेद-350 के तहत (क) के तहत प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के प्राथमिक प्रकरण में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधा उपबंधित की जाए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकेगा जिसकी वे ऐसी सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझतें है।

अनुच्छेद-350 (ख) के तहत भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अल्पसंयकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नांकित स्तर पर सहमति प्रदान की गई है :-

1. राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1949 :- इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया था कि प्राथमिक विधालयों में 40 से अधिक ऐसे विधार्थी हो जिनकी मातृभाषा राज्य की भाषा से अलग हो। उक्त विधालय में उन छात्रों की मातृभाषा की पढ़ाई के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार उच्च-विधालयों में भी मातृभाषा की पढ़ाई के लिए प्रावधान किया गया।

2. भारत सरकार का 1956 का संकल्प:- मुख्यमंत्रियों की राय से भारत सरकार ने 1956 में एक संकल्प तैयार किया जिसे संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा गया तथा इसे सभी राज्यों को भी भेजा गया। उक्त संकल्प में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 21 सूत्री कार्यक्रम सुझाये गये थे।

3. भाषा के लिए 1958 की विज्ञप्ति:- अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के अभ्यावेदन पर 1958 में भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उर्दू भाषा की स्थिति को स्पष्ट किया गया तथा उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में उक्त भाषा-भाषियों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा 8 सूत्री घोषणा की गयी।

4. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् का निर्णय 1959:- उक्त बैठक में भी अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, जिनका समावेश 1961 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में किया गया।

5. मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 1961:- इस सम्मेलन में वर्ष 1956 के केन्द्र सरकार के संकल्प का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रावधान किये गये।

6. क्षेत्रीय परिषद् के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक 1961:- इस बैठक में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अभिकरण स्थापित करने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिये गये।

7. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से निर्णय लिये गये।

उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने 26 अप्रैल 1971 को एक धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। जिसका नाम कालांतर में बदल कर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग रखा गया।

अध्याय - दो

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का संक्षिप्त इतिहास

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का संक्षिप्त इतिहास

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या-5742/सी दिनांक 26.4.71 द्वारा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के गठन का आदेश निर्गत किया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा सदस्य सचिव लोक शिकायत आयुक्त श्री एस0 आलम को बनाया गया। अधिसूचना के संकल्प में यह कहा गया कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को चाहे वे किसी धर्म या सम्प्रदाय के हो समान मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद-15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है के राज्य के किसी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नही बरतेगा। उसी तरह अनुच्छेद-16 में यह उपबंध है कि कोई नागरिक धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर राज्य के अर्न्तगत किसी भी नियुक्ति के लिए आयोग्य नही समझे जायेंगे और न इस संबंध में उनके प्रति इस आधार पर कोई भेदभाव बरता जायेगा। अनुच्छेद-25 के अनुसार प्रत्येक धर्म के मानने वाले को धार्मिक उद्देश्य के लिए अपनी संस्था स्थापित करने तथा उसकी व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद-30 के अर्न्तगत सभी अल्पसंख्यक चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा या जाति का हो, अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इस अनुच्छेद में यह भी उपबंध है कि ऐसी शैक्षणिक संस्था को सहायता देने में राज्य भी किसी प्रकार का भेदभाव नही बरतेगा।

2. संविधान के उपबंध के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता परिषद में भी समय-समय पर अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव दिये है। इन सुझावों पर राज्य सरकार ने यथासंभव कार्रवाई भी की है।

3. संविधान को लागू हुए 21 वर्ष हो गये फिर भी कुछ सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य और अविश्वास की भावना अभी नही मिटी है। कुछ लोगों की ऐसी शिकायत और धारणा है कि संविधान के अन्तर्गत दिये गये मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का उन्हे पूरा अवसर नही दिया जा रहा है।

4. भाषाजात अल्पसंख्यकों की धारणा और शिकायत है कि उनकी समस्याओं का समुचित सामाधान नही हो पाया है। इस संबंध में भारत सरकार के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त तथा 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को विभिन्न अनुशंसाओं के अनुसार बहुत सारी कार्रवाई की गई है। फिर भी, भाषाजात अल्पसंख्यकों के बीच ऐसी भावना है कि उनके न्यायोचित तथा संवैधानिक अधिकारों की पूरी रक्षा नही की जा रही है।

5. राज्य सरकार की यह नीति है कि सभी वर्गों और विशेषकर अल्पसंख्यकों के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की पूर्ण रक्षा हो जिससें वे देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनज़र सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष एवं सचिव को छोड़कर 23 सदस्य थे।

सरकार ने आयोग का विचारणीय विषय (टर्म्स ऑफ रिफ्रेन्स) निम्नांकित निर्धारित किया :-

1. संविधान में विभिन्न सम्प्रदायों को जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं उनका पालन किस हद तक हो रहा है और यदि कमी है तो पूरा करने के लिए कौन से उपाय उपेक्षित हैं।
2. राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा जो विभिन्न अनुशंसा समय-समय पर की गई है उसका अनुपालन किस हद तक हो रहा है और इसकी कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है।
3. भाषाजात अल्पसंख्यकों को संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं उसका पालन किस हद तक हो रहा है और इसमें कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए क्या आवश्यक है।
4. भाषाजात अल्पसंख्यको के संबंध में भारत सरकार की नीति 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव तथा समय-समय पर भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की अनुशंसा पर अपेक्षित कार्रवाई हुई है या नही और यदि नही तो क्यों और इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए कौन सी कार्रवाई आवश्यक है।

दिनांक 19.08.1972 को आयोग का पुर्नगठन किया गया तथा मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष एवं श्री अब्दुल कयूम अंसारी उसके उपाध्यक्ष बनाए गये। सदस्य सचिव का पद श्री नीतीश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को दिया गया। पुनः 27.11.1975 को इसका पुर्नगठन करते हुए मुख्यमंत्री को अध्यक्ष एवं श्री नीतीश्वर प्रसाद को सचिव बनाया गया। दिनांक 27.11.1976 को फिर आयोग का पुनर्गठन किया गया। श्री जव्वार हुसैन, सांसद को अध्यक्ष तथा श्री नीतीश्वर प्रसाद सदस्य सचिव बनाये गये। पुनः 01.11.1977 को इस आयोग का पूनर्गठन हुआ। मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं श्री तकी रहीम उपाध्यक्ष मनोनित हुए। गृह विशेष विभाग के उपसचिव श्री सरयु प्रसाद सिंह, सदस्य सचिव बने। 01.06.1981 को आयोग का पुर्नगठन करते हुए मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष हुए तथा उपाध्यक्षों की संख्या एक से बढ़ा कर दो हो गयी। उपाध्यक्ष के रूप में श्री हारून रशीद एवं श्री जोगिन्दर सिंह 'जोगी' को मनोनित किया गया। संयुक्त सचिव/उपसचिव, गृह विशेष, सदस्य सचिव मनोनित किये गये। 17.07.1989 को एक उपाध्यक्ष का दर्जा बढ़ा कर कार्यकारी अध्यक्ष का कर दिया गया तथा श्री हारून रशीद, कार्यकारी अध्यक्ष मनोनित हुए। उपाध्यक्ष श्री जोगीन्दर सिंह जोगी को ही बनाया गया। श्री हारूण रशीद 18.10.1990 तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे तथा 19.10.1990 से श्री जाबिर हुसैन को कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह तथा श्री एस० एन० दास बनाए गये। 1991 ई0 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बना जिसमें यह प्रवाधान किया गया कि आयोग के लिए एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं आठ सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएगे। अधिनियम के आलोक श्री जाबिर हुसैन 24.02.1994 को अध्यक्ष मनोनित किया गया जिन्होने 10.04.1995 को त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात 12.10.1995 को प्रो० सुहैल अहमद को बिहार राज्य अल्पसंख्यक अयोग का अध्यक्ष मनोनित किया गया। जो आयोग के अध्यक्ष के रूप में 22.07.2006 तक पदासीन रहे। नवम्बर

2005 आयोग के लिए सुनहरा युग आरम्भ हुआ जब दलितों पीड़ितों पिछड़ी एवं अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में श्री नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदार्पण हुआ। उन्होने बिहार में अल्पसंख्यकों विशेष कर मुसलमानों की गरीबी, आर्थिक, शैक्षणिक, समाजिक पिछड़ापन से चिंतित होकर उसका गहराई से अध्ययन किया और उनकी समस्याओं के निराकरण का बीड़ा उठाया। इस संदर्भ में पहले उन्होने अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना सं० 1284 दि० 05.08.2006 द्वारा आयोग का पुनर्गठन करते हुए श्री नौशाद अहमद, अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष श्री सरदार चरण सिंह, श्री फादर पीटर अरोक्यस्वामी एंव आठ अन्य सदस्यों को मनोनित किया गया।

पुनः अधिसूचना सं0 457 दि0 22.01.2009 द्वारा आयोग का पुनः गठन हुआ। जिसके द्वारा श्री नौशाद अहमद अध्यक्ष, डॉ0 कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा एवं श्री सरदार चरण सिहं उपाध्यक्ष एंव आठ सदस्य मनोनित किये गये।

वर्ष 2012 में अधिसूचना संख्या 1199, दिनांक 07.08.2012 द्वारा आयोग का अगले कार्यकाल के लिए गठन किया गया। श्री नौशाद अहमद फिर से अध्यक्ष बनाये गये तथा पद्मश्री सिस्टर सुधा वर्गीज एंव श्री सरदार चरण सिहं उपाध्यक्ष मनोनित हुए। सदस्य के रूप में श्री प्रहलाद कुमार सरकार, श्री टी०बी०एस०जैन, श्रीमती रजिया कामिल अंसारी (जिन्होने वर्ष 2014 में त्याग पत्र दे दिया), श्री जहीर मलमली, श्री लियाकत अली मंसूरी, डॉ0 इस्लाम राही, मो0 शमशाद आलम (अधिवक्ता) एवं मो0 अब्दुल्ला मनोनित किए गये।

आयोग का सुदृढ़ीकरण

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित हुए 43 वर्ष हो चुके है। पूर्व में कार्यालय का स्वरूप नहीं हो पाया था, जिसके कारण कार्यालय के अभिलेखों। इसके रख-रखाव एवं इसके कार्यकलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। कार्यालय का कार्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निजी कर्मियों तथा प्रतिनियुक्त स्टाफों द्वारा किया जाता था।

आयोग के संचालन का दायित्व संभालते ही 2006 में भी उर्पयुक्त समस्याओं से दो चार होना पड़ा। आयोग के कार्यालय व्यवस्थित एंव सूचारू रूप से चलाने के लिए एवं स्थायी सदस्य सचिव की आवश्यकता को महसूस किया। अध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 954 दिनांक 28.01.2008 द्वारा मो0 सइदउद्दीन शाह को पहली बार उप सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 16 अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा श्री शाह को सदस्य सचिव के रूप में अधिसूचित किया गया। अब आयोग के लिए निम्नांकित पद स्थायी रूप से स्वीकृत है:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	प्रशाखा पदाधिकारी	1
2.	सहायक	2
3.	अध्यक्ष के वरीय निजी सहायक	1
4.	अध्यक्ष एवं उपसचिव हेतु निजी सहायक	2
5.	टंकक	2
6.	दिनचर्या लिपिक	1
7.	आदेशपाल	6
8.	चालक	1

इसके अतिरिक्त एक अवर सचिव सह सम्पर्क पदाधिकारी का पद भी स्वीकृत है।

बिहार राज्य अलपसंख्यक आयोग के कर्तव्यों एवं दायित्वों को सूचारू रूप एवं कारगर रूप से निर्वाहन के लिए उसे वेल एक्यूप्ड करने का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप कार्यालय में कम्प्यूटर, टंकण यंत्र, फोटों स्टेट मशीन एवं फैक्स आदि उपलब्ध कराकर आयोग को बहुत हद तक सुदृढ़ीकरण किया गया।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना से अबतक अधयक्षों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्र.	अवधि	नाम
1.	26.04.71 से 23.02.94	माननीय मुख्यमंत्री बिहार पदेन अध्यक्ष
2.	24.02.94 से 10.04.95	प्रो० जाबिर हुसैन
3.	12.10.95 से 22.07.2006	प्रो० सोहैल अहमद
4.	**05.08.2006 से (वर्तमान)**	**श्री नौशाद अहमद**

अध्याय - तीन

समय समय पर अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी निर्णयों के संबंध में निर्गत परिपत्रों का दृढ़ता से पालन हेतु।

समय समय पर अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी निर्णयों के संबंध में निर्गत परिपत्रों का दृढ़ता से पालन हेतु।

राज्य सरकार बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में समय-समय पर निर्णय लेते हुए अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ परिपत्र निर्गत किए है। परन्तु कालान्तर में वे संचिकाओं में दबकर रह गई है। अत: आयोग की अनुशंसा है कि उन परिपत्रों को पुनर्जीवित कर उन पर दृढ़ता से पालन करने का अदेश निर्गत किया जाए:-

1. **नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसख्यक के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में** :-सामान्य प्रशासन विभाग (तब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) ने अपने पत्रांक 6725, दिनांक 22.05.1989 द्वारा यह निर्णय लिया था कि चयन समिति/ प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहना सरकारी सेवा/लोक उपक्रम के सेवा में उनका प्रयाप्त प्रतिनिधित्व में सहायक सिद्ध होगा।

   अत: सरकार ने भली भांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, इसाई एंव सिख को किसी एक पदाधिकारी को यथा संभव सदस्य के रूप में मनोनित किया जाए।

   यह निर्णय एतिहासिक एंव काफी लाभप्रद था। परन्तु अब बहुत से विभागों को इसकी जानकारी भी नही है । इसलिए इस परिपत्र को स्मारित कर दृढ़ता से लागू करने से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाया जा सकता है। **(परि. 1)**

2. **अल्पसंख्यक के भाषाई एंव शैक्षणिक समस्याओं की समीक्षा एंव त्रुटियों के निराकरण हेतु स्थाई समिति का गठन:-** गृह विषेश विभाग के पत्रांक 204, दिनांक 17.06.1978 द्वारा अल्पसंख्यकों के भाषाई एंव शैक्षणिक समस्याओं की लगातार समीक्षा करते रहने और त्रुटियों के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए जिला स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में करने का निदेश था, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा चार गैर सरकारी अल्पसंख्यक भाषाई को सदस्य बनाने का प्रावधान है। इस समिति का दायित्व अल्पसंख्यकों की भाषाई एवं शैक्षणिक समस्याओं का समाधान माह मे एक बार बैठक कर स्थाई समिति स्तर पर निराकरण का प्रयास करना है।

   इस समिति का गठन भाषाई अल्पसंयक में शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही उपयोगी है। अत: इस परिपत्र के आलोक में जिला स्तर पर समिति का गठन कर नियमित रूप से इसकी बैठक कर स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। **(परि. 2)**

3. **नियोजनालयों में अल्पसंख्यको के लिए विशेष प्रक्रिया के संबंध में:-** निदेशक श्रम संसाधन विकास विभाग ने अपने पत्रांक 164 दिनांक 18.01.1986, पत्रांक 1439, दिनांक 18.05.1985, पत्रांक 2178, दिनांक 19.07.1985 एंव पत्रांक 2177, दिनांक 21.07.1985 द्वारा जिला नियोजन पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिया गया था कि (i) अल्पसंख्यक समुदाय का निबंधन पहले की भांति किया जाएगा, परन्तु अलग से एक पंजी एक्स 63 संधारित होगी जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदको की निबंधन संख्या नाम आदि मूल रूप से निबंधन पंजी से देखकर अंकित किया जाएगा। साथ ही साथ अल्पसख्यक समुदाय के आवेदक जो जीवित पंजी पर है, उनकी निबंधन संख्या एक्स 63 पंजी से उतारकर दूसरे पंजी में रखा जाए। ताकि इससे पता चल सके कि उक्त समुदाय में कितने आवेदक जीवित पंजी पर उपलब्ध है। पंजी 64 (जीवित पंजी) में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक कॉलम जोड़ी जाय (ii) अल्पसंख्यकों के आवेदनों को नियोजनालयों में निबंधन एंव उनका नाम नियोजको को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। (iii) जिला नियोजन पदाधिकारी मोतिहारी, बेतिया, लहेरीयासराय, एंव पूर्णिया जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता है। वहॉ उनके निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन हो और उन्हें जीवित पंजी पर लाया जाए। जिस क्षेत्र में अभियान चलाना हो, उस क्षेत्र के मुखिया को एक पत्र लिखकर सूचना दे ताकि मुखिया अल्पसंख्यकों के बीच इसका प्रचार कर सके और फिर जिस तिथि को निबंधन अभियान के लिए जाना हो उस तिथि की जानकारी मुखिया को दे दें ताकि निर्धारित तिथि को आवेदक निबंधन के लिए उपलब्ध हो सकें।

(iv) जिला नियोजन पदाधिकारी मोतिहारी, बेतिया, लहेरीयासराय एवं पूर्णिया को यह भी निदेश दिया गया था कि अपने नियोजनालय में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए अलग शाखा खोलने की व्यवस्था करे जिस प्रकार प्रत्येक नियोजनालय में महिला शाखा कार्यरत है। उसी प्रकार अल्पसंख्यक शाखा भी कार्य करेगा, इस समुदाय के लिए अलग से निबंधन नवीकरण एव जीवित पंजी का पोषण होगा।

उपर्युक्त आदेश आज भी प्रसांगिक है। इन्हें कड़ाई से लागू करने पर अल्पसंख्यक बेरोजगारों को निश्चित लाभ पहुॅचेगा। पूराने चम्पारण दरंभगा एवं पूर्णिया जिला बदल कर नए जिले बनाये है। इसलिए बदली परिस्थिति पंजी को यथा संशोधित करने की आवश्यकता है। **(परि. 3,4,5,6)**

4. **साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने हेतु प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर स्थाई समिति का गठन:-** गृह विभाग के पत्रांक 4042 दिनांक 18.07.1970 द्वारा राष्ट्रीय एकता परिपद की उपसमिति की अनुशंसा के आलोक में प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर एक स्थाई समिति गठित करने का आदेश दिया था जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सतत् प्रयत्न करना है

तथा ऐसी बातों का पता लगाना है जिसके कारण साम्प्रदायिक सौहाद्र भंग होने का खतरा हो तथा उक्त तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयास एवं प्रशासन को मदद करना है। **(परि. 7)**

5. **20 -सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक को भरपूर एंव सुनिश्चित लाभ:-** कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक 451 दिनांक 19.03.88 द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 20-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभागों को यह आदेश दिया गया था कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों की भरपुर एंव सुनिश्चित लाभ पहुॅचे तथा अल्पसंख्यकों को उन कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली समितियों में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुचाया जाए। उक्त पत्र के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की सूची संलग्न की गई थी जिसमे अल्पसंख्यकों को लाभ पहुॅचाना अपेक्षित है सूची निम्न प्रकार है:-

सदस्यता	:-	उपर्युक्त प्रकार की सभी समितियॉ, (20 सूत्री कार्यक्रम सहित।)
आई.आर.डी.पी	:-	अल्पसंख्यकों को ऋण दिया जाए।
एन.आर.ई.पी.	:-	अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैया कराया जाए।
लघु उधोग इकाईयॉ	:-	अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन दिया जाए।
भू-वितरण	:-	अल्पसंख्यक समुदाय के भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए।
समस्याग्रस्त ग्राम	:-	अल्पसंख्यक ग्रामों में पीने का पानी मुहैया कराया जाए।
स्वास्थ्य सुविधा	:-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एच. एस.सी. अल्पसंख्यक ग्रामों में खोले जाएॅ।
प्राथमिक शिक्षा	:-	अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का दाखिला लिया जाए तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाय।
प्रौढ़ शिक्षा	:-	अल्पसंख्यक समुदाय में प्रौढ़ व्यक्तियों का दाखिला लिया जाय तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए।
गृह-सुविधा	:-	अल्पसंख्यकों को गृह एवं गृह स्थल उपलब्ध कराया जाय और घर बनाने हेतु सहायता प्रदान किया जाय।
झुग्गी-झोपड़ी बस्ती	:-	अल्पसंख्यक समुदाय की झुग्गी-झोपड़ीयों के पर्यावरण में सुधार लाया जाए।
जन-वितरण प्रणाली	:-	अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अनुज्ञप्तियॉ निर्गत की जाएॅ और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में दुकानें खोली जाएॅ।
विधुतीकरण	:-	अल्पसंख्यक ग्रामों का विधुतीकरण किया जाए जिसका चयन उक्त समुदाय के लोगों द्वारा किया गया हो। उन्नत चूल्हा और बायोगैस संयत्र स्थापित किया जाए।

हितैषी पदाधिकारी :- पदाधिकारियों को विशेष आदेश दिया जाए कि दैनिक कार्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाय और उन्हें सहुलियत मुहैया कराई जाए।

उक्त आदेश को पुर्नजीवित कर एवं विभाग ने अपने पत्रांक 562/28.08.97 द्वारा एक नवीन पत्र लिख कर उर्पयुक्त आदेश का पालन का निदेश दिया।

उक्त आदेश का पालन नई योजनाओं का समावेश कराने से अल्पसंख्यक को और अधिक लाभ पहुॅचाने में कारगर हो सकता है। **(परि. 8,9)**

6. **अल्पसंख्यकों के लाभार्थ योजनाओं का मासिक प्रतिवेदन एवं अनुश्रवणः-** मुख्य सचिव बिहार ने अपने पत्रांक 991 दिनांक 23.11.2000 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारियों तथा सभी उप विकास आयुक्तों को यह आदेश दिया था किः- (1) जिला के 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को पहुॅचाये जा रहे लाभों एंव कार्यक्रमों के संबंध जिला पदाधिकारी/आयुक्त एक माहवारी प्रतिवेदन प्रत्येक माह ठीक इसी प्रकार से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को देंगे जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के संबंध में दिया जाता है।

(11) प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जो व्यवस्था अपनाई गई है, वही व्यवस्था अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन/अनुश्रवन के संबंध में भी अपनाई जाएगी।

इस पत्र के कड़ाई से क्रियान्वयन से अल्पसंख्यकों को लाभ पहूॅचाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। **(परि. 10)**

अध्याय - चार

अल्पसंख्यक आयोग की सक्रियता और वर्त्तमान सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाएँ (और अधिक लाभकारी बनाने हेतु अनुशंसाएँ)

(सच्चर कमिटी एवं आद्री के प्रतिवेदन के आलोक में कारवाई)

अल्पसंख्यक आयोग की सक्रियता और वर्त्तमान सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाए (और अधिक लाभकारी बनाने हेतु अनुशंसाएँ)

श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व मे वर्त्तमान सरकार ने पद्भार ग्रहण करते ही अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान, उनका विकास एंव उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को आरम्भ करने की दृढ़ संकल्प के साथ कार्य आरम्भ किया । राज्य सरकार के आदेश पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आद्री (ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE) के माध्यम से मुसलमानों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया गया था जिसका प्रतिवेदन कार्रवाई की राह देख रहा था। फिर उसके बाद सच्चर कमिटी का प्रतिवेदन भी सामने आया जिससे अल्पसंख्यक की दयनीय स्थिति सच्चाई सामने आई। (परि०11 'क' एवं परि०11 'ख') उन्ही प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, सामाजिक एंव आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाई। तथा उनका कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी के साथ किया गया। जिसका नतिजा यह हुआ की अल्पसंख्यकों की हालत में काफी सुधार आया जो कि निम्न ऑकड़ों से स्पष्ट होगा। स्वयं न्यायाधीश सच्चर ने पटना में आयोजित एक सेमिनार में इस बात को स्वीकार किया है जो कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से भी स्पष्ट होगा।

सूबे में मुसलमानों की स्थिति बेहतर: जस्टिस सच्चर

हिन्दुस्तान
पटना • मंगलवार • 08 अप्रैल 2014

पटना | कार्यालय संवाददाता

सेमिनार
• अल्पसंख्यक उत्थान विषयक कार्यक्रम में बोले जस्टिस सच्चर
• सच्चर रिपोर्ट आने के बाद बदली है मुस्लिमों की स्थिति

होटल मौर्या में तौहिद एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से सोमवार को आयोजित सेमिनार में बिहार के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के विषय पर व्याख्यान देते जस्टिस राजिंदर सच्चर। •हिन्दुस्तान

पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। किसी राष्ट्र का मौलिक कर्तव्य सबको बराबरी का हक देना होता है। ये बातें सोमवार को राजधानी के मौर्या होटल में जस्टिस राजिंदर सच्चर ने कहीं। वे तौहिद एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से 'बिहार में अल्पसंख्यक मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान' विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने आए थे।

जस्टिस सच्चर ने कहा कि कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद बिहार में मुसलमानों के हालात में बदलाव हुए हैं। पिछले कुछ सालों में सुधार भी हुआ है। अगर कोई सरकार अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक नहीं दे सकती, तो वहां समावेशी विकास संभव नहीं। उन्होंने बाबरी विध्वंस को लोकतंत्र का काला दिन करार दिया और कहा कि सरकार का कोई कौम नहीं होता। कोई भी धर्म एक-दूसरे से खुद को श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं करता। उन्होंने दंगे के बाद क्षेत्र विशेष के अध्ययन के बाद आई रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पुलिसिया जिम्मेदारी संभालने में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाए जाने की अपील की। जस्टिस सच्चर ने कहा कि अल्पसंख्यक मुसलमान राष्ट्र के विकास में उतना ही भागीदारी रखते हैं, जितना बहुसंख्यक हिंदू व अन्य समुदाय।

कार्यक्रम में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मो. इश्तियाक ने कहा कि सच्चर कमेटी ने देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के वास्तविक सूरत-ए-हाल को यथावत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विवि के कुलपति प्रो. एजाज अली अरशद ने कहा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद हालात सुधरे हैं। वीर कुंवर सिंह विवि के कुलपति डॉ. अनवर हुसैन ने कहा कि मुसलमानों की तालीम में और सुधार की जरूरत है। इमारत-ए-शरिया के नाजिम अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि वैसी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है जो जम्हूरियत के लिए खतरा है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के चेयरमैन मुनीवर रहमान ने जस्टिस सच्चर की सिफारिशों को ऐतिहासिक बताया। मौके पर डॉ. एजाज अली, सलाउद्दीन मकबूल, डॉ. फजलुल इस्लाम आदि ने विचार रखे। इससे पहले जस्टिस सच्चर का स्वागत किया गया।

इन योजनाओं को और अधिक लाभकारी उद्देश्य से योजनावार आयोग की अनुशंसाएँ निम्न प्रकार है :-

(क) <u>अल्पसंख्यक की शैक्षणिक स्थिती में सुधार संबंधी योजनाएँ एवं कार्य:-</u>

वर्तमान सरकार और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का यह मानना है की अल्पसंख्यकों के लिए सबसें बड़ी समस्या गरीबी और शिक्षा है। यदि अल्पसंख्यकों में शिक्षा का दीप प्रज्जवल्लित किया जाये तो

गरीबी का खातमा अपने आप हो जाएगा। इसलिए आयोग की सक्रियता से वर्तमान सरकार ने सबसे पहले अल्पसंख्यको की शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक रूप से कई योजनाएँ प्रारम्भ की गई।

1. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** :- इस योजना के तहत बिहार स्कुल एगज़ामिनिशन बोंड से फर्स्ट डिविज़न से कामयाब होने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को एक मुश्त दस हजार रूपये (10,000) देने की योजना है। वर्ष 2007-2008 में इस योजना की शुरूआत हुई। वर्ष 2007 में मात्र 2627 विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत लाभ मिला। वर्ष 2013 की माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 29498 छात्र-छात्राओं को इस योजनान्तर्गत राशि का वितरण किया गया है।

   आयोग की अनुशंसा :- आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की सूची विभाग के बेवसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को मालूम हो सके की उनका नाम सूची में है या नही ? अगर किसी कारणवश उनका नाम छूट गया हो तो वे विभाग का घ्यान इस ओर अकृष्ट कर सुधार करा सकते है।

2. **राज्य कोचिंग योजना** :- (क) इस योजना के तहत अल्पसख्यंक छात्र एवं छात्राओं को नि:शुल्क तकनिकी शिक्षा के अलावा यु0 पी0 एस0 सी0 तथा अन्य प्रतियोगिता परिक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य कोचिंग योजना की व्यवस्था की गई है। देश के नामचीन प्रबंधक संसथानों में नामांकन के लिए CAT और MAT कि तैयारी हेतु मौलाना मज़हरूल हक अरबी व फारसी युनिर्वसिटी के सहयोग से कोचिंग की व्यवस्था की गई है।

   (ख) सिपाही भर्ती में अल्पसंख्यको को नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु शारीरिक तथा शैक्षणिक प्रशिक्षण :- राज्य सरकार ने विगत वर्ष 12,700 सिपाहियॉ की नियुक्ति में अल्पसंख्यकों की समुचित सख्यां में बहाली के लिए शारीरिक एवं लिखित और प्रशिक्षण की योजना शुरू की।

   आयोग की अनुशंसा :- **(i)** इस सिपाही भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग की सफलता के मद्देनजर राज्य में होनी वाली अन्य बड़ी भर्त्तीयों के लिए भी कोचिंग पर विचार किया जाना चाहिए।

   (ii) इस योजना में मदरसा के आलिम-फ़ाज़िल के विद्यार्थियों को भी शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3. **तालीमी मरकज़** :- राज्य सरकार द्वारा तलीमी मरकज़ के तहत अल्पसंख्यक बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाये गए है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहाँ स्कुल नही है वहॉ तलीमी मरकज़ की व्यवस्था की गई है। इनमें स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे को भी दखिला की सहुलत दी गयी है। दूसरे स्कूलों की तरह हुकूमत ने यहाँ भी दिन का खाना पोशाक और जरूरी किताबें मुहैया कराई गई है। अब तक 3770 तलीमी मरकज़ खोले जा चुके है। इस वक्त 84056 बच्चे तलीमी मरकज़ में तालीम हासिल कर रहे है।

आयोग की अनुशंसा :- तालीमी मरकज़ से प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद नजदीक के स्कूल में बच्चों को आगे कि शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किया जाए।

4. **अलिगढ़ मुस्लिम युनिर्वसिटी की शाखा की स्थापना** :- राज्य सरकार ने किशनगंज जिलान्तर्गत चकला ग्राम में अलिगढ़ मुस्लिम युनिर्वसिटी की शाखा खोलने के लिए 246 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा चुकी है।

आयोग की अनुशंसा :-इस केंद्र में बिहार के विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. **अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवास का निर्माण** :- अल्पसंख्यक समुदाय विशेष कर मुस्लिम छात्र/छात्राएँ जो शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ गए है। राज्य सरकार शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हर संभव प्रयासरत है। राज्य सरकार जिला मुख्यालय में अवस्थित शैक्षिणिक प्रतिष्ठानों का पूरा लाभ उठाने के लिए जिला में 100 बेड वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना शुरू की गई है ताकि दूरदराज स्थानों के गरीब अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएँ जो जिला हेडक्वार्टर में अवस्थित शिक्षण संस्थानों का पुरा फायदा उठा सकें। जिसके तहत 28 छात्रावासों का निर्माण हो चुका है तथा 3 बालिका एंव 14 बालक छात्रावासों का निर्माण कार्य चल रहा है।

आयोग की अनुशंसा :-इन छात्रावासों में मदरसा के आलिम फाजिल के विद्यार्थियों को भी रहने की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जाए।

6. **मदरसा तालीम** :- राज्य में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के बच्चे मदरसा में अध्ययनरत है। मदरसा के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिये राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन मान देने की स्वीकृति दी गई है। 1128 मदरसों को सरकारी सहायता प्रदान की गई है।

आलिम और फ़ाजिल की डिग्री जो मदरसा बोर्ड उपलब्ध कराती थी। उसकी डिग्री मौलाना मज़हरूल हक अरबी व फारसी युनिर्वसिटी के जरिया उपलब्ध कराया जा रहा है।

आयोग की अनुशंसा :- **(i)** मौलाना मज़हरूल हक अरबी व फारसी युनिर्वसिटी के भवन निर्माण का कार्य यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जाए।

(ii) शिक्षकों को पूरी सुविधा प्रदान की गई है। इसलिए मदरसा शिक्षा स्तर में सुधार के लिए मदरसा बोर्ड/मौलाना मज़हरूलहक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय को कारगर निगरानी रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

7. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना** :- इसके अर्न्तगत ऐसे अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मेडिकल/तकनीकी/ आई०आई०टी/ बी०एड/एम०एड/ विधि एवं प्रबंधन शिक्षा तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जो कि 5 वर्ष की अवधि से अधिक न हो तथा उनके पिता/अभिभावक की वार्षिक आय

4.50 लाख रूपये से अधिक न हो वैसे विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये की दर से अधिकतम 5 वर्षो के पाठ्क्रमों के लिए 5 लाख रूपये तक का ऋण राषि 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माधयम से वित्तीय वर्ष 2012-13 से संचालित है । इस योजना के लिए गत वित्तीय वर्ष में निगम को 15 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गया है । जिसके विरूद्ध 332 छात्रों के बीच 3.20 करोड़ रूपयें ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

आयोग की अनुशंसा:- आयोग की अनुशंसा है कि इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष आवेदन प्राप्त कर जितनी राशि का भुगतान करना है उतने ही आवेदन को स्वीकृत किया जाए। अगले वर्ष पिछले वर्ष के आवेदनों को Brought Forward नहीं किया जाए। अगले वर्ष पुनः नये आवेदन आमंत्रित किया जाए। इससे पूरी तरह पारर्दशिता बनी रहेगी।

8. **अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक घोषित करने के संबंध में नियमावली:-**अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्त्रोतों से सरकारी सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु आवश्यक अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र देने हेतु नियमावली बनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्राधिकृत किया जाए।

आयोग की अनुशंसा :- आयोग की अनुशंसा है कि तत् संबंधित नियमावली का निर्माण यथाशिघ्र की जाए।

(ख) अल्पसंख्यक के रोजगार से संबंधित योजनाएँ

नवम्बर 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब वर्तमान सरकार ने राज्य की बागडोर सम्भाली तो उस समय अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुस्लिम तबका राज्य की मुख्य धारा से काफी दूर जा चुका था। यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय समाजिक और आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर खड़ा था। ऐसे समय में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों की तरक़्क़ी और रोजगार की योजनाएँ चलाने का निर्णय लिया।

1 **उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति :-** 29 हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

आयोग की अनुशंसा:- आयोग की अनुशंसा है कि यथाशीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जाए।

2 **हुनर और औजार :-** मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें विशेष ट्रेड में ट्रेनिंग के लिए हुनर प्रोग्राम की शुरूआत वर्ष 2008 में की गयी ताकि इन्हें तकनीकी शिक्षा दे कर उन्हे अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। हुनर प्रोग्राम को एन0 आइ0 ओ0 एस0 से जोड़ दिया गया है। इनके ज़रिया इम्तेहान लेकर सार्टफ़िकेट दिया जाता है। जो लड़कियाँ हुनर प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग हासिल कर लेती है इन्हें 2500 रूपये औजार स्कीम के तहत दी जाती है। अब तक पहले चरण में 13768 छात्राओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दूसरे चरण में 38 हजार छात्राओं

को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा दिवस के अवसर पर 50 हजार लड़कियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

आयोग की अनुशंसा:- मुज्जफ्फरपुर में लाह चुड़ियों के निर्माण कार्य मे लगी मुस्लिम लड़कियों को भी इस योजना में शामिल किया जाए।

3 **मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना** :- मुस्लिम समाज में परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक एवं समाजिक स्थिति दयनीय है। सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 से इस योजना का प्रारंभ किया। इस योजना के तहत मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं का चयन कर प्रति महिला रू0 10,000/- (दस हजार रूपये) की दर से एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजनान्तर्गत अब तक दस हजार महिलाओं को लाभ पहुँचाया गया है तथा उन्हे 10,00,00,000/- (दस करोड़) रूपये का अनुदान दिया गया है।

आयोग की अनुशंसा:- इस योजना के तहत भुगतान में पारर्दशिता लाने के विचार से आयोग की अनुशंसा है कि राशि का भुगतान लाभुकों को चेक के द्वारा न करके सीधे उनके बैंक खाता में हस्तांतरित करने पर विचार किया जाए तथा सूची को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

4. **श्रम शक्ति योजना** :- अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोज़गार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना प्रारंभ की गई। इसके अर्न्तगत अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों/नवयुवकों को उनके ही व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण दिलाकर तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माधयम से अधिकतम रू0 50,000/- (पचास हजार रूप्ये) तक का ऋण साधारण ब्याज पर दिलाकर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को दो करोड़ रूपये उपलब्ध कराये तथा 115 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग दी गई है 23 प्रशिक्षियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आयोग की अनुशंसा:-आयोग की अनुशंसा है कि इस योजना को विकेंद्रीत कर प्रमंडल स्तर पर चलाया जाए। ताकि लाभुकों को बिहार के अन्य जिलों से पटना आने में होने वाली कठिनाईयों का निवारण हो सके।

5. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना** :- इसके अंर्तगत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों और युवतियों को जिनका परिवारिक वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अधिकतम 5 लाख रूपये तक की राशि प्रदान करने की कार्य योजना है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 से योजना संचालित है । इस योजना के तहत राज्य सरकार से चालीस

करोड रूपये बिहार राज्य अल्संख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया गया है। जिसके विरूद्ध 3731 लाभार्थियों के बीच 37.02 करोड़ रूपये वितरित किया जा चुका है।

आयोग की अनुशंसा:- आयोग की अनुशंसा है कि इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष आवेदन प्राप्त कर जितनी राशि का भुगतान करना है उतने ही आवेदन को स्वीकृत किया जाए। अगले वर्ष पिछले वर्ष के आवेदनों को Brought Forward नहीं किया जाए। अगले वर्ष पुनः नये आवेदन आमंत्रित किया जाए। इससे पूरी तरह पार्रदशिता बनी रहेगी।

(ग) सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ :-

(1) **धार्मिक स्थानों की सुरक्षा एवं घेराबंदी**:- बिहार सरकार ने विशेषकर नीतीश कुमार ने सबसे पहले यह कोशिश शुरू की कि साम्प्रदायिक सद्भाव पूरे राज्य में कायम रखा जाए और इसमें कामियाबी भी मिली। विगत छः वर्षों में अप्रिय घटना नही घटी है। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना सरकार की न केवल घोषित प्रथम प्राथमिकता है बल्कि सरकार इस दिशा में पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ प्रयासरत भी हैं। नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिये उन्होने सबसे बड़ा क़दम यह उठाया कि कब्रिस्तानों की ज़मीन पर स्थानीय लोगों द्वारा जबरन क़ाबिज़ हो जाने के कारण अकसर साम्प्रदायिक दंगे रूनुमा होते हैं। इस तरह के साम्प्रदायिक दंगे को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल करते हुए यह निर्णय लिया कि बिहार में जितने क़ब्रिस्तान हैं उनकी घेराबंदी करा दी जाए, क्योकि कालांतर में कब्रिस्तानों की भूमि मूल्यवान हो जाने के कारण समाज विरोधी तत्वों की नजर उस पर लगी रहती है और मौका पाते ही उस पर बलात दखल करना चाहते है। जिसके फलस्वरूप अधिकतर साम्प्रदायिक तनाव का कारण कब्रिस्तान की भूमि ही रहती है। साम्प्रदायिक दंगों पर अंकुश लगाने के विचार से कब्रिस्तानों की घेराबंदी एक मात्र उपाय है जिससे उसकी सुरक्षा भी होगी और साम्प्रदायिक तनाव को रोका भी जा सकता है । बिहार में कुल 8,064 क़ब्रिस्तानों में से 4409 की घेराबंदी की जा चुकी हैं और 1480 के घेराबंदी का कार्य प्रगती में है। इस मद में अब तक 351 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है।

आयोग की अनुशंसा :- (i) आयोग की अनुशंसा है कि जिन कब्रिस्तानों का निबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा नही किया गया है उसका निबंधन और वहाँ प्रबंध समिति का गठन किया जाए ताकि उन कब्रिस्तानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(ii) वक्फ अधिनियम 1995 के तहत सभी वक्फ सम्पत्तियों का निबंधन अनिर्वाय है । इसलिए आयोग की अनुशंसा है कि वक्फ बोर्ड सभी कब्रिस्तानों का निबंधन सुनिश्चित करे। यदि कोई कब्रिस्तान सरकारी सूची में छूट गया है तो इसकी जानकारी सम्बंधित विभाग को देकर उसे सूची में जोड़वाने की कार्रवाई करें ताकि उन कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी हो सके।

(2) **भागलपुर फसाद की जॉच, मुआवज़ा पेंशन का भुगतानः-** भागलपुर दंगा बिहार की राजनीति में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। वस्तुतः इस दंगा का प्रभाव इतना तीव्र था कि उस समय की सरकार धाराशायी हो गई तथा भागलपुर दंगा की प्रतिक्रिया स्वरूप ही पूर्ववर्त्ती सरकार सत्ता में आई। लेकिन श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए तो उन्होने भागलपुर दंगाा के प्रभावित निःसहाय, अनाथ एवं विधवाओं के दिलों में फिर से आशा के दीप प्रज्जवलित करने का प्रयास किया तथा उन्होने मानवता के हत्यारों को फिर से उनके अंतिम परिणाम तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस संकल्प के परिपेक्ष्य में ही मुख्यमंत्री बनने के बाद 19 जनवरी 2006 को ''मुस्लिम कॉनफ्रेंस'' में श्री नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगा की न्यायिक जॉच करा कर आरोपियों को दण्ड एवं प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा दिलाने की घोषणा की। इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए न्यायमूर्ति एन0 एन0 सिंह की अध्यक्षता में पुनः आयोग का गठन कर वैसे सभी मुक़दमों को फिर से खुलवाया।

हिन्दुस्तान में वैसे तो छोटे बड़े साम्प्रदायिक दंगे तो बहुत हुए हैं लेकिन इसी हिन्दुस्तान के इतिहास में नीतीश कुमार की कोशिशों से पहली बार बिहार के भागलपुर दंगा से संबंधित बन्द किये गये 28 मुकदमों की दोबारा जॉच के बाद 19 मुक़दमों में आरोप पत्र दाख़िल की गई। जिसका परिणाम यह हुआ की विभिन्न थाना कांडों में मुजरिमों को सज़ा हुई ।

हिन्दुस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ की मुसलमानों की लूटी हुई जायदाद वापस हुई। केस नं0 201/07,202/07 के तहत मुसलमानों के 17 परिवारों की लूटी हुई जायदाद हुकुमत ने वापस करवाये है।

नीतीश कुमार की सरकार ने मुल्क में पहली बार भागलपुर फसाद से प्रभावितों को 5000 रूपये महाना पेंशन दिया जा रहा है। जो एक ऐतिहासिक कदम है।

भागलपुर दंगा के मृतकों और लापता लोगों के अश्रितों को ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' से सहायता दिया गया था। मृतकों के वैसे आश्रित जो मुआवजा की राशि से वंचित रह गये थे उन्हें भी आश्रित की परिभाषा में संशोधित करते हुए उनके निकटतम हकदार को मुआवजा की रकम स्वीकृत की। इसके अलावा हुकुमत बिहार ने 32,38,180 रूपये बैंक के कर्ज भी माफ कर दिये है और बिजली की सपलाई में 1.50 रूपये प्रति युनिट की रियायत दी गई है।

आयोग की अनुशंसा :-पेंशन धारकों की सूची को वेबसाईट पर डाला जाए ताकि कोई परिवार वंचित रह गया हो तो वह आवेदन कर लाभ उठा सकें।

अध्याय - पांच

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को और लाभकारी बनाने हेतु अनुशंसा।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को और लाभकारी बनाने हेतु अनुशंसा।

पृष्ठभूमि

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, किसी जिले में अल्पसंख्यकों की 20 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी के एकमात्र मानदंडों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची वर्ष 1987 में तैयार की गई थी, ताकि सरकारी कार्यक्रमो और योजनाओ मे इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की संकल्पना सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की एक विशेष पहल के रूप में की गई थी। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसे वर्ष 2008-09 में 90 अल्पसख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में आरंभ किया गया था। यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल जिलों की विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। एमएसडीपी के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़के, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित होंगी। योजना का उद्देश्य अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराते हुए तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अंतरों को दूर करने वाली परियोजनाएँ शुरू करते हुए भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतरों को दूर करन होगा।

यह पहल समावेशी तीव्र विकास प्रक्रिया तथा लोगो की जीवन स्तर में सुधार करने के लिए केंद्र एवं राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का एक संयुक्त प्रयास होगा। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना है ताकि इनमें असंतुलन को कम किया जा सके तथा विकास की गति को तेज किया जा सके।

ब्लॉक योजना की ईकाई के तौर पर :

एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु योजना की ईकाई ब्लॉक होगा, न कि जिला के जैसा कि इस समय है। इससे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा, क्योंकि इस प्रयोजनार्थ जिला एक बड़ी ईकाई थी। इसके अलावा, इससे पात्र अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) जो इस समय मौजूदा एमसीडी से बाहर पड़ते हैं, को कवर करने में भी मदद मिलेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन के अंगीकृत मानदण्डों के आधार पर चुने गये पिछडे जिलों में आने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों को पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों (एमसीबी) के रूप मे चिन्हित किया जाएगा। 6 राज्यों (लक्षद्वीप, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा जम्मू एवं कश्मीर) के मामले में, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक है, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यक जनसंख्या का न्यूनतम कट-आफ 15% अंगीकार किया जाएगा।

आयोग की अनुशंसा :- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के शर्त्त में आमूल परिवर्तन करते हुए जिला के स्थान पर प्रखंड को इकाई बनाया गया है। परन्तु पूर्व में जब जिला को इकाई के रूप में रखा गया था तो यह शर्त्त था कि उस जिला में अल्पसंख्यक की न्यूनतम जनसंख्या 20 प्रतिशत होगी। परन्तु प्रखंड को इकाई मानने के बाद प्रखंड विशेष में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर ही उक्त प्रखंड को इस योजना में शामिल किया जाना है। इस योजना के उद्देश्य में कहा गया है कि यह पहल समावेशी तीव्र विकास प्रक्रिया तथा लोगों की जीवन स्तर में सुधार करने के लिए केंद्र एवं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का एक संयुक्त प्रयास होगा। इसलिए आयोग का विचार है कि इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए जिला के बदले प्रखंड को इकाई बनाया गया है तो अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का शर्त्त भी कम किया जाना चाहिए अर्थात इसे 25 प्रतिशत के बदले 15 प्रतिशत होना चाहिए। परन्तु इसके उलट जनसंख्या की शर्त्त 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। फलस्वरूप जिस मंशा से प्रखंड को इकाई बनाया गया है उसकी पूर्ति नही हो पा रही है। साथ ही यह तर्क संगत और उचित भी नही है। बिहार राज्य का ही उदाहरण लिया जाए तो यहॉ 38 जिलों में मात्र 20 जिलों को ही लाभ पहुँच रहा है। तथा 534 प्रखंडों में 75 प्रखंड को ही इस योजना के तहत लाया जा सका है। अर्थात 50% जिलों तथा 86% प्रखंड इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इतना ही नही बॉका, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा जिलों के प्रखंड इस योजना के तहत शामिल हैं। जबकि इन जिलों से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले दूसरे जिलों अर्थात शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेगुसराय, गया, जमूई, मधेपूरा, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपूर खगड़िया, सारण, जहानाबाद, मुंगेर आदि का एक प्रखंड भी इस योजना में शामिल नही हो पाएगा, (**परि0-12 एवं परि0-13**)। जो उन जिलों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। अत: किसी प्रखंड को इस योजना के तहत लाने के लिए 20% अल्पसंख्यकों की आबादी की शर्त को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए या कम से कम पूर्व की भांति 20 प्रतिशत रखा जाए ताकि अधिक से अधिक प्रखंड इस योजना में कवर हो सके।

आयोग की अनुशंसा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को किसी प्रखंड को इस योजना के तहत लाने के लिए उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यकों की आबादी का शर्त घटाकर 15% करने या पूर्व की भांति 20% रखने हेतु प्रयास करें।

अध्याय - छः

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए गठित संस्थानों को और क्रियाशील बनाने हेतु अनुशंसाएँ

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये गठित संस्थानों को और क्रियाशील बनाने हेतु अनुशंसाएं

1. **वक्फ़ बोर्ड** :- वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वर्त्तमान सरकार द्वारा पहली बार बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड का लोकतांत्रिक ढंग से गठन किया गया। वक्फ़ सम्पत्ति का सर्वे आरंभ किया गया। इसके लिए प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वक्फ़ सर्वे कमिशनर बनाया गया। वक्फ़ सम्पत्ति के कम्प्यूटरीकरण के लिए वक्फ़ बोर्डो को राशि उपलब्ध कराई गई। सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को वार्षिक 50 लाख रूपये और शिया वक्फ़ बोर्ड को 20 लाख रूपये का वार्षिक सहायक अनुदान दिया जाता है। वक्फ़ से संबंधित सभी प्रकार के मुक़दमों की सुनवाई के लिए बिहार वक्फ़ ट्रिबुनल का गठन किया गया। इसके लिए अलग से न्यायाधीश और कर्मियों को पदस्थापित किया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर किसी भी न्यायालय में लंबित मामले को वक्फ न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाना है। (**परि0 14**)

   आयोग की अनुशंसा :- (i) वक्फ अधिनियम 1995 के तहत सभी वक्फ समपत्ति का पंजीकरण के लिए कोई भी मुसलमान आवेदन कर सकता है। इसलिए आयोग की अनुशंसा है कि वक्फ बोर्ड अभियान चलाकर सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इस कार्य में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तथा जिला औकाफ कमिटी की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है।

(ii) जिला औकाफ कमिटियों को सदृढ़ बनाते हुए कार्यो को विकेन्द्रित किया जाय, साथ ही जिला औकाफ कमिटियों के दफ्तर के लिए वक्फ स्टेट में ही जगह उपलब्ध कराया जाए। रियासती वक्फ बोर्ड को होने वाली आमदनी में से कुछ राशि जिला औकाफ कमिटी के कार्यालय व्यय के लिए उपलब्ध कराया जाए या सीधे नियंत्रण वाले एक वक्फ स्टेट का संचालन जिला औकाफ कमिटी को दिया जाए।

(iii) वक्फ पंजी की एक प्रति जिला औकाफ कमिटी का भी उपलब्ध कराया जाय।

(iv) वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए शहरों की व्यवसायिक, भूखण्डों पर वक्फ काऊंसिल या बैंकों से ऋण लेकर व्यवसायिक भवन/दुकान का निर्माण कराया जाए।

(v) उर्दू फ़ारसी एंव अरबी भाषा में एम0 ए0/ फ़ाजिल में प्रथम स्थान पाने वालों को वक्फ बोर्ड द्वारा स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

2. **बिहार राज्य हज कमिटी** :- बिहार राज्य हज कमिटी के लिए पूर्णकालिक कार्यपालक पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। ताकि हर वर्ष राज्य से मक्का और मदीना जाने वाले आज़मीन हज की सहुलियत के लिए उचित व्यवस्था की जा सके। आज़मीन हज के लिए पटना के अली इमाम पथ पर एक आलीशान भवन निर्माण कराया गया है। हज पर जाने वालों की ख़िदमत के लिए 300

हाजियों पर एक ख़ादिम अल हजाज भेजा जाता है। जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार हज कमिटी को वार्षिक 40 लाख रूपये सहायक अनुदान देती है।

आयोग की अनुशंसा:- (i) हज कमिटी एक टोल फ्री टेलीफोन हेल्पलाईन की व्यवस्था करे ताकि दूर दराज के आजमीन-ए-हज हज कमिटी से राबता कर अपनी कठिनाईयों और जिज्ञासाओं का निवारण कर सकें।

(ii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को हज कार्यो में सक्रिय भूमिका का निर्वाहन करना चाहिए।

3. **बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम :-** अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। यह निगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का चैनेलाइज़िंग ऐजेंसी भी है। निगम के संचालन के लिए बरसो बाद एक नए निदेशक मंडल का गठन किया गया है। इस निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार की मेधा-सह-आय आधारित तथा पोस्ट-मैट्रीक छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन किया जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना एंव मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना का कार्यान्वयन निगम द्वारा किया जाता है।

आयोग की अनुशंसा :- आयोग की अनुशंसा है कि सभी प्रकार की ऋण योजनाओं की पूर्ण जानकारी और लाभुको की सूची वेबसाईट पर डाली जाए।

4. **बिहार उर्दू अकादमी :-** उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए बिहार उर्दू अकादमी का गठन किया गया है। इस अकादमी के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री होते हैं। अकादमी आर्थिक रूप से कमजोर शायरों और अदीबों, उर्दू पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। हिंदी भाषी को उर्दू सिखाने का कार्य उर्दू अकादमी द्वारा किया जा रहा है।

आयोग की अनुशंसा :- (i) उर्दू फन-ए-खताती (केलीग्राफी) जो मृत प्राय: हो रही है। इस कला को जीवित रखने के लिए बिहार उर्दू अकादमी को ठोस योजना बनाकर कार्यान्वयन करना चाहिए।

(ii) दूसरी भाषाओं की उच्चस्तरीय पुस्तको और ऐसी पाठय पुस्तकों का जिनका उर्दू संस्करण उपलब्ध नही है, उनके अनुवाद और प्रकाशन की योजना बनानी चाहिए।

(iii) बिहार उर्दू अकादमी मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय का KRC चलाया जाता है। जिसके तहत BBA, BCA तथा B.Lib की पढ़ाई की व्यवस्था है। उसमें नामांकन के लिए कम से कम दसवीं कक्षा उर्दू भाषा के एक पेपर के साथ पास होना अनिवार्य हो साथ ही मदरसा से समकक्ष डिग्री धारकों का भी नामांकन का भी प्रावधान होना चाहिए।

अध्याय - सात

विविध आवेदन पत्र

विविध आवेदन पत्र

आयोग के कार्यालय में प्रतिदिन डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दर्जनों लोग आवेदन पत्र अपनी निजी/ सामुदायिक समस्याओं से संबंधित समर्पित करते है। जिनपर आयोग द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है। विविध आवेदन पत्रों में दो समुदायों के बीच तनाव/धार्मिक स्थानों की सुरक्षा एंव घेराबंदी, धार्मिक भावनाओं का आहत, हत्या, अपहरण, बलात्कार, शिक्षा संबंधी मामले, जुल्म-ज्यादती, नियुक्ति, सेवा, पेंशन एंव सरकारी योजनाओं के लाभ अथवा प्रशासनिक समस्याऐं शामिल है। आयोग उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देता है और उनके निराकरण के लिए तत्परता से कार्रवाई की जाती है। संवेदनशील मामले में सम्बन्धित विभाग/ जिला पदा0/ आरक्षी अधीक्षक को फैक्स और दूरभाष के माध यम से निदेश दिये जाते है। अतिसंवेदनशील मामले में स्थानीय जॉच करा कर कार्रवाई की जाती है। आयोग ऐसे मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप कर मामले को आगे नही बढ़ने देता है और उसका समाधान निकाल लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप एक मामला गया जिला के अंर्तगत मगध विश्वविद्यालय थाना कांड सं0 78/10 जिसमें ऐनुल हक खान के पुत्र औरगंजेब खान की हत्या कर दी गई थी, इस हत्या में संलिप्त नामजद अभियुक्तो को थाना प्रभारी द्वारा गिरफतार नही किये जाने तथा उनकी भूमिका संदिग्ध होने से संबंधित एक आवेदन पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। आयोग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं नामजद अभियुक्तों को गिरुतार करने के लिये पुलिस अधीक्षक गया को निदेशित किया गया।

बॉका जिलान्तगत बारहार में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक की निजी भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा मरे हुए बच्चे के शव को गाड़ने से संबंधित आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुए, इस संबंध में आयोग के पत्रांक 132 दि0 23.05.2011 द्वारा जिला पदा0 बॉका तथा पुलिस अधीक्षक बॉका को आवश्यक कारवाई हेतु निदेश दिया गया।

इसी प्रकार श्री अफरोज अनवर स्वास्थ्य प्रबंधक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दानापुर के साथ प्रभारी चिकित्सा डा0डी0एन सिंह के अभद्र व्यवहार एवं प्रताड़ना के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ आयोग ने अपने पत्रांक 66 दि0 23.03.2011 द्वारा प्रधान सचिव स्वास्थ विभाग बिहार पटना को अविलम्ब कारवाई हेतु निदेशित किया गया। श्रीमती कैसरी बेगम से एक आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें यह उल्लेख था कि उनका पत्र तारिक़ अहमद खाँ डिग्रीधारी अभियंता जो बिहार राज्य विधुत बोर्ड के कटैया परियोजना में अनुबंध के आधार पर कार्यरत थे। उन्हें मात्र 250 रू प्रतिदिन की दर से वेतन का भुगतान किया जा रहा था। जबकि उसके बाद अनुबंध पर नियुक्त डिग्रीधारी अभियंता को 30,000 रू प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था। इस विसंगती को अविलम्ब समाप्त करने हेतु आयोग के पत्रांक 151 दि0 3.06.2011 द्वारा प्रबंध निदेशक बिहार राज्य विधुत बोर्ड को निदेशित किया गया /कुछ महत्वपूर्ण आवेदनों तथा उस पर की गई कार्रवाई का ब्योरा निम्न प्रकार है।

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	विषय	कृत कार्रवाई
1	**डा.एम.डी.आलम, पिता-स्व. हबीब, मु.+थाना+पो.-दिदारगंज, पटना सिटी, जिला- पटना।**	बगलगीर के द्वारा तंग-तबाह करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-02 दिनांक-16.08.2012, जिलापदाधिकारी, पटना एवं अनुमण्डलाधिकारी, पटना सिटी को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
2	**मो0-अकबरषाह, ग्राम-साण्डा, पो0-साण्डा, थाना-धनरूआ, जिला- पटना।**	कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-14 दि0-19.09.2012 प्रधान सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए धेराबंदी कराने के संबंध में पत्र लिखा गया। नोट-: कमल नारायण सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक सं0-8613 दि0 25.09.2012 एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के कार्यालय पत्रांक- 6700/ सा0शा0 दिनांक 23.07.2013 को रिर्पोट उपलब्ध कराया गया है।
3	**मे0 असगर अली, पो0- माधव मिल्स, महल्ला बड़ी नगला, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला-पटना**	कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-24, दिनांक 16.10.2012, सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना को कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने हेतु पत्र लिखा गया था। नोट:- सचिव गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना के द्वारा कार्रवाई कर आयोग कार्यालय को ज्ञापांक-9717 दि0 2.11.2012 रिर्पोट उपलब्ध कराये है।
4	**समीमा खातुन, ग्राम-रेपुरा, पोस्ट- नगरी, थाना- चरपोखरी, जिला- भोजपुर**	न्याय दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 55 दिनांक 13.12.2012 जिलापदाधिकारी, आरा/पुलिस अधीक्षक, आरा को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया। नोट:- जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर, आरा के कार्यालय के ज्ञापांक 2146, दिनांक 17.07.2013 के द्वारा आयोग कार्यालय को रिर्पोट उपलब्ध कराये है।

5	**मे0 निजामुद्दीन, पिता- स्व0 महबुब आलम, साकिन- हरदास विधा, पो0- बैकठपुर, थाना- खुशरूपुर, जिला- पटना**	तंग-तबाह एवं उत्पीड़न करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-96, दिनांक 5.02.2013 जिलापदाधिकारी/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया
6	**मो0 निजामउद्दीन को एवं उनके परिवार को विपक्षी साधु शरण रविदास, पिता- स्व0 रामखेलावन रविदास, ग्राम-हरदारस बीधा, थाना- खुशरूपुर**	उत्पीडन एवं तंग-तबाह करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-116, दिनांक 06.05.2013 जिलापदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जाँचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था।नोट:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक-5980 दिनांक 04.07.2013 को रिर्पोट आयोग को प्राप्त हुआ है।
8	**मो0 अंसार अंसारी वल्द मो0 सदन अंसारअंसारी, ग्राम-पनसुही, पो0- सिंही, जिला- पटना**	बगलगिर द्वारा तंग-तबाह एवं पैतृक सम्पति की सुरक्षा के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-117, दिनांक 06.05.2013 जिलापदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था। नोट:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक-6097/सा०शा०दिनांक 04.07.2013 को रिर्पोट आयोग को प्राप्त हुआ है।
9	**डॉ0 एम0डी0आलम, पिता स्व0 मो0 हवीव, ग्राम/थाना- दिदारगंज, पटना सिटी, जिला-पटना**	घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-118 दिनांक 08.04.2013 जिलापदाधिकारी, पटना को कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
10	**समस्तीपुर जिले के प्रखण्ड दलसिंह सराय के ग्राम-पंचायत पांड डीह**	कब्रिस्तान के भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-119 दिनांक 08.04.2013 जिलापदाधिकारी, पटना को कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
11	**सहेन्द्र सिंह वल्द स्व0 प्यारा सिंह बग्गा जनरल स्टोर पटना सिटी**	वर्ष 1984 में दुकान को दंगाइयो द्वारा लूट-पाट कर लिये थे जिसमें मुआवजा भुगतान कराने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-127 दिनांक 27.05.2013 जिलापदाधिकारी, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया। नोट:-जिलापदाधिकारी, पटना का कार्यालय समाहरणालय, पटना विशेष कार्यक्रम शाखा का पत्रांक-92 दिनांक

			17.06.2013 आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
12	**रविदास, पिता- स्व0 रामखेलावन रविदास, ग्राम-हरदारस बीधा, थाना-खुशरूपुर**	आवेदक एवं परिवार को विपक्षी साधु शरण द्वारा उत्पीडन एवं तंग-तबाह करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-132, दिनांक 24.06.2013 जिलापदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जाँचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था। नोटः- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक-5980 दिनांक 04.07.2013 को रिर्पोट आयोग को प्राप्त हुआ है।
13	**मो0 इसलाम मिया, ग्राम/पो0-ऐनखॉ, थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना**	गोतिया द्वारा तंग-तबाह एवं पैतृक सम्पति से बेदखल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-152, दिनांक 25.07.2013 अनुमण्डल पुलिस उपाधीक्षक पालीगंज को जॉचापरान्त कार्रवाई कर आयोग कार्यालय को यथाशीध्र अवगत कराने हेतु पत्र लिखा गयाा।
14	**मो0 अली उर्फ छोटू वल्द मो0 हलीम, ग्राम/पो0- भरतपुरा, थाना-दुल्हिनबाजार जिला-पटना**	जान माल एवं पैतृक सम्पति की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-407, दिनांक 24.08.2011 जिलापदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, आरक्षी उपाधीक्षक, पालीगंज को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।
15	**रशिद आलम ग्राम/पो0-सदावह, थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना**	कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-428, दिनांक 07.09.2011 जिलापदाधिकारी, पटना, जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना एवं सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना को कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में पत्र लिखा गया। नोटः- सदावह के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई है।
16	**मो0 अंसार अंसारी वल्द मो0 सदन अंसार अंसारी, ग्राम-पनसुही, पो0- सिंही, जिला- पटना**	परिवार के सदस्य के मृत्यु होने पर कब्रिस्तान में लाश नही दफन करने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-442, दिनांक 10.10.2011 को वरीय पुलिस अधीक्षक पटना/अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज, सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई

			करते हुए लाश को कब्रिस्तान में दफन कराने हेतु पत्र लिखा गया। नोट:- कार्रवाई हुई है जिसका प्रतिलिपि आयोग को प्राप्त कराया गया है।
17	**श्रीमती राजेन्द्र कौर पति सरदार हरवंष सिंह श्री राम मार्केट मच्छर हट्टा, थाना- खाजेकला पटना सिटी, जिला-पटना**	मारपीट एवं धमकी दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-445, दिनांक 17.10.2011 को वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जाँचोपरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।
18	**मो0 शकिल अहमद एवं मो0 जाकिर हुसैन दोनो पिता मो0 नसरूदीन अहमद, ग्राम/पो0-भरतपुरा, जिला-पटना**	मजदुरी नहीं दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-454, दिनांक 24.10.2011 को सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, को जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
19	**ग्राम/पो0-सदावह, जिला-पटना**	कब्रिस्तान को घेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-473, दिनांक 23.11.2011 जिलापदाधिकारी, पटना को कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने हेतु पत्र लिखा गया।
20	**शमीम अहमद, पिता- स्व0 अमीर हसन अंसारी, ग्राम/पो0- कोईलवर, जिला- भोजपुर**	पड़ोसी द्वारा इनका जमीन को अपने कब्जा में करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-489, दिनांक 15.12.2011 जिलापदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, को जॉचापरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।
21	**श्री प्रकाश सिंह, पिता सरदार दुलारचंद सिंह, ग्राम-कटैयापर, पो0-ऐनखॉ, थाना- दुल्हिन बाजार, जिला-पटना।**	सिख प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-494, दिनांक 31.12.2011 को शिक्षा में अपयोग करने हेतु सिख प्रमाण पत्र दिया गया है।
22	**मो0 शहिद अधीवक्ता सचिव, जिला परिषद मार्केट एशोसिएशन, मुजफ्फरपुर**	जिला परिषद के बहुदेशीय भवन के आवंटन में गड़बड़ करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-496 दिनांक 04.01.2012 जिलापदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
23	**खुर्शीद अहमद खॉ, ग्राम-सरैया, पो0-हंसंनपुर, जिला- सिवान**	सहायक शिक्षक की वरियता सूची में अल्पसंख्यक मैट्रिक उर्दू प्रशिक्षित को नियुक्ति से	आयोग के पत्रांक-500 दिनांक 24.01.2012 प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

		वंचित रखने के संबंध में।	
24	**मनजीत सिंह, पिता-सरदार महेन्द्र सिंह, मोहल्ला-गायधाट दक्षिणी गली काजीबाग, पोस्ट-गुलजारबाग, थाना-आलमंगज, जिला- पटना**	सिख प्रामाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-516, दिनांक 13.03.2012 को मनजीत सिंह, पिता-सरदार महेन्द्र सिंह को सिख प्रमाण पत्र दिया गया।
25	**सरदार इन्द्र सिंह, पिता- स्व0 सरदार मालीक सिंह, मोहल्ला-काजीबाग, पो0-गुलजारबाग, जिला-पटना**	सिख प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-525, दिनांक 23.03.2012 को सरदार इन्द्र सिंह को सिख प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।
26	**मे0 शकिल अहमद एवं मो0 जाकिर हुसैन दोनो पिता- मो0 नसरूदीन**	परिवाद पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-540, दिनांक 13.06.2012 को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को ज्ञापांक-2080/एक्स0सी0 दिनांक 11.06.2012 के द्वारा रिर्पोट उपलब्ध कराई गई है।
27	**नानक शाहीउदासीन मठ थाना/जिला - लखीसराय**	कृषियोग भूमि जिसका तौजी नं0-3, थाना नं0-134, खाता नं0-449, खोसरा नं0-1599 एवं 1600 की कुल एराजी 58 डी0जमीन की नाजायज कब्जे से मुक्त कराने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-456, दिनांक 09.11.2011 जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक लखीसराय, को जाँचोपरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।
28	**मो0 जावेद मँसुरी क्षेत्रीय प्रभारी सह सूचना अधिकार कार्यकर्त्ता, कन्हौली गौषाला रोड मस्जिद चौक,पो0-रमना, जिला-मुजफ्फरपुर 842002**	समस्तीपुर जिला अर्न्तगत दलसिहं सरास प्रखंड के चमबाहुउद्दीन कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-556 दिनांक 23.07.2012 जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर को कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने हेतु पत्र लिखा गया।
29	**श्री गेयासउद्दीन, गया।**	फोकानिया का परीक्षा परिणाम भेजने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं0 287, दिनांक 12.08.2010 द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को कार्रवाई हेतु भेजा गया।

30	**मकसुद आलम सचिव बाउली कब्रिस्तान के आय दावत सासाराम।**	बाउली कब्रिस्तान की धेराबंदी श्री देव नाथ चौधरी क०अभि० द्वारा आधा करने के उपरान्त छोड़ देने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं0 284, दिनांक 06.08.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी को कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण करने हेतु पत्र भेजा गया।
31	**श्री जफर इमाम एवं अन्य ग्राम फरहताबाद जिला अरवल।**	बेलसार लख में संयुक्त रूप से प्राथमिक विधालय की स्थापना के संबंध में।	आयोग के पत्र सं0 283, दिनांक 06.08.2010 द्वारा जिलापदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया।
32	**श्री सरदार अजीत सिंह साहरधाट, मधुबनी।**	अल्पसंख्यक की जमीन को नाजायज अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं0 279, दिनांक 06.08.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया।
33	**श्री जाविर हुसैन अंसारी मखदुम सराय, सीवान।**	पासपोर्ट का पी0सी0सी0 जॉच करने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं0 283 दिनांक 15.07.2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक को अपेक्षित कारवाई हेतु पत्र भेजा गया।
34	**अब्दुल रशीद शमसी सचिव मदरसा इसलामिया बेलासपुर पूर्वी चम्पारण।**	जिला पूर्वी चम्पारण मोतिहारी स्थित मदरसा इसलामिया बेलासपुर तालाब को मदरसा के नाम से बन्दोबस्त किए जाने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक 265,दिनांक 28.07.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया।
35	**सैयद शाह अंसारउद्दीन अधयक्ष शिक्षक मदरसा खानवाह कबिरिया सासाराम।**	वित्तीय वर्ष 2008-2009 में मुख्यमंत्री साईकिल योजना के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 249,दिनांक 08.06.2010 द्वारा जिला पदा0 सासाराम को पत्र लिखा गया।
36	**मे0 अनबारूल इसलाय पूर्व ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक पूर्णिया।**	विभागीय कार्रवाई के निष्पादन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 248,दिनांक 18.06.2010 द्वारा सचिव, पंचायती राज पदा0 पटना को लिखा गया।
37	**श्रीमती अकसाना खातुन राजापुर अतिरौलिया राजापुर पूर्वी चम्पारण**	पूर्वी चम्पारण जिला के फटुवा में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में सेविका के चयन में अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 246,दिनांक 18.06.2010 द्वारा जिला पदा0 पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को पत्र भेजा गया।

38	**मो0 खालिद, ग्राम बछौर पचायंत डुमरी, प्रखंड रोह**	नवादा जिला के रोह प्रखंड के डुमरी पंचायत एवं इसी के बछौर और करणपुर के अतिसंवेदनशील कब्रिस्तान के धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 245 दिनांक 18.06. 2010 द्वारा जिला पदा0 नवादा, आरक्षी अधीक्षक, नवादा को पत्र लिखा गया।
39	**मो0 समीउल्लाह प्रभारी हेड मौलवी, मदरसा, अनिसूल,गोरवा, मदरसा नं0 156 बहेरा, दरभंगा।**	दंरभगा जिला के मदरसा अनिसूल गोरवा के शिक्षा की प्रोन्नति पर बोर्ड के अध्यक्ष की सम्पुष्टि नही होने के कारण एवं वेतन की निकासी नही होने से भुखमरी की स्थिति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 244दिनांक 18.06. 2010 द्वारा अधयक्ष, बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड को पत्र लिखा गया।
40	**श्री मो0 जिबरईल अंसारी एवं अन्य ग्रामीणजन, ग्राम मदारगंज, थाना एवं अंचल सन्हौला, भागलपुर।**	भागलपुर जिलान्तर्गत ग्राम–मदारगंज, थाना एवं अंचल सन्हौला के कब्रिस्तान की सरकारी खर्च से किए गए धेराबंदी के उपरान्त दिवार को तोड़े जाने के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक118 दिनांक 06. 052011 द्वारा जिला पदा0 भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
41	**श्री मो0 मेराज आलम एवं अन्य मुस्लिम ग्रामीण, ग्राम सधुआ एवं गोबिन्दपुर, कौसली, थाना गोपालपुर (ओ0पी0रंगरा चौक)**	भागलपुर जिला अर्न्तगत नवगछिया ग्राम– सधुआ एवं ग्राम– गोबिन्दपुर कौसली, थाना गोपालपुर अनुमण्डल नवगछिया के दो कब्रिस्तान को आसामाजिक तत्वों के अतिक्रमण से मुक्त करते हुए धेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 93 दिनांक 14.04. 2011 द्वारा जिलापदाधिकारी भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, पुलिस नवगछिया, भागलपुर को कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा धेराबन्दी हेतु निदेशित किया गया।

42	**सु0श्री सहजादी खातुन, पुत्री श्री मो0 सलील, ग्राम- धुबौली थाना- गायधाट, जिला मुजफ्फरपुर।**	मुजफ्फरपुर, जिलान्तर्गत गायधाट थाना कांड सं0 24/11 दफा 363,366 ए0भा0द0वि0 में नामजद अभियुक्तो की गिरफतारी तथा अपर्हता एवं सूचक एवं गवाहान की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 69 दिनांक 02.03. 2011 द्वारा जिला पदा0 मुजफ्फरपुर आरक्षी, अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को कारवाई हेतु पत्र भेजा गया।
43	**सरदार दिलीप सिंह, मित्र मंडल कॉलनी साकेत बिहार, अनिसाबाद पटना।**	सरदार दिलीप सिंह के मित्र मंडल कॉलोनी, साकेत बिहार, स्थित मकान को विजय कुमार यादव दरोगा, सचिवालय थाना के जबरन कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 152 दिनांक 03.06. 2011 द्वारा जिला पदा0 पटना वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र भेजा गया।
44	**मो0 हैदर अली अंसारी, प्रधान शिक्षक, मध्य विधालय, रामनैयका, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी।**	सीतामढ़ी जिला के मध्य विधालय, रामनैयका, थाना-परिहार केषिक्षक के द्वारा एफ0आई0आर में थाना प्रभारी द्वारा बलपूर्वक तिथि बदलने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 224,दिनांक 24. 05.2010 द्वारा प्रधान सचिव गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र भेजा गया।
45	**श्री गुलाम सरवर आजाद, राष्ट्रीय, अध्यक्ष मुस्लिम अरजाल समन्वय समिति, मेवासावलेन, सुल्तानगंज, पटना-6**	तालिमी मरकज में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-117,दिनांक 12.03. 2010 द्वारा राज्य परियोजना, निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेल्ट्रोन, भवन शास्त्रीनगर, पटना -23 प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र भेजा गया।
46	**पत्र सं0 6501 दिनांक 21.02. 2009 श्रीमती रूबी शबनम आरा, प्रखण्ड शिक्षिका, उर्दूम0वि0 भदया, बाराचट्टी।**	मार्च 2007 से अगस्त 2009 तक मानदेय की राशी भुगतान के सम्बंध में।	आयोग के पत्रांक-225, दिनांक 24. 05.2010 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा गया।
47	**श्रीमती सुलेखा खातुन ग्राम-भवानीपुर, थाना-मानिकपुर**	लखीसराय के सूर्यगढ़ा की	आयोग के पत्रांक- 222, दिनांक 20. 05.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी,

	भाया सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय।	अल्पसंख्यक विधवा महिला की जमीन की जबरन जोतने से मुक्त कराने के संबंध में।	लक्खीसराय, आरक्षी अधीक्षक, लखीसराय को कारवाई हेतु निदेशित किया गया।
48	**श्री मो0 अब्दुल गफफार, पिता- मो0 सोनू अहमद मुमताज, मछुआ टोली, बारी पथ मोड़ पर।**	श्री मो0 अब्दुल गफफार, पिता- मो0 सोनू अहमद मुमताज, मछुआ टोली, बारी पथ मोड़ पर, पटना को पड़ोसी ध्रुव प्रसाद चंद्रा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-237,दिनांक 08.06. 2010 द्वारा जिला पदा0, पटना आरक्षी अधीक्षक, पटना को कारवाई हेतु पत्र भेजा गया।
49	**श्री तजम्मुल खाँ प्रदेश सचिव जनता दल (यूं) भल्लु खैरा, पो0/थाना/प्रखंड- रफीगंज, जिला-औरंगाबाद।**	गया जिला में संवेदनशील कब्रिस्तान धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-234,दिनांक 03.06. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी को कब्रिस्तान की घेराबन्दी हेतु पत्र लियाा गया।
50	**श्री मो0 जिब्रईल अंसारी, ग्राम-मदारगंज, थाना-अमडंडा, जिला-भागलपुर।**	भागलपुर जिलान्तर्गत, थाना-अमडंडा के मदारगंज ग्राम के अल्पसंख्यक (मुस्लिम) कब्रिस्तान की सुरक्षा तथा घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-230,दिनांक 31.05. 2010 द्वारा जिला पदा0, भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर कब्रिस्तान की सुरक्षा हेतु निदेशित किया गया।
51	**मो0 अंसार अंसारी, पिता- श्री मो0 जनीफ अंसारी, ग्राम सिराही, थाना- रीगा, जिला-सीतामढ़ी।**	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत थाना-रिगा के सिराही ग्राम में अल्पसख्यंक समुदाय के बहुसंख्यक समुदाय के अपराधी प्रवृन्ति के लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-227,दिनांक 26.05. 2010 द्वारा जिला पदा0, सीतामढ़ी आरक्षी अधीक्षक, सीतामढी को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
52	**श्री मो0 शमशेर आलम, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय भागलपुर।**	कोतवाली बरारी, थानाकांड सं0-87/10 दिनांक 13.02.2010 धारा- 363,366 भ0द्र0वि0 के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-226,दिनांक 26.05. 2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखा गया।

53	**श्री मो0 अली, उपाध्यक्षक बिहार राज्य अल्पसंख्यक सहायक प्रारंभिक शिक्षक संघ, आर्य कन्या मध्य विधालय, पटना।**	अल्पसख्यंक सहायता प्राप्त विधालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–221,दिनांक 20.05.2010 द्वारा प्रधान सचिव, मानव विकास संसाधन विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
54	**श्री रशिद अली खॉ, सचिव बिहार प्रदेश, कॉग्रस कमिटी, मुहल्ला पठान टोली, वार्ड न0 15, पो०/थाना/ जिला– औरंगाबाद।**	जिला पदा0, औरगांबाद श्री कुन्दन कुमार के द्वारा षडयंत्र के द्वारा शहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खॉ एवं अन्य को गलत केस में फंसाये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–220,दिनांक 20.05.2010 द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
55	**मो0 रशीद, ग्राम/पो0– सिरदला, जिला– नवादा।**	मो0 रशीद, दैनिक कामगार की सेवा नियमित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–219, दिनांक 20.05.2010 द्वारा प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार , पटना को पत्र लिखा गया।
56	**श्री अलोइसियुस डिक्रूज सदस्य, बिहार राज्य अल्पसख्यंक आयोग, हाऊस न0–463, वार्ड न0–8, क्रिश्चियन क्वार्टर,नेतिया/पश्चिमी चम्पारण।**	बेतिया महागिरिजाधर के सामने स्थित ट्रान्सफार्मर को बदलने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–213,दिनांक 18.05.2010 द्वारा अधयक्ष, बोर्ड, बेली रोड, पटना को पत्र लिखा गया।
57	**श्रीमती सइदा अहमद मुखिया, ग्राम पंचायत राज उचिदा पत्रांक–60 दिनांक 27.03.2010।**	जहानाबाद जिलान्तर्गत–रतनी फरीदपुर, प्रखंड के ग्राम फरीदपुर में ''तालीमी मरकज'' केंद्र संचालन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–216,दिनांक 19.05.2010 द्वारा जिला पदा0, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
58	**राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मोमीन फ्रंट 174, आनंदपुरी, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना।**	प्रखंड खुसरूपुर, फतुॅहा के विभिन्न ग्रामों के कब्रिस्तान की धेरबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–79, दिनांक 16.02.2010 द्वारा जिला पदा0, पटना को पत्र लिखा गया।
59	**श्री मो0 कमर हुसैन, मिलन सिनेमा के निकट, मधुबनी।**	मधुबनी जिला में वर्ष 1919 में बेची गई	आयोग के पत्रांक–210, दिनांक 14.05.2010 द्वारा जिला पदा0, मधुबनी

		जमीन पर बिक्रेता के वारिसों द्वारा दावेदारी के संबंध में।	आरक्षी, अधीक्षक, मधुबनी को पत्र लिखा गया।
60	**श्री एम0एम जैदी, कुलसुमनगर, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा।**	नलंदा जिला के बिहार शरीफ के बीवी कुलसुम के वक्फ जायदाद के मुतवल्लियों के वारिसों द्वारा जायदाद के हेरा-फेरी एवं उसे बेचे जाने पर रोक लगाने जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-209,दिनांक 14.05.2010 द्वारा कार्यपालक पदा0 बिहार राज्य सुन्नी वक बोर्ड, हज भवन, हार्डिग रोड पटना को पत्र लिखा गया।
61	**श्री मुख्तार आलम, ग्राम-खुडहूरिया, पो0-देवखैरा, जिला-रोहतास।**	ग्राम एवं मौना खुड़हूरिया, थाना एवं प्रखंड करगहर, जिला-रोहतास के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-195,दिनांक 07.05.2010 द्वारा जिला पदा0, रोहतास को पत्र लिखा गया।
62	**एच0वी0सोगरा गर्ल्स स्कूल दरभंगा।**	एच0वी0सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका विधालय, दरभंगा में अतिरिक्त पद सृजन के संबंध में मुख्यमंत्री जी जनता दरबार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-208,दिनांक 14.05.2010 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
63	**श्री नायदार खॉ, मोहल्ला, न्या भोजपुर, डुमरॉव, बक्सर।**	बक्सर जिला प्रशासन द्वारा 2008 में प्राथमिक्ता के आधार पर धेराबंदी के लिए चयनित कब्रिस्तान के कार्य के अभी तक प्रारम्भ नही किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-195,दिनांक 07.05.2010 द्वारा जिला पदा0, बक्सर को पत्र लिखा गया।
64	**श्री मो0 अकरम, ग्राम-गजडागढ़, थाना- बाराचटी, जिला-गया।**	गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड में अल्पसंख्यको के	आयोग के पत्रांक-194,दिनांक 07.05.2010 द्वारा जिला पदा0, गया आरक्षी अधीक्षक गया को पत्र लिखा गया।

		मोहल्ले में सरकार के गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाये जाने के संबंध में।	
65	**श्री मोजीव अंसारी, अध्यक्ष कब्रिस्तान समिति, ग्राम-सुकही, पंचायत-मोहम्मदपुर, पो0 खढियाँ, थाना- बडडी रोहतास, सासाराम।**	शिवसागर अंचल अर्न्तगत मोहम्मदपुर पंचायत के सुकही गॉव के धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-193,दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा0 रोहतास, सासाराम को पत्र लिखा गया।
66	**श्री मो0 नूरैन, मोहल्ला किला, बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।**	उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल (इमामबाड़ा), मोहल्ला-किला बेतिया, जिला पश्चिमी चम्पारण की प्रस्वीकृति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-207,दिनांक 14.05. 2010 द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
67	**श्री राकेश कुमार, आरा।**	आरा नगर निगम द्वारा बनाये जा रहे पी0सी0सी सड़क को सड़ंक के लिए उपलब्ध जमीन से अधिक बढ़ानें पर रोक के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-203, दिनांक 12. 05.2010 द्वारा जिला पदा0, भोजपुर, आरा को पत्र लिखा गया।
68	**श्री फारूक हुसैन अंसारी, ग्राम/पो0-धबपोखर, थाना-करमचट, प्रखंड-रामपुर, जिला-कैमूर।**	कैमूर जिलान्तर्गत ग्राम/पो0- धबपोखर, थाना- करमपट, प्रखंड-रामपुर के कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करने तथा धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-202,दिनांक 12.05. 2010 द्वारा जिला पदा0, कैमूर, भभुआ, आरक्षी अधीक्षक कैमूर भभुआ को पत्र लिखा गया।
69	**मो0 अमानुल्लाह जफर, ग्राम नाजिरपुर, पो0-कॉटा, थाना-गायधाट, ओ.पी बेनीबाद,जिला-मुजफ्फरपुर**	अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-200,दिनांक 11.05. 2010 द्वारा जिला पदा0, मुजफ्फरपुर, आरक्षी अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।

70	**श्री मो0 कलाम, ग्राम शिवनगर, थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर।**	समस्तीपुर जिला के ग्राम शिवनगर थाना उजियापुर के अल्पसंख्यको को प्रताड़ीत किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-197,दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा0 समस्तीपुर, आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
71	**घमदाहा अनुमंडल, जिला पूर्णिया।**	पूर्णिया जिला के घमदाहा अनुमंडल के बाजार में मस्जिद के मुख्य द्वार के निकट शराब की दुकान को स्थानान्तरित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-196,दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा0 पूर्णिया, आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया को पत्र लिखा गया।
72	**श्री डा0 कमरूल हसन, अध्यक्ष प्रदेश प्रतिनिधि, दरभंगा।**	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के थानाधयक्ष श्री सुबोध चौधरी द्वारा अल्पसंख्यक छात्र श्री जमाल हसन को झूठे मुकदमे में फॅसा कर विभिन्न भा0द0वि0 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत केश करने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-191,दिनांक 06.05. 2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक दरभंगा को पत्र लिखा गया।
73	**बिहार प्रदेश जनता दल युनाईटेड, नवादा।**	नवादा जिला के प्रखंड के ग्राम लोदीपुर के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-186,दिनांक 30.04. 2010 द्वारा जिला पदा0, नवादा को पत्र लिखा गया।
74	**मो0 अबुल फरह मलिक, बिहार पटना।**	संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सकों के काउन्सलिंग में पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के मलिक मुस्लिम जाति के उम्मिदवारों के जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-178, दिनांक 21. 04.2010 द्वारा निदेशक देशी चिकित्सा निदेशालय, स्वास्थ एवं चिकित्सा विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया।

75	**श्री सफिहन खातुन, ग्राम-बिक्रम, थाना- बिक्रम, जिला-पटना।**	अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-185, दिनांक 29.04.2010 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण पटना को पत्र लिखा गया।
76	**श्री जकी अहमद, ग्राम-सेमरा मदरसा , बेतिया।**	सिकटा प्रखंड के पुरैना पंचायत में सरकारी रास्ता एवं भूमि होने के बावजूद निजी भूमि में सड़क बनाये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-110,दिनांक 09.03.2010 द्वारा जिला पदा0 पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।
77	**बिशेशवर नाथ सिंह, बलराम अपार्टमेन्ट, बोरिंग रोड पटना।**	एस0एम अली ईमाम एवं अन्य द्वारा रउफ मुस्लिम जामिया द्वारा संचालित संस्थाओं का शोषण करने एवं कॉलेज संध संस्थापक को सहयोग करने के फलस्वरूप प्रताड़ना के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-110,दिनांक 25.06.2009 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
78	**मो0 वाहिद उर्फ बाबा जंगल शाह, हजात लालपुरी दरगाह, रशीदाचक थाना-न्यु बाईपास, अगमकुआँ पटना।**	मुस्लिम समुदाय के मकबरा एवं कब्रिस्तान को बाहुबलियों से बचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-103,दिनांक 08.03.2010 द्वारा जिला पदा0 वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
79	**मो0 हसीबुर रहमान ग्राम-फतेहपुर प्रखंड- दुल्हिन बजार जिला-पटना।**	कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-102,दिनांक 08.03.2010 द्वारा जिला पदा0 पटना को पत्र लिखा गया।
80	**मो0 रहमत अली उर्फ ग्राम-हसनगंज, पो0/थाना-पकरीबरावॉ, जिला-नवादा।**	पकरीबरावॉ थाना के ग्राम हसनगंज के कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने एवं कब्रिस्तान की मिट्टी के अवैध कटाई को रोकने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-101,दिनांक 08.03.2010 द्वारा जिला पदा0 नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा को पत्र लिखा गया।

81	**श्री मो0 रेजाउल्लाह, ग्राम-फतेहॉ थाना- कथैया, जिला- मुजफ्फरपुर।**	मोतीपुर थाना काण्ड सं0 159/07 के अन्तर्गत सूचना एवं लक्षियों जान माल को अभियुक्तो से सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-100,दिनांक 08.03. 2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
82	**श्री मो0 अजमतुल्लाह रहमानी, हाई कोर्ट मजार शरीफ मस्जिद, थाना- कोतवाली पटना।**	जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-99, दिनांक 08.03. 2010 द्वारा जिला पदा0 सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।
83	**वीवी शाहिदा खातुन, सेविका केंद्र संख्या-8 गोराडीह, भागलपुर।**	बाल विकास परियोजना, गोराडीह, भागलपुर की सेविका बीवी शाहिद खातुन, सेविका की सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-90, दिनांक 24.02. 2010 द्वारा जिला पदा0 भागलपुर को पत्र लिखा गया।
84	**श्री मो0 मौजाहिद रब्बानी, बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा।**	अल्पसंख्यक के साथ कथित भेदभाव के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-91 दिनांक 24.2. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा को पत्र लिखा गया।
85	**श्री एस0 एम0 हुसैन, असमत विला में कागजी, मुहल्ला-बिहारशरीफ नालंदा।**	मकान को किरायेदार से खाली कराने तथा बकाया किराया के भुगतान कराने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-167, दिनांक 16.4. 2012 द्वारा जिला पदा0 नालंदा, बिहारशरीफ आरक्षी अधीक्षक नालंदा, बिहारशरीफ को पत्र लिखा गया।
86	**श्रीमती आसमा खातुन पति-श्री मो0 जमालउद्दीन अंसारी, ग्राम-डेगमा, थाना-रोह, जि0-नवादा।**	रोह थाना रोड सं0-15/10 का उच्च स्तरीय कर निर्दोष व्यक्ति को बचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-176, दिनांक 21.4. 10 द्वारा आरक्षी अधीक्षक नवादा।
87	**श्री मो0 सेराज अंसारी, ग्राम-पड़रिया, थाना-धमौल, प्रखंड-पकरीबरावॉ, जि0-नवादा।**	नवादा जिला के पकरीबरावॉ प्रखंड के ग्राम-पड़रिया थाना-धमौल में नव सृजित उर्दू प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य को	आयोग के पत्रांक-175, दिनांक 21.4. 10 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा को पत्र लिखा गया।

		असमाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी मॉगते हुए रोके जाने के संबंध में।	
88	**श्री मो0 शमशाद आलम, अधिवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सॉई शाह कमीटी, 2ए, रानी प्लाजा, इग्ज़ीबीशन रोड, पटना।**	जहानाबाद जिला के घोषी के ग्राम-सैदपुर, श्रीपुर पंचायत-गोलपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-174, दिनांक 21.4.10 द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
89	**श्री मो0 आदिल, पिता-श्री मो0 शोमायल, लोहार पट्टी, पो0-किशनगंज बजार, किशनगंज।**	किशनगंज अन्तर्गत कालाबजार टेकनीकल असिसटेंट पद परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बावजूद श्री मो0 आदिल, पिताश्री मो0 शोमायल की नियुक्ति नही किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-173, दिनांक 21.4.10 द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज।
90	**श्री मो0 जहॉगीर अंसारी, ग्राम-सिवान, पंचायत-राजबरारी, पो0-गुरूबाजार, जिला-किटहार।**	कटिहार जिला के ग्राम-सिवान, पंचायत, राजबरारी, पो0-गुरूबाजार के अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-172, दिनांक 21.4.10 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार आरक्षी अधीक्षक, कटिहार को पत्र लिखा गया।
91	**श्री मो0 मुस्तक़ीम अंसारी, पिता-मो0 दिलावर मियॉ, ग्राम-गुलनी कलॉ, थाना-धमौल, नवादा।**	नवादा जिला के पकरीबरॉवा के थाना धमौल के निवासी बबलू यादव द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की स्कूल जाती बच्चियों के साथ छेड़-छोड़ के विरूद्ध कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-171, दिनांक 21.4.10 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा को पत्र लिखा गया।
92	**श्रीमती बानो ख़ातुन, ग्राम-खुशरूपुरी, पो0+थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।**	अल्पसंख्यक महिला को गलत ढंग से षडयंत्र रचकर प्रताड़ित किये	आयोग के पत्रांक-170, दिनांक 21.4.10 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना, आरक्षी अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।

		जाने से मुक्त करने के सबंध में।	
93	**श्री नसीम अखतर, ग्राम-बसवरिया (देवराज) थाना-लौरिया पश्चिमी चम्पारण।**	सड़क दुर्घटना में मारे गये गाड़ी के मालिक/चालक के विरूद्ध कारवाई करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-166, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, आरक्षी अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को पत्र लिखा गया।
94	**श्री मो0 अनवर भट्ट, सदस्य जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, बड़ी दरगाह, नवादा।**	नवादा जिला में कलस्टर योजना के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक नित्त निगम द्वारा लाभार्थियों के चयन में अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-165, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा को पत्र लिखा गया।
95	**श्री मो0 ज्याउद्दीन, अध्यक्ष ग्रामीण अल्पसंख्यक प्रकोष्ट, ग्राम पंचायत-बौरीडीह, थाना-खोदागंज, अंचल-इस्लामपुर, नालन्दा।**	नालन्दा जिला के ग्राम पंचायत- बौरीडीह, थाना-खोदागंज, अंचल-इस्लामपुर, के कब्रिस्तान की घेराबंदी के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-164, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालन्दा, आरक्षी अधीक्षक, नालन्दा को पत्र लिखा गया।
96	**श्री एस0 एम0 अलाउद्दीन, कुदरत मंजिल, पुरानीगंज, मुंगेर।**	मुंगेर जिला के मोहल्ला मनिया चौराहा, थाना-कासिम बाजार के कब्रिस्तान की पुनः प्राक्कलन कर घेराबंदी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-163, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को पत्र लिखा गया।
97	**श्री मो0 फैज रहमानी, ग्राम+पो0-गढ़वा, थाना-पिपराही, जिला-शिवहर**	श्री मो0 फैज रहमानी, ग्राम+पो0-गढ़वा, थाना-पिपराही, जिला-शिवहर को उग्रवादी तत्वों से सुरक्षा प्रदान के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-162, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, शिवहर आरक्षी अधीक्षक, शिवहर को पत्र लिखा गया।
98	**श्रीमती बोबासरा परवीन, पति-श्री फिरोज आलम, वार्ड न0-7,**	बलात्कार का प्रयास करने वाले अभियुक्तों को गिरफतार एवं कड़ी	आयोग के पत्रांक-161, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, आरक्षी

	शिवगंज मुहल्ला, थाना-शिकारपुर, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण।	सजा़ दिये जाने के संबंध में।	अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को पत्र लिखा गया।
99	**श्रीमति कनीज़ फातमा, ग्राम+पो0-चकरवॉ खास प्रखंड-भोरे, जिला गोपरलगंज।**	गेपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के ग्राम+पो0-चकरवॉ खास की गरीब अल्पसंख्यक महीला की जमीन को स्थानीय दबंगो के हस्तक्षेप से मुक्त कराने तथा सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-160, दिनांक 9.4.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज को पत्र लिखा गया।
100	**श्री मकसूद आलम, सचिव, बाउली कब्रिस्तान समिति कोआथ रोहतास।**	श्रोहतास जिलान्तर्गत कोआथ के बाउली के कब्रिस्तान घेराबन्दी के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-159, दिनांक 9.4.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास, आरक्षी अधीक्षक रोहतास को पत्र लिखा गया।
101	**श्री मो0 अनवर, फुलौड़ीगंज, पटना सिटी।**	श्री मो0 अनवर वल्द एकबाल अहमद, फुलौड़ीगंज, पटना सिटी के मकान को अतिक्रमण से मुक्त करने तथा जान माल की सुरक्षा के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-158, दिनांक 9.4.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
102	**श्री शकुर मियॉ, ग्राम-भीमाइन, पो0 चन्दौली, थाना-खैरा, जमुई।**	ग्राम-भीमाइन, पो0-चन्दौली, थाना- खैरा, जिला जमुई स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-149, दिनांक 25.3.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना।
103	**श्री राज कुमार पासवान, ग्राम-हथिया पत्थर, पो0-नीमनवादा, थाना-खैरा, जिला-जमुई।**	जमुई जिला के ग्राम-हथिया पत्थर, पो0-नीमनवादा, थाना-खैरा, जिला-जमुई स्थित कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-146,दिनांक 25.03.2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया।

104	**श्री मो0 जमालुद्दीन अंसारी ग्राम-कुरथा खेमकरण सराय, थाना-कुर्था जिला अरवल।**	अरवल जिला के ग्राम कुरथा खेमकरण सराय, थाना-कुर्था के कब्रिस्तान के धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-138,दिनांक 19.03.2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल आरक्षी अधीक्षक अरवल को पत्र लिखा गया।
105	**श्री मो0 इन्तेखाब अहमद, थाना- गोविन्द गंज, पूर्वी चम्पारण।**	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-135, दिनांक 18.03.2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पाराण, मोतिहारी, जिला आरक्षी अधीक्षक पूर्वी चम्पारण मोतिहारी।
106	**श्री मो0 अखतर हुसैन, ग्राम-कुशडीहरा, पालीगंज।**	पटना जिला के ग्राम कुशडीहरा पालीगंज स्थित कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने, दोषियों को दंडित करने तथा इसकी धेराबंदी के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-134,दिनांक 18.03.2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना, वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
107	**श्री नौशाद आलम, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विधालय, कैवड़ा, पुनपुन पटना।**	अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पटना सदर द्वारा कथित रूप से रिश्वत मांगे जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-133,दिनांक 18.03.2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
108	**श्री मो0 अब्दुल वहाब अंसारी, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग बुनकर महासंध जमाल मार्केट के0पी0रोड गया।**	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बुनकरों की ऋण माफी योजना कों कार्यान्वित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-140,दिनांक 18.03.2010 के द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार,पटना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
109	**नेशनल कमिशन फार माईनरीटीज, भारत सरकार नई दिल्ली।**	सबौर अंचल के वक्फ की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 154दिनांक 05.04.2010 के द्वारा जिला पदा0 भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
110	**श्री श्यामेन्द्र शर्मा, जहानाबाद।**	मेहनपुर वयनावाली पईन में पुलिस गेट के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-153, दिनांक 05.04.2010 के द्वारा जिला पदा0, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।

111	**श्री खुर्शीद अनवर बरबीधा, शेखपुरा।**	बरबीधा के मोहल्ला फैजाबाद के कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा धेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–152,दिनांक 05.04. 2010 के द्वारा जिला पदा0 शेखपुरा को पत्र लिखा गया।
112	**बजारा समुदाय, सामुहिक आवेदन जहानाबाद।**	बेधरों एवं भूमिहीन बंजारों को सरकार की ओर से आवास उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–151,दिनांक 05.04. 2010 के द्वारा जिला पदा0, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
113	**श्रीमती बीबी रोशन आरा, ग्राम–पो0–बभनगामा (पैठानटोला) थाना– बिहपुर, जिला–भागलपुर।**	श्री मो0 सिद्धिक अली मोटर चालक केंद्रीय जल आयोग बेगुसराय के साथ श्री अजय कुमार, सहायक अधिशासी अभियंता द्वारा मारपीट एवं परेशान करने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक–118,दिनांक 12.03. 2010 के द्वारा जिला पदा0, बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
114	**श्री मो0 साबिर एनामी, ग्राम–कैथा, प्रखंड इस्लामनगर अलीगंज, जिला–जमुई।**	जमुई जिला के प्रखंड इस्लामनगर अलीगंज के ग्राम एवं पचांयत–कैथा के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–131,दिनांक 17.03. 2010 के द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना, जिला पदा0, जमुई, उपविकास आयुक्त, जमुई को पत्र लिखा गया।
115	**श्री मो0 तजम्मुल खॉ, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ट, बिहार प्रदेश जनता दल यु० औरंगाबाद।**	औरंगाबाद जिला के रफीगंज में शेष कब्रिस्तानों की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–127, दिनांक 12. 03.10 के द्वारा जिला पदा0 औरंगाबाद को पत्र लिखा गया।
116	**श्री वसीम उद्दीन, पो0– सहथा, थाना– भगवानपुर, जिला–वैशाली।**	मॉ इन्टरप्राजेज, एन. एच. – 77 दीधी–काला, हाजीपुर के मालिक द्वारा श्री वसीम उद्दीन, हाजीपुर के ट्रैक्टर को अवैध रूप से छीने जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–125, दिनांक012. 03.10 के द्वारा जिला पदा0 वैशाली, हाजीपुर, आरक्षी अधीक्षक वैशाली, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।

117	**श्री मो0 फहद अली रहमानी, ग्राम-अली नगर, लखीसराय।**	उर्दू मंकतब में शिक्षक बहाली के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-124, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0, लखीसराय, जिला शिक्षा अधीक्षक, लखीसराय को पत्र लिखा गया।
118	**श्री गिलमान अहमद, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति, ताजपुर, समस्तीपुर।**	समस्तीपुर जिला के रहीमाबाद के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-123, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
119	**मुस्लिम समुदाय, गया।**	गया जिला के ग्राम-सोलरा , थाना- परैया के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-122, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0 गया, आरक्षी अधीक्षक गया को पत्र लिखा गया।
120	**श्री इस्लाम मियॉ, ग्राम- सिंधिया सागर, थाना- बनजरिया तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण ।**	पूर्वी चम्पारण जिला के ग्राम-सिंधिया, थाना बनजरिया, तुरकौलिया के मुस्लिम समाज के लोगों को अंचलाधिकारी, श्री मनोज कुमार द्वारा तंग तबाह किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-121,दिनांक 12.03.2010 के द्वारा जिला पदा0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को पत्र लिखा गया।
121	**श्री मो0 एजाजुल ग्राम-भगवानपुर सिमरा, थाना-पारू जिला- मुजफ्फरपुर।**	ग्राम-दामोदरपुर थाना-पारू, जिला-मुजफ्फरपुर के कब्रिस्तान को अतिक्रमण के मुक्त कराने तथा धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-119,दिनांक 12.03.2010 के द्वारा जिला पदा0 मुजफ्फरपुर, आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
122	**श्री मो0 जैनुल अंसारी, ग्राम-छोटका सिंह पुरा बक्सर।**	अल्पसंख्यको की बस्ती को उजाड़ने तथा रास्ता अवरूद्ध करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-17, दिनांक 11.01.2012 के द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग को कारवाई हेतु लिखा गया को पत्र लिखा गया।
123	**श्री हसनैन तफवाजफर, जिला समस्तीपुर।**	मदरसा नुरूल उलूम तफवाजफर हरदी जिला समस्तीपुर के नाम पर	आयोग के पत्रांक-18, दिनांक 11.1.2012 के द्वारा जिला पदा0, पुलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया को पत्र लिखा गया।

		नाजायज चंद्रा वसुलने के संबंध में।	
124	**श्री मो0 मोइनउद्दीन ग्राम-मोरनिरूप, मनियारी मुजफ्फरपुर।**	बहुदेशीय भवन के आवटंन में अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-14, दिनांक 10.1.2012 के द्वारा जिला पदा0 उपविकास आयुक्त को पत्र लिखा गया को पत्र लिखा गया।
125	**माननीय सांसद श्री जय नारायण निसाद, मुजफ्फरपुर।**	मुजफ्फरपुर में सोगरा वकस्टेट को खुर्द वुर्द से बचाने के संबंध में।	मुख्य कार्यपालक पदा0 बिहार राज्य सुन्नी वक बोर्ड पटना।
126	**मो0 रेहास सचिव एकता सहकारी गृह निंमाण समिति पटना।**	अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा क्रय किए गए भुखण्ड पर असमाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा़ करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-47, दिनांक 21.2.2012 के द्वारा कारवाई हेतु प्रधान सचिव गृह (आरक्षी) विभाग को भेजा गया।
127	**मो0 अलाउद्दीन ग्राम करनगंज एवं गरसराय जिला नालंदा**	निजी भूमि पर मकान निंमाण में व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-48, दिनांक 22.2.2012 के द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु पत्र लिखागया।
128	**सब्बीर अहमद प्राचार्य मदरसा मुस्लमीन जिला मधुबनी।**	मौलवी/फौकानिया परीक्षा 2012 के केन्द्र निर्धारण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-79, दिनांक 24.3.2012 द्वारा अध्यक्ष बिहार मदरसा बोर्ड को आवश्यक कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
129	**सैयद अबदुल जब्बार असकरी ग्राम मिलकी सदुरी जिला बेगुसराय।**	कब्रिस्तान की भूमि पर इन्दिरा आवास के निर्माण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-90, दिनांक 22.5.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
130	**श्री इसराइल अंसारी ग्राम बरनैया जिला गोपालगंज**	अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों के साथ मारपीट एवं दूव्यवहार करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-130, दिनांक 23.7.2012 द्वारा प्रधान सचिव गृह (आरक्षी) विभाग को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
131	**श्री अजमी बारी (अल्पसंख्यक प्रकोष्ट) बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटि (इ) पटना**	सर्वशिक्षा अभियान के अधिकारियों द्वारा उर्दू भाषी विधार्थियों के मातृभाषा की पुसतक अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक	आयोग के पत्रांक-128, दिनांक 19.7.2012 द्वारा प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को पत्र लिखा गया।

		मिसबाहुल अरबिया को वितरण करने के संबंध में।	
132	**मो0 ख़लील, ग्राम चकफेज़ थाना पातेपुर जिला वैशाली**	वैशाली जिला के पातेपुर थानान्तर्गत चकफेज में धार्मिक उन्माद फैलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–129, दिनांक 19.7.2012 द्वारा प्रधान सचिव गृह (विशेष) विभाग को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
133	**श्री अनवर अंसारी ग्राम हसनपुर पंचायत खोपी प्रखण्ड जनदाहा जिला वैशाली।**	कब्रिस्तान की भूमि पर मन्दिर निर्माण के सबंध में।	आयोग के पत्रांक–150, दिनांक 9.8.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक वैशाली को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
134	**श्री इसराइल अंसारी ग्राम बरनैया राजाराम थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज।**	मारपीट कर आवेदक के मकान के सामने जे0 सी0 बी0 मशीन द्वारा गड्डा खोदने तथा मुख्य मार्ग बाधित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–151, दिनांक 14.9.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक गोपालगंज को पत्र लिखा गया।
135	**मे0 सहाबुद्दीन नया भोजपुर थाना डुमराव जिला बक्सर**	अवैध ढंग से मस्जिद की ज़मीन पर दखल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–154, दिनांक 17.9.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी बक्सर को कारवाई हेतु लिखा गया।
136	**श्रीमती जमीला खातुन एवं अन्य बक्सर प्रखण्ड अर्न्तगत दलसार पंचायत जिला बक्सर।**	अल्पसंख्यक परिवार के छः लाभुकों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राशि का भुगतान नही करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–155, दिनांक 17.9.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
137	**प्रधानाध्यापक राजकीय विधालय श्रीखंडा नोखा रोहतास।**	उर्दू विद्यालय की भूमि के सीमांकन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–156, दिनांक 17.9.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास को पत्र लिखा गया।
138	**मकसुद आलम सिक्रेटरी कब्रिस्तान कमिटी जहानाबाद जिला कैमुर**	कैमुर जिला के कुदरा अंचलान्तर्गत जहानाबाद स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी में अंचलाधिकारी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–164, दिनांक 5.10.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी कैमुर को पत्र लिखा गया।

139	**मो0 इलियास ग्राम रेकमारी थाना पातेपुर जिला वैशाली।**	पतेपुर थाना काण्ड सं0 के अर्न्तगत धारा 366 (A) एवं 120 (B) के अभियुक्त को गिरफतारी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–178,दिनांक 17.10. 2012 द्वारा पुलिस अधीक्षक वैशाली को पत्र लिखा गया।
140	**आरिफ़ हुसैन राज्य अध्यक्ष बिहार परिषद अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा सेवा।**	अल्पसंख्यक समुदाय के अतिपिछड़ी जाति के भूमिहीन को दबंगों द्वारा उत्पीड़ित करने के संबध में।	आयोग के पत्रांक–165,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
141	**श्री बरकत अली एवं अन्य ग्राम कुलहरिया जिला बक्सर**	कब्रिस्तान की भूमि से रास्ता देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–167,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी को कारवाई हेतु लिखा गया।
142	**मो0 सुलेमान ग्राम शिवैसिंगपुर थाना मोहउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर**	समस्तीपुर जिला के मोहीउद्दीन नगर थाना अर्न्तगत ग्राम शिवैसिंगपुर मुहल्ला शेखटोली स्थित कब्रिस्तान में अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–166,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को कारवाई हेतु लिखा गया।
143	**सफीना खातुन, ग्राम माधेपुर थाना–छातापुर जिला सुपौल।**	अल्पसंख्यक महिला को प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–168,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक सुपौल को पत्र लिखा गया।
144	**जमादार मियॉ, ग्राम–बन्थु सलोना, थाना–आन्दर जिला।**	अल्पसंख्यक परिवारों के साथ असमाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करने तथा सामुदायिकता का रंग देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–177,दिनांक 17.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु लिखा गया।
145	**श्रीमती जरीना खातुन, पति श्री मो0 मुस्तकीम, उर्दू अनुवादक, मेजरगंज प्रखंड, जिला–सीतामढ़ी।**	पुपरी में पदस्थापित एवं मेजरगंज प्रखंड में प्रतिनियुक्त उर्दू अनुवादक मो0 मुस्तकीम के बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–131,दिनांक 23.5. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।

146	**डा0 सच्चिदानन्द, आयुष चिकित्सक, बिहार।**	एन0 आर0 एच0 एम0 के आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सबंध में।	आयोग के पत्रांक–133,दिनांक 23.5.2011 द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
147	**श्री मो0 इम्तियाज खॉ, ग्राम+पो0–परेव बिहटा, जिला–पटना।**	पटना जिलान्तर्गत बिहटा थाना के ग्राम–परेव के कब्रिस्तान की घेराबन्दी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–129,दिनांक 17.5.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
148	**श्री नुर आलम, पिता–श्री गुलाम मुस्का, पसनौली गगन, थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान।**	सिवान जिलान्तर्गत महाराजगंज नगर पंचायत के अधीन सा0 इन्दौली में खरीद की गई जमीन के अतिक्रमण से मुक्त किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–96,दिनांक 21.4.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी सिवान/पूलिस अधीक्षक सिवान को पत्र लिखा गया।
149	**आदिल असगर, अध्यक्ष, कब्रिस्तान हिफाजती कमेटी, म्युजियम रोड, मिना प्लाजा के निकट पटना।**	प्रखंड दनियावा में कब्रिस्तान घेराबंदी के कार्य को कब्रिस्तान फिाजती कमेटी के निगरानी में करनो के सबंध में।	आयोग के पत्रांक–164,दिनांक 20.6.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को पत्र लिखा गया।
150	**श्री मो0 मुस्तफा, प्रखंड अकलियति ऱलाह एवं कब्रिस्तान निगरानी कमिटि, एकंगरसराय, जिला नालंदा।**	नालंदा जिला के एकंगरसराय कब्रिस्तान की घेराबंदी प्रखंड अकलियती फलाह एवं कब्रिस्तान निगरानी कमीटी की देख–रेख में कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–342,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी नालंदा, बिहार शरीफ़/पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ़ को पत्र लिखा गया।
151	**श्री लियाकत अंसारी, इस्लामगंज, मोकर, सासाराम (रोहतास)।**	नव उर्दू प्राथमिक विद्यालय, इस्लामगंज पंचायत, मोकर, सासाराम में उर्दू शिक्षक/ शिक्षिका के स्थान पर अन्य के पदस्थापन को रद्ध किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–341,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास, सासाराम को पत्र लिखा गया।

152	**सिपाही 176 श्री निसार अहमद, पुलिस केन्द्र, दरभंगा।**	श्री मो0 निसार अहमद, सिपाही 176 के साथ भेद-भाव किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-340,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।
153	**श्री मक़सूद आलम, ग्राम-शेख बिगहा, पो0 सेन्नगर, जिला-औरंगाबाद।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-339,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया।
154	**श्रीमती शमीमा खातुन, पति श्री मो0 क़ययुम, मुहल्ला-शह की इमली, थाना खाजेकलॉ, पटना सिटी।**	महिला अत्याचार एवं दहेज उत्पीड़न से मुक्त कराये जाने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-338,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना/पुलिस अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
155	**मो0 तनवीर अहमद, ट्रेनिंग स्कूल, महेन्द्रु, पटना।**	पटना विश्वविधालय के प्रोफेसर श्री अमरनाथ सिंह द्वारा विश्व-विधालय कैम्पस में दाखिले पर रोक तथा पी0 एच0 डी0 के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-336,दिनांक 28.12.2011 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
156	**श्री मो0 अजीम अहमद, पिता स्व0 हदीस अहमद, ग्राम-नारायणपुर पो0 सहियार, जिला बक्सर।**	प्राथमिक विधालय में सहायक उर्दू शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या- 2010/10 के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-335,दिनांक 26.12.2011 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
157	**श्री मो0 नसीर, पिता स्व0 मो0 इब्राहिम ग्राम-जोकिया, टोला-घुसहा, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगुसराय।**	बेगुसराय जिलान्तर्गत ग्राम-जोकिया टोला, थाना भगवानपुर के दोनों आँखों से दृष्टिहीन मो0 नसीर के परिवार की सुरक्षा एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-335,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय/पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय को पत्र लिखा गया।

158	**सुश्री खुरशीदा प्रवीण सहायक उर्दू अनुवादक, दानापुर प्रखंड, जिला-पटना।**	सुश्री खुरशीदा प्रवीण सहायक उर्दू अनुवादक, दानापुर प्रखंड, के साथ प्रखंड विकास पदधिकारी, दानापुर के दुव्यवहार के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-321,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
159	**श्री कलीम अंसारी, पिता श्री मो0 सरफुद्दीन अंसारी, ग्राम-कालापुर, (अदला) थाना-नौबतपुर जिला, पटना।**	पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर थाना के ग्राम अदला के कब्रिस्तान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-320,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
160	**श्री अब्दुल जब्बार, ग्राम-राढ़ी, थाना-जाले, जिला-दरभंगा।**	जबरन मस्जिद भूमि अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-319,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।
161	**श्री तनवीर हसन, ग्राम-सरवॉ मार्केट पो0 सरवॉ थाना-बाराचट्टी, जिला गया।**	एफ0 आई0 आर0 दर्ज नही किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-318,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया/पुलिस अधीक्षक, को पत्र लिखा गया।
162	**श्री मो0 शकीलुर रहमान, पिता-स्व0 मो0 कमालउद्दीन ग्राम+पो0-लखमिनियॉ, जिला बेगुसराय।**	मृत सरकारी सेवक के भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-317,दिनांक 14.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
163	**श्री मो0 रज्जाक, ग्राम-सुखासनराय टोला, थाना-बरारी, जिला कटिहार।**	नीजी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-348,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को पत्र लिखा गया।
164	**श्री मो0 अब्दुर रब, ग्राम बंसीटीकर, पो0 विशनपुर जीछो, भाया सबौर, भागलपुर।**	उर्दू मध्य- विधालय, बंसीटीकर प्रखण्ड, सबौर में शिक्षकों के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-347,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र लिखा गया।

165	**श्री मो0 शफीउर रहमान, विकास पदाधिकार, प्रशासनिक नेशनल इन्शोरेन्स क0 लि0, बिहार शरीफ।**	मह अक्टुबर 11 के वेतन भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–346,दिनांक 26.12.2011 द्वारा मैनेजर, नेशनल इन्शोरेन्स क0 लि0, बिहार शरीफ को पत्र लिखा गया।
166	**श्रीमती आसमा खातुन, पत्नि स्व0 मकबुल हसन, निकट संस्कृत स्कूल का पश्चिमी भाग, जलधारी चौक, वार्ड न0–21, मधुबनी।**	संस्कृत उच्च विधालय मधुबनी वार्ड न0–21 के शिक्षकों द्वारा द्ववेश की भावना से पुराने रास्ते को अवरूद्ध किये जाने से रोक लगाने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक–345,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी/पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को पत्र लिखा गया।
167	**श्री मो0 मुमताज, ग्राम–तियाय, थाना–करण्डे, जिला–शेखपुरा।**	करण्डे थाना कोड सं0 4/11 में नामजद मुदालयगणों के विरूद्ध कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–316,दिनांक 14.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को पत्र लिखा गया।
168	**श्री अब्दुल कय्यूम उर्फ कुद्दुस पिता–स्व0 शेख घसीटा, ग्राम–दुललहपुर, पो0 मंसूरपुर हलैया थाना–गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) जिला वैशाली।**	अल्पसख्यक गरीब परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–343,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
169	**श्री मो0 सिकन्दर (चुड़ीहार) मुखिया, ग्राम पंचायत–बसॉवकला, थाना–सिकरौल प्रखण्ड इताढ़ी जिला बक्सर।**	बक्सर जिलान्तगत इताढ़ी प्रखंड के ग्राम–बसांवकला के कब्रिस्तान कर्बला तथा ईदगाह की घेराबन्दी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–344,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर/पुलिस अधीक्षक, बक्सर को पत्र लिखा गया।
170	**श्री मो0 हबीबुल्लाह, सेवानिवृत सहायक शिक्षक, देबरिया, जिला–साण, छपरा।**	अर्जित अवकाश के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–315,दिनांक 14.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को पत्र लिखा गया।
171	**श्री एजाजुल खॉ, ग्राम–बैरिया, गोपालगंज।**	गोपालगंज जिलान्तगत फुलवरिया प्रखंड के ग्राम पकौली में कब्रो की घेराबंदी में बाधा खड़ी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–312,दिनांक 12.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपरलगंज /पूलिस अधीक्षक, गोपरलगंज को पत्र लिखा गया।

172	**श्री मो0 एब्रार खॉ ततकालीन प्राचार्य, रामधारी सरस्वती महिला इन्टर कालेज, विराटपुर, सहरसा।**	सहरसा जिला के रामधारी सरस्वती महीला इन्टर महाविधालय के प्राचार्य को असंवैधानिक रूप से निलम्बित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–311,दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
173	**श्री मो0 जुनैद, पिता स्व0 म0 मुख्तार, ग्राम–खोसटोला भलूरा, थाना–औराई, जिला मुजफफ्रपुर।**	अपहृत नाबालिग लड़की को मुक्त कराने एवं दोषी अभियुक्त के विरूद्ध कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–310,दिनांक 12.12.2011 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, मुज़फ्रपुर को पत्र लिखा गया।
174	**श्री सैबुन निशा, पति स्व0 मो0 लतीफ उर्फ नाथो मियॉ–ग्राम, सतगामा, जिला जमुई।**	जायदाद को जबरन कब्जा करने हेतु सौतेली मॉ श्रीमती सैबून निषा, पति स्व0 नाथों मियॉ उर्फ लतीफ मियॉ को मृत घोषित किये जाने के विरूद्ध कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–299,दिनांक 8.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई/वरीय पुलिस अधीक्षक, जमुई को पत्र लिखा गया।
175	**प्रो0 मो0 शेख जहॉगीर, अधीवक्ता एवं जिला अध्यक्ष मुस्लिम डेवलप्मेंट सोसाईटी ऑफ इण्डिया, इस्लामनगर अलीगंज, जिला–जमुई।**	मुस्लिम छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–301,दिनांक 8.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया।
176	**श्री मो0 हुसैन, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, जमुई।**	राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–309,दिनांक 12.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया।
177	**श्री मो0 मोजीब अंसारी, ग्राम–मिर्जापुर थाना एवं जिला–सितामढ़ी।**	सीतामढी जिला एवं थानार्न्तगत मिर्जापुर ग्राम में अल्पसंख्यकों के मुहल्ला एवं सार्वजनिक रास्ता को अवरूद्ध कर ब्रहम्स्थान का र्निमाण करने के उत्पन्न तनाव के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–305,दिनांक 12.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।

178	**श्री मो0 शर्फुद्दीन, सचिव, छोटी मस्जीद वक्फ, न0-2481/8, शिवहर।**	शिवहर के वक्फ सं0 2481/8 के प्रसंग में प्राप्त आवेदन पर आवश्यक कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-337,दिनांक 29.12.2011 द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य सुन्नी वक्फ़ बोर्ड, हज भवन, हार्डिंग रोड, पटना को पत्र लिखा गया।
179	**श्री मो0 असलम अंसारी, पटना जिला जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ-सह-कब्रिस्तान फिाजती कमिटी- सह-पसमांदा मुस्लिम महाज, जामा मस्जिद रोड, रहमतगंज, मसोढ़ी पटना।**	पटना सदर प्रखंड के अंर्तगत ग्राम- सोलहपुर कसारा में कब्रिस्तान के उपर से फोर-लेन सड़क निर्माण की योजना में संशोधन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-331,दिनांक 22.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
180	**श्री एम0 अमानुल्लाह अंसारी, ग्राम-गम्हरिया, ग्राम पंचायत-मॉगोबन्दर, थाना-खैरा, जिला-जमुई।**	जमुई जिलर्न्तगत ग्राम-गम्हरिया, ग्राम पंचायत-मॉगोबन्दर, थाना- खैरा के गैरमजरूआ जमीन के धार्मिक उन्माद हेतु उपयोग पर रोक के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-304,दिनांक 12.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई आरक्षी अधीक्षक, जमुई को पत्र लिखा गया।
181	**श्रीमती हबीबा खातुन, पति-मो0 अखतर, लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, पटना।**	श्री मो0 अखतर, लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, को प्रताड़ित किये जाने एवं बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-295,दिनांक 8.12.2011 द्वारा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को पत्र लिखा गया।
182	**श्री जहॉगीर आलम, अध्यक्ष, छोटी कब्रिस्तान कमिटी, बेतिया।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-294,दिनांक 8.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया/पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण बेतिया को पत्र लिखा गया।
183	**श्री मो0 हेलाल अस्दक, लेखा सहायक, निगम मुख्यालय, बिहार स्टेट हैण्ड एवं हैण्डी कारपो0 लि0 उधोग भवन पटना-4।**	दीपावली पर्व के अवसर पर अग्रिम नही दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-300,दिनांक 8.12.2011 द्वारा औधोगिक विकास आयुक्त, अधेग विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।

184	**श्री रूस्तम अली मंसुरी, पिता-बरकत अली मंसुरी ग्राम-अमथुआ, थाना, काको जिला-जहानाबाद।**	विकलांग गरीब के भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-298,दिनांक 8.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
185	**श्रीमती सबुजन खातुन, पति श्री शाह अहमद मियॉ, राजकीय पॉलिटेकनीक छपरा।**	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को गृह जिला में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-297,दिनांक 8.12.2011 द्वारा सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
186	**श्री इशाक शाह, ग्राम-सिकरिया, पो0 भेवड़ सिकरिया, जिला-जहानाबाद।**	जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम सिकरिया में कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-296, दिनांक 8.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
187	**श्री वहीद आलम, बिहार प्रदेश मिल्ली इत्तेहाद**	भोजपुर जिला के कब्रिस्तानों की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-293, दिनांक 8.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/पुलिस अधीक्षक, भोजपुर आरा को पत्र लिखा गया।
188	**श्री मो0 गिलनाज अहमद, प्रदेश महासचिव, बिहार जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, थाना चौक ताजपुर, जिला-समस्तीपुर।**	कब्रिस्तान की भूमि को अनाधिकृत ऑनबाड़ी रेल के स्थापित किये जाने से मुक्त किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-292,दिनांक 30.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
189	**श्री नुर आलम, पिता श्री गुलाम मुस्तफा, सा0 पसनौली गगन, थाना-महराजगंज जिला सिवान।**	निजी जमीन को हड़पे जाने पर कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-291,दिनांक 30.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान/पुलिस अधीक्षक, सिवान को पत्र लिखा गया।
190	**श्री डा0 एस0 एम0 शमशाद विधापुरी मुहल्ला, वार्ड न0 18, मधेपुरा।**	नगर परिषद के नियमों के विरूद्ध संदिग्ध व्यापार में लिप्त गोदाम का गैर नीजि मकान से सटे खोले जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-290,दिनांक 30.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/पूलिस अधीक्षक, मधेपुरा को पत्र लिखा गया।
191	**श्री मो0 कोनैन खॉ, ग्राम+पो0-सहदेव खेप, थाना-मगध, विश्व-विधालय, बोधगया, गया।**	आरक्षी पद पर बहाली में अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-289,दिनांक 30.11.2011 द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।

192	**श्री मकसूद आलम, ग्राम-रसुलपुर हबीब, थाना-देसरी, जिला-वैशाली।**	वैशाली जिलान्तर्गत, थाना- देसरी के रसूलपुर हबीब कब्रिस्तान की घेराबंदी में अवरोध पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दंडात्मक कारवाई के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-287, दिनांक 29.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
193	**श्री मो0 शमशेर पिता-श्री मो0 सत्तार, मो0 रायपुर इर्दगााह, पो0+थाना-नतुहा, जिला-पटना।**	मौर्य लोक परिसर के ब्लाक सी-1/बी सीढ़ी के नीचे की खाली जगह के आवेदन पर पुर्नविचार के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-288,दिनांक 29.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना, नगर आयुक्त, पटना को पत्र लिखा गया।
194	**श्री मो0 महफूज आलम, नागमतिया, गया।**	प्रताड़ना से मुक्त किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-285,दिनांक 19.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया/पुलिस अधीक्षक, गया।
195	**श्री हफीजुर रहमान, प्रोपराईटर मेसर्स एवं टू0 जेड फर्निचर एण्ड लगेज, मो0 आलमगंज, बिहार शरीफ।**	बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा दुकान तोड़े जाने के प्रसंग में नोटिस के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-268,दिनांक 18.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा, बिहार शरीफ/पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ/।
196	**श्री मो0 मोइनउद्दीन, पिता-स्व0 मो0 उस्मान ग्राम-मोर निस्फ पो0-केरमा, थाना-मनियारी, जिला-मुजफफरपुर।**	बहुदेशीय भवन जिला परिषद, मुजफफ्रपुर में स्थान के अनियमित ढंग से आवंटन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-284,दिनांक 5.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफफ्रपुर।
197	**श्री मो0 शम्स तबरेज़ एवं श्री शमीम अखतर दोनों के पिता श्री मो0 हबीबुर रहमान, ग्राम-मिर्जापुर, पो0-पैकटोला, जिला-अररिया।**	विकलांगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-282,दिनांक 2.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया को पत्र लिखा गया।
198	**श्री नजीर अहमद अंसारी, सदस्य, जिला परिषद एवं जिला योजना समिति ग्राम-लतराहा, पो0-दोधड़ा, प्रखण्ड+थाना-जाले जिला दरभंगा।**	दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-283,दिनांक 2.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पूलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।

199	**श्री जमशेद आलम, प्रदेश सचिव, हजरत जनदाहा, जिला-वैशाली/श्री मो0 वसीम राजा, ग्राम-सरमस्तपुर, प्रखंड महनार जिला वैशाली।**	वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखंड के ग्राम-सरमस्तपुर के कब्रिस्तान की घेराबन्दी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-267,दिनांक 17.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजिपुर/पूलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजिपुर को पत्र लिखा गया।
200	**मो0 सोहेल अहमद, पो0-कांजीसराय, थाना-काको, जिला- जहानाबाद।**	जहानाबाद जिला अर्न्तगत ग्राम- अमथुआ, पो0-कांजीसराय, थाना-काको, जिला जहानाबाद के अल्पसंख्यक परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-168,दिनांक 23.06.2011 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
201	**श्री मो0 सलीम अहमद, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेर**	श्री मो0 सलीम अहमद, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेर द्वारा श्री एम सुनील कुमार नायक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुगेंर पर लगाये आरोपों की जॉच के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-200, दिनांक 04.08.2011 द्वारा के आरक्षी महानिदेशक, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
202	**श्री मो0 इकबाल, थाना-बाराहाट, जिला-बॉका।**	बंका जिलान्तर्गत बाराहाट में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक की निजि भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा मरे हुए बच्चे के शव को गाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-245,दिनांक 19.10.2011 द्वारा के जिला पदा0 बॉका, पुलिस अधीक्षक, बॉका को पत्र लिखा गया। ।
203	**श्री मो0 नसीर ग्राम जोकिया टोला, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय।**	श्री मो0 नसीर ग्राम जोकिया टोला, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय से प्राप्त परिवाद पत्र के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-79,दिनांक 06.01.2012 के द्वारा सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।

204	**श्रीमती शमीमा खातुन, मुहल्ला शाह की इमली, थाना खाजेकला जिला पटना।**	महिला अत्याचार एवं दहेज उत्पीड़न से मुक्त कराये जाने के संबंध में श्रीमती शमीमा खातुन को परिवाद पत्र की जॉच प्रतिवेदन।	आयोग के पत्रांक–338, दिनांक 26.12.2011 के द्वारा सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, के माध्यम से बिहार सरकार को पत्र लिखा गया।
205	**श्री तनवीर हसन, सरवॉ मार्केट, पो0 सरवॉ बाजार, थाना–बाराचट्टी, जिला गया।**	टावेदक मो तनवीर हसन, सरवॉ मार्केट, पो0 सरवॉ बाजार, थाना–बाराचट्टी, जिला गया का परिवाद पत्र प्रतिवेदन।	आयोग के पत्रांक–318, दिनांक 15.12.2011 के द्वारा सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा गया।
206	**श्री मकसूद आलम ग्राम रसूलपुर हबीव थाना देसरी, जिला वैशाली।**	वैशाली जिलान्तर्गत रसूलपुर हबीव कब्रिस्तान की धेराबंदी में अवरोध पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–287, दिनांक 29.11.2011 के द्वारा सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा गया।
207	**श्री मो0 कय्यूम उर्फ कुदुस, ग्राम दुलहपुर, थाना गोरैल कटहरा, जिला वैशाली।**	अल्पसंख्यक गरीब परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–348,दनांक 26.12.2011 द्वारा सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ने पत्र लिखा।
208	**श्री मो0 अख्तर, पाईप लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, नगर निगम पटना।**	मो0 अख्तर, लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, पटना नगर निगम को प्रताड़ित किये जाने एवं बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–60,दिनांक 06.01.2012 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार सरकार को पत्र लिखा गया।
209	**सुश्री सुब्बुह अंजुम, चनपटिया पश्चिमी चम्पारण।**	मेरिट कम मींस स्कौलरशीप के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–266,दिनांक 17.11.2011 द्वारा के प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को पत्र लिखा गया।

210	**श्री सरफराज आलम, मेसर्स बाबू कोल्ड स्टोरेज, किशनगंज बिहार।**	मेसर्स बाबू कोल्ड स्टोरेज, किशनगंज बिहार को आरम्भ से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण एवं संचालन में बैंक द्वारा अल्प लॉन के भुगतान के कारण इकाई की स्थापना एवं संचालन में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–156,दिनांक 3.06. 2011 द्वारा के श्री आर0बी0गुप्ता जोनल मैनेजर, सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया मौर्या लोक कम्पलेक्स, बी ब्लौक पटना को पत्र लिखा गया। ।
211	**श्री मो0 अकबर आजाद, नालंदा, बिहार शरीफ।**	नालंदा जिलान्तर्गत मोहल्ला गगन दीबान, थाना लहेरी बिहार शरीफ के कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करते हुए धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–250,दिनांक 20.10. 2011 द्वारा के जिला पदा0, नालंदा, बिहार शरीफ, पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ को पत्र लिखा गया। ।
212	**श्री रफत अंसारी, वार्ड नं0 15, दक्षिण भभुआ।**	भभुआ जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान तथा ईमामबाड़ों की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–260,दिनांक 04.11. 2011 द्वारा के जिला पदा0, भभुआ को पत्र लिखा गया। ।
213	**श्री दानिश रिजवान, तरी मोहल्ला आरा, जिला भोजपुर।**	श्री डी.एन.पाठक, सहायक कार्यक्रम सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केंद्र, पटना के अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–258,दिनांक 25.10. 2011 के द्वारा सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110015 को पत्र लिखा गया। ।
214	**श्री मो0 इशहाक, लिची बगान, पंचायत भूपभैरा, प्रखंड डुमरा, सीतामढ़ी।**	साम्प्रदायिक दंगे से प्रभावित एवं पुनर्वासिल मुहल्ले में जन वितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस जारी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–252,दिनांक 20.10. 2011 के द्वारा जिला पदा0 सीतामढी को पत्र लिखा गया।

215	**श्री मो0 इस्माईल उर्फ कल्लू मियॉ, हुसैन मस्जिद पो0/थाना-खुसरूपुर, जिला पटना।**	अल्पसख्यंक सामान्य नागरिक को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-248,दिनांक 20.10.2011 के द्वारा जिला पदा0, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
216	**श्री निजामउद्दीन, ग्राम जीवछपुर, पो0 हरपटी (चोपड़ा रामनगर) थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया।**	निर्दोष नागरिक की मानहानि तथा मानसिक, शारिरिक एंव आर्थिक क्षति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-244,दिनांक 19.10.2011 के द्वारा जिला पदा0, पूर्णिया को पत्र लिखा गया।
217	**श्री अब्दुल जब्बार, ग्राम राढ़ी, थाना जाले, जिला दरभंगा।**	दरभंगा जिला अन्तर्गत ग्राम राढ़ी थाना जाले के अल्पसंख्यक परिवार को बहुसंख्यक द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-243,दिनांक 19.10.2011 के द्वारा जिला पदा0 दरभंगा, वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।
218	**श्री अखलाक अहमद, सीवान।**	सीवान के एमानुएल कन्वेंट स्कूल में उर्दू भाषी छात्र-छात्राओं के लिए उर्दू भाषा की शिक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-242,दिनांक 19.10.2011 के द्वारा जिला पदा0 सीवान, जिला शिक्षा पदा0 सीवान को पत्र लिखा गया।
219	**श्री जाकीर हुसैन, ग्राम बलुआहाती, थाना पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**	पूर्वी चम्पारण के ग्राम बलुआहाती, थाना पहाड़पुर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-240,दिनांक 19.10.2011 के द्वारा जिला पदा0 पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण्प, मोतिहारी को पत्र लिखा गया।
220	**श्री तजम्मुल खॉ, प्रदेश सचिव जनता दल, औरंगाबाद।**	औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखांड के विभिन्न ग्रामों के कब्रिस्तानों कोअतिक्रमण से मुक्त करने एवं धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-247,दिनांक 19.10.2011 के द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग को पत्र लिखा गया।
221	**श्री मो0 इकबाल, थाना-बाराहाट, जिला बॉका।**	बॉका जिलान्तर्गत बाराहाट में एक मुस्लिम अल्पसख्यंक की निजि भूमि पर आसामाजिक	आयोग के पत्रांक-245,दिनांक 19.10.2011 के द्वारा जिला पदा0 बॉका, पुलिस अधीक्षक, बॉका को पत्र लिखा गया।

		तत्वों द्वारा मरे हुए बच्चे का शव को गाड़ने के संबंध में।	
222	**अल-हफीज कॉलेज अल्पसंख्यक विद्यालय आरा ।**	अल-हफीज कॉलेज अल्पसंख्यक विधालय आरा,में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को धाटानुदान प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-257,दिनांक 24.10. 2011 के द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
223	**श्री मो0 सुलतान अंसारी, ग्राम असहनी टोले वंशि छपरा, थाना रसुलपुर, जिला सारण, छपरा।**	ग्राम असहनी टोले वंशि छपरा, थाना रसुलपुर, जिला सारण, छपरा के अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किये जाने पर रोक लगाने के संबंधमें।	आयोग के पत्रांक-228,दिनांक 22.09. 2011 के द्वारा जिला पदा0, सारण छपरा, पुलिस अधीक्षक सारण छपरा को पत्र लिखा गया।
224	**श्री विलफ्ड हेनरी, नियोजित सहायक शिक्षक, रा0उ0मा0 विधालय मनेर,पटना**	श्री विलफ्ड हेनरी, नियोजित सहायक शिक्षक, रा0उ0मा0 विधालय मनेर को प्रभारी प्राचार्य, श्री श्यामनंदन सिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रताड़ित तथा मानसिक यातनाएँ देने के संबंध में	आयोग के पत्रांक-213,दिनांक 17.08. 2011 के द्वारा जिला पदा0, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, जिला शिक्षा पदा0, पटना को पत्र लिखा गया।
225	**श्री सैयद नेजामुद्दीन, ग्राम लालाछपरा पो0/थाना-कैसरिया, जिला पूर्वी चम्पारण।**	पूर्वी चम्पारण के केसरिया थाना कोड सं0 138/10 के तहत 9 वर्षीय बालक को अपहरण से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-205,दिनांक 16.08. 2011 के द्वारा जिला पदा0 पूर्वी चम्पारण मोतिहारी, पुलिस अधीक्षक पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को पत्र लिखा गया।
226	**श्री मो0 सलीम अहमद, निलंबित अवर निरीक्षक आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेंर।**	श्री मो0 सलीम अहमद, निलंबित अवर निरीक्षक आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेंर द्वारा श्री एम0 सुनील कुमार नायक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मुंगेर पर	आयोग के पत्रांक-200,दिनांक 04.08. 2011 के द्वारा प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।

		लगाये आरोपों की जॉच के संबंध में।	
227	**श्री जौन डिक्रूज अंतुनी, सेवा निवृत लेखापाल सिविल सर्जन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण।**	श्री जौन डिक्रूज अंतुनी, सेवा निवृत लेखापाल सिविल सर्जन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण को पेंशन पर रोक से मुक्त करते हुए पेंशन राशि भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–199,दिनांक 04.08.2011 के द्वारा प्राधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
228	**श्री मो0 इसराईल, ग्राम एवं पो0 शिवनार, थाना मोकामा, जिला पटना।**	पटना जिलान्तर्गत ग्राम एवं पो0 शिवनार, थाना मोकामा, के श्री मो0 इसराईल को ग्रामिणों द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर रोक लगाने के संबंध में	आयोग के पत्रांक–198,दिनांक 04.08.2011 के द्वारा जिला पदा0 पटना, वरीय आरक्षी, अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
229	**श्री कफील अनवर, ग्राम मलाठी भिखन शहीद कब्रिस्तान, प्रखंड मखदुमपुर, जिला जहानाबाद।**	जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम मलाठी भिखन शहीद कब्रिस्तान, प्रखंड मखदुमपुर की धेराबंदी का कार्य पुनः आरम्भ किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–196,दिनांक 29.07.2011 के द्वारा जिला पदा0, जहानाबाद, आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
230	**श्री अफसर अहमद, आरक्षण पर्यवेक्षक, राजेन्द्र नगर ट0 पटना।**	सरकारी कार्य में बाधा पहुॅचाकर रेल राजस्व में कमी करने एवं एक अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी को प्रताड़ित एवं झूठे केस में फसॉने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–187,दिनांक 22.07.2011 के द्वारा रेल महा प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
231	**श्री मो0 नौशाद अली, रसायण विज्ञान, जिला परिषद उच्चतर माधमिक शिक्षक नारायणपुर, भागलपुर।**	विधालय परिसर में विधालय अवधि में प्रचार्य एवं सभी शिक्षकों के समक्ष नरेन्द्र यादव उर्फ भोपाली यादव द्वारा कालेज के शिक्षक को	आयोग के पत्रांक–203,दिनांक 10.08.2011 के द्वारा जिला पदा0 भागलपुर, पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को पत्र लिखा गया।

		जान से मारने की धमकी देने के संबंध में।	
232	**श्री मो0 नईम अहमद, ग्राम/पो0- धुरलख, थाना-मुफरिसल, जिला समस्तीपुर।**	समस्तीपुर जिला नजारत में कार्यरत उम्मीदवार अनुसेवक के बकाया वेतन के भुगतान तथा नियमित नियुक्ति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-202,दिनांक 08.08. 2011 के द्वारा जिला पदा0, समस्तीपुर, आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
233	**श्री मो0आबिद हुसैन, प्रखंड अध्यक्ष, अकलियत फलाह एवं कब्रिस्तान निगरानी कमिटि एकंगरसराय, जिला नालंदा ।**	नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के कतिपय कब्रिस्तानों की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-195,दिनांक 28.07. 2011 के द्वारा जिला पदा0 नालंदा, आरक्षी, अधीक्षक, नालंदा।
234	**श्री सैयद गौहर हुसैन, पटना।**	श्री मजहर हुसैन, प्रशाखा पदा0 भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार पटना को अवकाश की स्वीकृती के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-186,दिनांक 22.07. 2011 के द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण निदेशालय विकास भवन सचिवालय, पटना को पत्र लिखा गया। ।
235	**श्री मो0 एहसान नूरी, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र सं0 4 खगड़िया।**	अंगरक्षक उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-182,दिनांक 19.7. 2011 के द्वारा जिला पदा. खगड़िया। को पत्र लिखा गया।
236	**श्रीमती सईदा खातुन, जी0बी0रोड प्लाजा मार्केट, जिला गया।**	अपहरणकर्ता की गिरफतारी एवं अपहृत व्यक्ति को मुक्त कराने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-179,दिनांक 07.07. 2011 के द्वारा जिला पदा0 गया, आरक्षी अधीक्षक, गया को पत्र लिखा गया। ।
237	**श्रीमति बीबी हुसना बानो, साकिन- अलीनगर, वार्ड नं0 23 नगर परिषद सहरसा।**	अल्पसंख्यक लाचार महिला को प्रताड़ना से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-177,दिनांक 05.07. 2011 के द्वारा जिला पदा0, सहरसा आरक्षी अधीक्षक, सहरसा।
238	**श्रीमती अनवरी बेगम, नगर पंचायत रामनगर।**	श्रीमती अनवरी बेगम, संवेदक, नगर पंचायत रामनगर को आसामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से संबन्धित आवेदन को स्थानान्तरित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-172,दिनांक 28.06. 2011 के द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग पटना को पत्र लिखा गया। ।

239	**श्री मो0 सोहैल अहमद अंसारी, ग्राम अमथुआ, पो0 काजीसराय थाना काको, जिला जहानाबाद।**	जहानाबाद जिला अन्तर्गत ग्राम अमथुआ, पो0 काजीसराय थाना काको के अल्पसंख्यक परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक–168,दिनांक 23.06. 2011 के द्वारा जिला पदा0 जहानाबाद, आरक्षी अधीक्षक जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
240	**श्री रऊफ अंसारी, भभुआ वार्ड न0 15 दक्षिण मुहल्ला जिला कैमूर।**	कैमूर जिलान्तर्गत चॉद प्रखण्ड के कुॅडी गॉव के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबध में।	आयोग के पत्रांक–208,दिनांक 23.08. 2011 के द्वारा द्वारा जिला पदा0 कैमूर, भभूआ, आरक्षी अधीक्षक, कैमूर भभूआ को पत्र लिखा गया।
241	**मिल्की अनाईठ, आरा।**	मिल्की अनाईठ, आरा में राजकीय उर्दू प्राथमिक विधालय, सोना पकड़ी की अनुशंसित सरकारी गैर मजरूआ आम जमीन पर मूर्ति झंडा रखकर सम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–222,दिनांक 14.09. 2011 द्वारा के प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
242	**श्री मो0 जावेद अशरफ, प्रखंड मख्दुमपुर, जिला जहानाबाद।**	जहानाबाद जिलान्तर्गत मघ्य विधालय ढोढा प्रखंड मखदुमपुर में 12 वर्षो से उर्दू शिक्षक के पद पर बहाली अथवा प्रतिनियुक्ति नही किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–217,दिनांक 12.09. 2011 द्वारा प्रधान सचिव मानव संसाधन, विकास विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
243	**श्री मो0 इलियास खॉ, ग्राम छोटी चेरकी, पो0 एवं पंचायत–चेरक, थाना एवं प्रखंड शेरघाटी गया।**	इन्दिरा आवास योजना के तहत स्वीकृती पत्र दिये जाने के बावजूद राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–227,दिनांक 22.09. 2011 द्वारा के जिला पदा0 गया को पत्र लिखा गया।
244	**श्री मो0 नौशाद अली, शिक्षक इन्टर स्कूल नारायणपुर, जिला भागलपुर।**	श्री मो0 नौशाद अली, शिक्षक इन्टर स्कूल नारायणपुर के 12 वी संवर्ग में वरीयता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–226,दिनांक 22.09. 2011 द्वारा के जिला पदा0 भागलपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र लिखा गया।

245	**श्रीमती शफीना खातुन, ग्राम-खैरूटोला, पो0 शाही भुलरा, थाना औराई, जिला- मुजफ्फरपुर**	नबालिग लड़की के अपहरण के औराई थाना कांड सं0 67/11 दिनांक 30.05.2011 धारा 366. ए/34 भा.द. वि. में कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-225,दिनांक 22.09. 2011 द्वारा के जिला पदा0 मुजफ्फरपुर, वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
246	**श्री नसीम उद्दीन मल्लिक, मुखिया, ग्राम पिपला, पो0 वेरी, मसौढ़ी, पटना।**	पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के ग्राम पिपला के कब्रिस्तान की लम्बित धेराबंदी कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-224,दिनांक 20.09. 2011 द्वारा के जिला पदा0, पटना को पत्र लिखा गया।
247	**मुक्तार आलम, पिता महमुद इस्लाम, ग्राम मोहामारी, थाना-दिघलबैंक जिला-किशनगंज।**	एस0 एस0 बी0 द्वारा मौजा मोहामारी एवं पॉचगाछी के बीच में में पड़ने वाली जमीन का जबरदस्ती अतिक्रमण किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-150 दिनांक-25. 11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
248	**मो0 आलीम करबला वार्ड न0 32 किशनगंज।**	इमाम बाड़ा की जमीन पर अवैध रूप से घर बनाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-151 दिनांक-25. 11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
249	**मो0 अब्दुल जब्बार सकिन, लहसा थाना मनसाी जिला-कटिहार।**	अवैध रूप से बलपूर्वक कब्रिस्तान की जमीन को जोत लेने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-164 दिनांक-29. 11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, कटिहार, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
250	**साबरा खातुन, निवास मुहल्ला लाईन बाजार जनता लॉज के नजदीक थाना के0 हाट, जिला पूर्णिया।**	बिहार प्रा0 उर्दू एंव बगंला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 अयोग्य घोषित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-205 दिनांक-13. 12.2013 द्वारा मानव संशाधन विभाग पटना , को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
251	**तजकीरा बेगम, उत्क्रमीत मध्य विद्यालय तरीकुल्ला टोला मरधिया, कटिहार।**	दक्षता परीक्षा में दूसरी बार फेल हो जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-212 दिनांक-20. 12.2013 द्वारा प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

252	**मो0 रौशन आरा, ग्राम पूरब टोला पंचायत बेलवा वार्ड नं0 14 किशनगंज।**	ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन के पश्चात भी प्रशिक्षण की अनुमति नही देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–04, दिनांक–03.1. 2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
253	**मो0 तासिर अली, जीवछपुर थाना बनमनखी जिला पूर्णिया।**	भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं0 43/12–13 में पारित आदेश के आलोक दखल कब्जा दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–05 दिनांक–03.01. 2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, पूर्णिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
254	**मो0 विकलीस खातुन ग्राम बीरनगर टपरा टोला थाना भरगामा जिला अररिया।**	महिला प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–14 दिनांक–03.01. 2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक अररिया , को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
255	**मो0 सकरा खातुन ग्राम सहजाना पकरण्डा पो0 पोरला बारसोई जिला कटिहार**	बकाया मानदेय भुगतान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–23 दिनांक–13.01. 2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, कटिहार को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
256	**मो 0 फखरूद्दीन, ग्राम पंचायत राज पथराहा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया।**	अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–31 दिनांक–22.01. 2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
257	**मो0 महफूज ग्राम मुलकिया थाना बी कोठी जिला पूर्णिया।**	भूमि विवाद के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–33, दिनांक–22.01. 2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, पूर्णिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
258	**मो0 हसीब अख्तर ग्राम पंचायत तेधड़ा जिला कटिहार।**	आजमनगर प्रखंड अंतर्गत तेधड़ा पंचायत के मदरसा अशरफीया तालीमुल कुरान के कमिटि द्वारा मनमानी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–150 दिनांक– 31. 01.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, कटिहार , को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

259	**श्री हसीबुल रहमान ग्राम धोरमाड़ा, प्रसादपुर जिला अररिया।**	पैतृक भूमि पर असमाजिक तत्वों द्वारा जबरण कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-62 दिनांक-10.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
260	**श्री चंद्रमणी पांडये, कोअर्डिनेटर Global Foundation for social Welfare and Educational Development**	फारबिसगंज पुलिस थाना को प्राथमिकी दर्ज कर नामिक अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 75 दिनांक-17.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
261	**मो0 इस्माईल ग्राम बेला चॉद थाना बनमनखी जिला पूर्णिया**	झूठे गंभीर षडयंत्र के तहत फंसाने पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने एंव हरिजन अधिनियम के तहत जेल भेजवाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-155 दिनांक-17.04.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
262	**रेहाना प्रवीण पोस्ट पंचायत बेलवा थाना व जिला किशंनगंज।**	प्राथमिकी दर्ज कर कुख्यात अभियुक्तों को जेल भेजने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-162 दिनांक-04.04.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, किशंनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
263	**सैयद शोएब रजा, उपमुखिया, ग्राम पंचायत राज चन्दन पट्टी जिला- दरभंगा।**	बल विकास परियोजना पदाधिकारी, हायाघाट द्वारा चन्दन पट्टी पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 74 पर सेविका के चयन में रूची नही लेने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-148 दिनांक-25.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, दरभंगा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
264	**नीलोफर परवीन, निवर्तमान वार्डन के जी0 बी0 भी0 रोसड़ा, समस्तीपुर।**	समस्तीपुर जिला अन्तर्गत कस्तुरबा गॉधी बालिका विधालय रोसड़ा के वार्डन के पद से हटाने तथा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-149 दिनांक-25.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

265	**मो0 अखतर, ग्राम खिरमा पथरा, थाना कवेटी, जिला दरभंगा।**	लहेरियासराय थाना काण्ड सं0 14/12 दिनांक 12.1.2012 में दर्जप्रथमिकता में अपहरण शगुफता नाज की खोज बीन में अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा उदासीनता रवैया के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–21 दिनांक–31.01.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक, दरभंगा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
266	**खुशबु आफरीन ग्राम+पोस्ट चकमेहसी प्रखण्ड कल्याणपुर जिला–समस्तीपुर।**	अनुश्रवण के क्रम में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा अपमान करने एवं जातीय सूचक शब्द प्रयोग करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–26 दिनांक–22.1.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
267	**श्री हैदर अली पिता स्व0 अब्दुल शकूर, कोतवाली चौक पोस्ट–लालबाग़, जिला–दरभंगा।**	श्री हैदर अली तत्कालीन दैनिक वेतन भोगी कर्मी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का कार्यालय दरभंगा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–35 दिनांक–23.01.2014 द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
268	**मे0 जहॉगीर अंसारी, ग्राम–गरबा, मौजा–सांगी, पोस्ट–सांगी, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी।**	वसगित पर्चाधारी की भूमि पर ऑगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–49 दिनांक–3.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
269	**मो0 शब्बीर अहमद, श्रम कल्याण पदाधिकारी द्वारा ए0 ए0 फातमा शिक्षक मध्य विधालय, हसनपुप बाजार, पो0–हसनपुर चीनी मिल, जिला–समस्तीपुर।**	अवैध रूप से सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–65 दिनांक–13.02.2014 द्वारा प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
270	**अशरफ खॉ, राष्ट्रीय उच्च मध्यविद्याालय हसनपुर कीरत, प्रखंड, कल्याणपुर समस्तीपुर।**	बिहार विधालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षाफल को रद्द किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–108 दिनांक–1.03.2014 द्वारा सचिव, बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

271	**मो0 इलियास गाम-शाहपुर, पोस्ट-भोरे जयराम, खानपुर, जिला-समस्तीपुर।**	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बकाये राशि के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-113 दिनांक-8.03.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
272	**मो0 सदर आलम, मोहल्ला पांडासराय, पोस्ट-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा।**	खतियानी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-115 दिनांक-12.03.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, दरभंगा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
273	**मयूल खातुन, ग्राम पोस्ट हरसेर जिला मुजफ्फरपुर।**	झोला छाप डा0 के दवाखाना के क्लिनिक में लोगों को बेमौत मरने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-138 दिनांक-22.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
274	**सफरदिन देवान ग्राम-तुरहापट्टी, तिहारी टोला, प्रखंड-चनपटिया, गुरवलिया पश्चिमी चम्पारण बेतिया।**	ग्राम-तुरहापट्टी, तिवारी टोला, गुरवलिया एवं कचहरी टोला, प्रखांड-चनपटिया, जिला-प. चम्पारण (बेतिया) के कुछ असमाजिक लोगों द्वारा बजरंग दल के साथ मिलकर साम्प्रदायिक सदभ्ाव बिगाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-139 दिनांक-22.11.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण बेतिया को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
275	**एम0 एस0 अंसारी, सलाम नगर नकछेद टोला कब्रिस्तान रोड थाना-मोतिहारी नगर, जिला पूर्वी चम्पारण।**	मोतिहारी थाना अंर्तगत सलाम नगर मस्जिद के मोआज्जिन गुलाम सरवर को झूठे आरोप तथा साजिश के तहत पुलिस के हवाले करने के संबध में।	आयोग के पत्रांक-140 दिनांक-22.11.2013 द्वारा प्रधान सचिव गृह आरक्षी विभाग पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
276	**मो0 खालिद अनवर जिलानी, उर्दू अनुवादक चचकिया प्रखंड कार्यालय पूर्वी चम्पारण।**	चकिया प्रंखड के उप प्रमुख के द्वारा अल्पंसख्यक वर्ग के	आयोग के पत्रांक-141 दिनांक-22.11.2013 द्वारा जिला अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

		कर्मी के साथ अपशब्द बोलने एवं अभद्र व्यवहार करने के संबंध में	
277	**मो0 समसुल अंसारी राजेपुर पोस्ट- लौरिया वायसा अरेराज थाना गोविन्दगंज जिला पूर्वी चम्पारण।**	पूर्वी चम्पारण जिला के गोविन्दगंज थानान्तर्गत ग्राम राजेपुर स्थित मस्जिद में माइक लगाने के लेकर हुए विवाद के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-161 दिनांक-23.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, और पुलिस अधीक्षक पूर्वीचम्पारण को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
278	**मो0 ऊरोज़ मियॉ, ग्राम चेंगवना थाना शिकारपुर जिला पश्चिमी चम्पारण।**	साबरून नेशा के अपहरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-168 दिनांक-29.11.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक पश्चिम चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
279	**मो0 शहनाज खातुन ग्राम महमदपुर बदल, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर**	शहनाज खातुन, ग्राम महमदपुर, थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का प्रेषण।	आयोग के पत्रांक-183 दिनांक-04.12.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
280	**मो0 फैजान हैदर, ग्राम दामोदरपुर पठान टोली, पो0 दामोदरपुर, जिला मुजफ्फरपुर।**	एस. के. जे. लॉ कालेज मुजफ्फरपुर के प्रचार्य द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अनदेखी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-191 दिनांक-09.12.2013 द्वारा कुलपति बी. एस. बी. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
281	**मो० रेयाज मुस्तफा, सलाम नगर कब्रिस्तान रोड थाना मोतिहारी नगर, जिला पूर्वी चम्पारण।**	मेतिहारी थानान्तर्गत सलाम नगर के मुअज़्जिन गुलाम सरवर को झूठे आरोप तथा साज़िश के तहत पुलिस के हवाले करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-193 दिनांक-09.12.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूर्वी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
282	**मो0 आफताब आलम, शंकर बाग लेन, पंकज मार्केट सरैयागंज, वार्ड नं0 19 मुजफ्फरपुर।**	अल्पसंख्यक महिला के साथ दुर्व्यवहार मारपीट एंव धर का समान लुट कर धर को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-201 दिनांक-11.12.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

283	**मो0 अतहरइमाम ग्राम कुतुबपुर प्रखंड बिंदुपुर, जिला वैशाली**	चेचर ग्राम समुह के नाम पर कुतुबपुर मस्जिद में होने जा रहे खुदाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–215 दिनांक–20.12.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
284	**श्रीमती जमीला खातुन, ग्राम मझौलिया, पोस्ट खबरा जिला मुजफ्फरपुर**	अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला से दुर्व्यवहार एवं मारपीट किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–220 दिनांक–24.12.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, और पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, को जॉचो–परान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखागया।
285	**मो0 शेख औरंगजेब, रामनगर हाजी मोहल्ला, वार्ड नं0–5 थाना रामनगर जिला पश्चिम चम्पारण।**	समाज सेवी व्यक्ति को मुकदमें में फसाने पर जॉच कर न्याय दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–12 दिनांक–03.01.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक बगहा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
286	**मो0 फजलुर रहमान, ग्राम पटवा टोला, डाकखाना लालगंज, जिला वैशाली।**	अवैध कागज तैयार कर अल्पसंख्यक की पैतृक भूमि को हड़पने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–18 दिनांक–13.01.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
287	**मो0 रसीद, ग्राम जयमंगलापुर, पो0–नरकटियागंज, थाना शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण।**	न्याय दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–17 दिनांक–13.01.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक, प0 चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
288	**मो0 सैफुद्दीन, सचिव मिल्लत तालीमी संस्थान, चमड़ा गोदाम लेन पक्की सराय मुजफ्फरपुर।**	इस्लामिया डिग्री महाविधालय, शाहपुर, कॉटी, मुजफ्फरपुर को मिल्लत तालीमी सोसायटी के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संचालन एवं महाविधालय को प्राप्त होने वाले अनुदान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–47 दिनांक–31.01.2014 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
289	**मन्नान शाह, ग्राम–चिलरॉव, थाना–तुरकौलिया, जिला पूर्वी चम्पारण।**	जॉच प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–69 दिनांक–13.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

290	**श्री गुलाम गौस बस्ती सरसीकन, पोस्ट-किसुनपुर, तेलौर, थाना-गौरोल, जिला-वैशाली।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-63 दिनांक-13.02.2014 द्वारा प्रधन सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
291	**मो0 नजीर आलम, ग्राम-कैलाजलालपुर, जिला-वैशाली।**	चेहराकलॉ, अर्न्तगत ग्राम पंचायत- करहटिया बुजुर्ग स्थित ग्राम कैला जलालपुर में उत्क्रमित मध्य विधालय कैला के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-64 दिनांक-13.02.2014 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
292	**श्री महबूब अली, ग्राम पंचायत-छोराही, अंचल चेहराकलॉ, जिला-वैशाली।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-68 दिनांक-13.02.2014 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
293	**मैनुल हक, ग्राम-हसनपुर, थाना-कुण्डवाचैनपुर जिला-पूर्वी चम्पारण।**	अपराधिक षडयंत्र कर झूठे मुकदमें में फंसाने, उत्पी़ड़न करने एवं सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-93 दिनांक-4.02.2014 द्वारा आरक्षी महानिरिक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
294	**मो0 मुस्तजाब आलम, पिता-निशात आलम, न्यू सर सैयद कॉलोनी मीठनपुरा चौक क्लब रोड, मुजफ्फरपुर।**	लंगट सिंह कॉलेज के परीक्षा केन्द्र मुजफ्फरपुर में वीक्षक एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रताड़ित करने एवं परीक्षा से निष्कासित करने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक-94 दिनांक-6.03.2014 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
295	**मीरहसन, साकिन-पडवलिया जिला गोपालगंज।**	पैतृक भूमि पर निर्मित मकान को ढाह दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-100 दिनांक-8.03.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
296	**शहज़ाद अहमद, उर्फ शेख शहज़ाद आलम, पिता-शेख**	अपराधिक षडयंत्र कर झूठे मुकदमें में फंसाने,	आयोग के पत्रांक-104 दिनांक-4.02.2014 द्वारा आरक्षी महानिरिक्षक, पश्चिमी

	मंजूर, साकिन-हसनपुर ग्राम-हसनपुर, थाना-कुण्डवाचैनपुर जिला पूर्वी चम्पारण।	उत्पीड़न करने एवं सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में।	चम्पारण, बेतिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
297	**श्री रहीम अंसारी, पिता-बदरी मियॉ ग्राम हरदिया मौजे थाना बेतिया मुफस्सिल जिला प0 चम्पारण।**	खतियानी भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक परिवार को प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-124 दिनांक-21.02.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक, प0 चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
298	**मो0 मती, पिता अब्दुल कुद्दुस, मुहल्ला-सलाहपुर, पो0+थाना लालगंज, जिला-वैशाली।**	खरीदारी जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-158 दिनांक-19.03.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक, वैशाली, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
299	**श्री हैदर अली अंसारी, मोहल्ला शेख आलम चक पटना।**	प्रबंध निदेशक बिस्कोमान, पटना को मेरे फरवरी 1997, से जनवरी 2006, तक की अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने के संबंध में	आयोग के पत्रांक-137 दिनांक-22.11.2013 द्वारा प्रबंध निदेशक बिस्कोमान भवन पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
300	**मो० शौकतअली, ग्राम- पकरी बरॉवा, थाना+पोस्ट- पकरी बरॉवा, जिला -नवादा।**	मौजा कंचना करबला टॉड़ कब्रिस्तान थाना नं0 59 पकरी बॉरावा खाता नं0 216, प्लॉट नं0 251.9 रकबा 61 डिसमील अतिक्रमण मुक्त कर धेराबंदी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-147 दिनांक-25.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, नवादा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
301	**श्री मंजूर आलम सचिव, बिहार प्रदेश जद यू0 अकलियत कमीटी नवादा।**	वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-156 दिनांक-25.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, नवादा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
302	**मो0 फिरोज अहमद, मोहल्ला नगमातियॉ कॉलोनी, गली नं0 7**	घर पर कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-184 दिनांक-04.12.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक गया,

	थाना-सिविल लाईन्स, पो0-प्रधान डाकधर, जिला-गया।		को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
303	**एस0 एम0 सगीर ग्राम-पचकेसर, थाना- करपी, जिला अरवल।**	अरवल जिला के करपी थानान्तर्गत, ग्राम पचकेसर में स्थित कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-198 दिनांक-11.12.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, अरवल, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
304	**मो0 हुसैन ग्राम- अंगारी प्रखंड करपी, जिला-अरवल।**	अरवल जिला के ग्राम पंचायत कोचहसा अंतर्गत ग्राम अंगारी में स्थित कब्रिस्तान की धेराबंदी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-13 दिनांक-03.01.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, अरवल, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
305	**मो0 शमीम वारसी, ग्राम+पोसट-पण्डा विगहा, थाना-मेन, जिला-गया।**	मोटर साईकिल मिस्त्री को पाई विगहा ओ.पी. प्रभारी, अनिल कुमार द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-19 दिनांक-13.1.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक गया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
306	**मो0 कमालुद्दीन अंसारी ग्राम-मुंजहड़ा पंचायत वर्मा खुर्द, थाना- गोह, जिला औरंगाबाद।**	रास्ता रोकने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-32 दिनांक-22.01.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, औरंगाबाद, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
307	**मो0 मुस्तकीम अंसारी, अध्यक्ष रहमानिया कमिटभ, रहमान बिगहा मौजे बलिया, पोस्ट-गॉगी, जिला-गया।**	कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-40 दिनांक-29.01.2014 द्वारा प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
308	**मो0 मुश्ताक अंसारी, ग्राम-झरहा, थाना-गोह, जिला औरंगाबाद।**	औरंगाबाद जिलान्तर्गत, ग्राम- झरहा, थाना- गोह में स्थित दरगाह, कब्रिस्तान की जमीन पर असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने तथा षडयंत्र के तहत अल्पसंख्यकों पर झूठा केस कर फंसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-79 दिनांक-21.02.2014 द्वारा प्रधान सचिव गृह आरक्षी विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

309	**मो0 मतलूब खॉ, मोहल्ला+पोस्ट-धनगावॉ, वार्ड नं0-33, थाना एंव जिला-जहानाबाद।**	जनमाल की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-116 दिनांक-12.03.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, जहानाबाद, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
310	**श्री अब्दुल रहीम, ग्राम-लखावर, पो+पंचायत- लखावर, जिला-जहानाबाद**	पैतृक भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-127 दिनांक-21.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी जहानाबाद, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
311	**अध्यक्ष बिहार मानवधिकार प्रोटेक्शन आर्गनाइजोशन दिल्ली।**	पुस्तैनी भूमि पर भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-152 दिनांक-25.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, गोपालगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
312	**श्री उसमान सांई पो0-विष्णुशुगर मिल्स, जिला गोपालगंज।**	कास्त जमीन को कब्जा कर छठ धाट बना लेने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-162 दिनांक-29.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, और पुलिस अधीक्षक गोपालगंज,कोजॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
313	**श्री चॉद बाबू, सचिव विवके स्वॅय सहायता समुह, ग्राम-सवान विग्रह, पो0-महाराजगंज, जिला-सिवान।**	ऋणदाता को स्वीकृत वास्तविक ऋण की राशि का भुगतान नही करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-200 दिनांक-11.012.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, सिवान, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
314	**मो0 लुकमान अंसारी, ग्राम-कटोखर, पो0-गोलामुबारकपुर, थाना-मांझी, जिला छपरा।**	सूद का सूद लेने तथा गहना जब्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-51 दिनांक-03.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
315	**मो0 हाजी असरफ अली ग्राम-पश्चिमी हरिदास, थाना+प्रंखड-हुसैनगंज, जिला- सिवान।**	पश्चिमी हरिदास प्रखंड हुसैन गंज जिला-सिवान में कब्रिस्तान की धेराबंदी नही होने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-78 दिनांक-20.02.2014 द्वारा प्रधान सचिव गृह विशेष विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
316	**मो0 कामील अध्यक्ष, मदरसा इस्लामियॉ अबूजर गेारी परसागढी उत्तर जिला- सुपौल।**	साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने तथा मुकदमा करने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक- 142 दिनांक- 22.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, सुपौल, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

317	**मो0 डॉ0 अब्दुल लतीफ, उपाचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, के0 बी0 झा0 कॉलेज, कटिहार।**	राज्य सरकार से वेतन मद से प्राप्त राशि का भुगतान लंबित रखकर मानसिक प्रताड़ना दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–194 दिनांक–23.12.2013 द्वारा कुलपति भू0 ना0 मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
318	**मो0 तरन्नुम जेवा, सा0 गोसाई टोला, पोस्ट तुलसीवाड़ी, जिला मधेपुरा।**	प्रखंड विकास पदा0 एवं पंचायत सचिव द्वारा शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 का अभिलेख गायब कर देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक– 213 दिनांक–20.12.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
319	**मो0 फैयाज आलम, ग्राम–सिंगारपुर, पोस्ट–महुवा बजार, थाना– उदाकिशंनगंज, जिला–मधेपुरा।**	निर्दोष को फंसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक– 48 दिनांक–03.02.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मधेपुरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
320	**मो0 मोकारिम, ग्राम–मौलानगर सूर्यगढ़ा, जिला–लखखीसराय ।**	उर्दू शिक्षक के पद पर हिंदी शिक्षक के पदस्थापन के सबंध में।	आयोग के पत्रांक– 157 दिनांक– 25.11.213 द्वारा प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
321	**श्रीमति ज्योति लीना मरण्डी, पो0–बरमसिया, जिला–भागलपुर।**	निदेशालय समाज कल्याण विभाग पटना द्वारा जिला बाल कल्याण समिति भागलपुर के गठन के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम को एक भी स्थान नही देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–167 दिनांक–29.11.2013 द्वारा प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
322	**मो0 अवर सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।**	कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–174 दिनांक–02.12.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

323	**मो0 नौशाद अली, सहायक शिक्षक प्रोन्नत मध्य विद्यालय, बजरतार फुल्लीडुमर, जिला-बांका।**	प्रसंग बेलहर(खेसरा) पी0 एस0 के स नं0-013/23.01.2014 जी0 आर0 नं0 157/2014 धारा 341, 323, 447, 354, 308, 504, 508, 509 भारतीय दण्ड विधान एवं 3(1)(10)एस.सी.एस. टी. एक्ट के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-91 दिनांक-01.03. 2014 द्वारा आरक्षी अधीक्षक बांका को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
324	**मो0 रेयाजुद्दीन अहमद, मोहल्ला-शेखावत हुसैन लेन, खलीफाबाग, थाना- कोतवाली, जिला- भागलपुर।**	मो0 रेयाजुद्दीन अहमद द्वारा प्राप्त परिवाद पत्रों के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 103, दिनांक- 14. 02.2014 द्वारा प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
325	**मो0 इनामुलहक, पोस्ट+ग्राम- माड़र, जिला-खगड़िया।**	रैयती जमीन को साजिशपूर्वक बिहार भूदान यज्ञ कमिटी सहरसा द्वारा जमीन वितरण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 144 दिनांक- 22. 11.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी खगड़िया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
326	**मो0 खालिक ग्राम- बालगुदर थाना जिला- लखीसराय।**	कब्रिस्तान की जमीन पर जबरदस्ती ऑगनबाडी केंद्र बनाए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 145 दिनांक- 22. 11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, लखीसराय, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
327	**मो0 एहसान जफर, ग्राम- काजीरसलपुर, थाना- तियाय,ओ0 पी0 भागवानपुर, जिला- बेगुसराय।**	वक्फ संख्या 76 के अतिक्रमणकारी पर प्रशासनिक कार्यवाही नही करने के कारण अतिक्रमणकारी की दबंगता बढ़ जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 169 दिनांक- 29. 11.213 द्वारा जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बेगुसराय को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
328	**श्री हशमत अली, महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र खगड़िया।**	अल्पसंख्यक दलित पदाधिकारी को प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 41 दिनांक- 29. 01.2014 द्वारा प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

329	**श्री नील कमल दीवाकर, सचिव आर्यकन्या उच्च विद्यालय, खगड़िया**	आर्य समाज खगड़िया व आर्यकन्या उच्च विद्यालय को गैर आर्य समाजियों द्वारा हड़पे जाने व धार्मिक अल्पसंख्यक मान्यता होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नही किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 38 दिनांक- 22.01.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, खगड़िया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
330	**मो0 सलाउद्दीन, जमुई।**	सरस्वति मूर्ति विसर्जन के समय शांति बनाये रखने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 45 दिनांक- 03.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, व पुलिस अधीक्षक जमुई को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
331	**मो0 शहाबुद्दीन, प्रदेश सचिव जदयू0 सह नगर पार्षद, जिला- खगड़िया।**	कब्रिस्तान भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 50 दिनांक- 3.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, खगड़िया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
332	**मो0 ओलायत मियां, सकिन सरकाण्डा, थाना- सोनो चरका पत्थर, जिला- जमुई।**	जमीन हड़पने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा में फसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 112 दिनांक- 08.03.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, जमुई, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
333	**श्री एहतेजाज उद्दीन, ग्राम- गौरा, पोस्ट- सार्धव, थाना- खड़गपुर, जिला-मुंगेर।**	श्री एहतेजाज उद्दीन द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 118 दिनांक- 20.03.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक मुंगेर को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
334	**मो0 सरदार यशपाल सिहं, स्टेशन रोड, जिला खगड़िया।**	अंचल अधिकारी, खगडियां द्वारा प्रतिवेदन नही भेजने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 126 दिनांक-21.02.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
335	**शबाना खातुन, ग्राम वन का आहुरा प्रखण्ड नुऑव, जिला कैमुर।**	वन का बहुआरा ऑगन बाड़ी केन्द्र पर सेविका पद के लिए की गई नियुक्ति में घोर अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-143 दिनांक-22.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, कैमूर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

336	**श्री मो0 आसिफ अली, पक्की गौरया, पो0-पटना सिटी, जिला-पटना।**	मेहन्दीगंज थानान्तर्गत, मो0 आसिफ अली, की पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा कर बेचने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-154 दिनांक-25.11.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
337	**श्री रेशमा जमाल, पति मुस्का जमाल, दरियापुर सब्जीबाग़।**	सुल्तानगंज थाना काण्ड 43/2013 दि0 1-3-2013 के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-155 दिनांक-25.11.2013 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
338	**जमीला खातुन, महादेव तुरहा की गली वार्ड सं0-6 पो0 डुमरॉव जिला बक्सर।**	मुखयमन्त्री मेधावृत्ती नही होने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-163 दिनांक-29.11.2013 द्वारा प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
339	**मनजर इमाम सहायक, वीर कुॅर सिंह विश्वविधालय, आरा।**	विश्वविधालय प्राधिकार द्वारा मानसिक प्रताड़ना, तथा अपूर्णीय आर्थिक क्षति पहुॅचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-166 दिनांक-29.11.2013 द्वारा कुलपति, वीर कुवॅर सिंह विश्वविधालय, आरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
340	**मो0 एक़बाल रशीद, आलमगंज पो0-गुलजार बाग़ जिला-पटना।**	लूट रंगदारी एवं जान से मारने की आशंका के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-173 दिनांक-2.12.2013 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
341	**खलिफा मो0 आलमगीर, मौजा डुमरॉव स्टेशन रोड वार्ड नं0-14 बक्सर।**	ताजिया चौक पर अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-190 दिनांक-9.12.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बक्सर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
342	**मो0 शमीमुलहक़, थाना बिहटा जिला पटना।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-192 दिनांक-9.12.2013 द्वारा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
343	**मकसूद आलम, वाउली कब्रिस्तान समिति दावथ।**	रोहतास जिला के दावथ अंचल अंर्तगत कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त	आयोग के पत्रांक-199 दिनांक-11.12.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी, रोहतास, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

		करने तथा घेराबंदी के संबंध में।	
344	**श्री सियासत अली, थाना+पो0 मोहनियॉ जिला कैमूर।**	थानाधयक्ष मोहनिया द्वारा सहयोग नही करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–206 दिनांक–20.12.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक, कैमूर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
345	**मो0 सराफत हुसैन, ग्राम करौती, ग्राम पंचायत नदहरी–कोदहरी थाना सिगौड़ी पालीगंज पटना।**	दरगाह व कब्रिस्तान के अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–03 दिनांक–03.01.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
346	**वंदना बौद्ध, तथागत नगर ग्राम+पो0 कड़सर जिला बक्सर।**	अल्पसंख्यक ठण। की बेरोजगार छात्रा वंदना बौद्ध को शिल्पा महिला सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–06 दिनांक–3.1.2014 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
347	**मो0 मुखतार अहमद, ग्राम करनगंज थाना एकंगर सराय जिला–नालन्दा।**	सी0 एस0 नक्शे के आधार पर सीमांकन कराने के पश्चात् कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–07 दिनांक–3.1.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, नालन्दा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
348	**मो0 नौशाद आलम, पिता कमरूद्दीन अहमद सरकार, ग्राम+पो0 छोगड़ा भाया बारसोई, जिला कटिहार।**	बिहार प्राथमिक र्उदू एवं बंगला (विशेष) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में categ-ories को सुधारने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक–08 दिनांक–3.1.2014 द्वारा अध्यक्ष, बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
349	**कुरैशी बीबी, थाना शाहपुर जिला भोजपुर।**	शाहपुर थाना काण्ड सं0 236/13 के अभियुक्तों की गिरफतारी नही किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–09 दिनांक–3.1.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
350	**मो0 अशरफ अली, मोहल्ला गगनदीबान बिहारशरीफ।**	वक्फ़ से सम्बंधित प्राप्त आवेदन पर कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–10 दिनांक–3.1.2014 द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

351	**मुराद हुसैन, ग्राम/पोस्ट बिलौना प्रखंड बिहिया, भोजपुर।**	भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया प्रखंड के ग्राम बिलौना कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा साम्प्रदायिक सदभाव को भंग करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-11 दिनांक-3.1.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, भोजपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
352	**मो0 अली जान शाह, ग्राम कोपा, पो0-सिंघाड़ा थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-22 दिनांक-13.1.2014 द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
353	**मो0 अब्बास उर्फ जावेद, विधुत ग्राहक सं0 010204408347 द0 इंडियन मोर्टस अभियंता नगर, रंजन पथ, थाना रूपसपुर बेली रोड, पटना।**	विधुत विभाग द्वारा गलत ढंग से बिजली चोरी में फंसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-20 दिनांक-13.1.2014 द्वारा मुख्य प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी, विधुत भवन, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
354	**पनदम कुमार जैन, विजय आश्रम, महाजन टोली आरा।**	अति अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने के कारण मुझे एवं परिजन के प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-29 दिनांक-22.1.2014 द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होल्डिंग लिमिटेड, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
355	**मो0 शहाबुद्दीन, नया टोला, फुलवारीशरीफ पोस्ट फुलवारीशरीफ़, जिला-पटना।**	पटना जिला के फतुहा थाना के अर्न्तगत ग्राम-मोहीउद्दीनपुर के कब्रिस्तान में अवैध मंदिर निर्माण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-52 दिनांक-3.2.2014 द्वारा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
356	**राम सागर पासवान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य फुलवारी प्रखंड अंर्तगत मैनपुर अण्डा पंचायत, ग्राम-बोधगामा, नौबतपुर रोड, प्रखंड- फुलवारीशरीफ।**	नौबतपुर रोड ग्राम-बोधगामा स्थित कब्रिस्तान को घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-56 दिनांक-3.2.2014 द्वारा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
357	**मो0 हुसैन इमाम, पिता-स्व0 मंगत मियॉ, ग्राम-पकौड़ा, पो0-खलीलाबाद नदौल, जिला पटना।**	कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-80 दिनांक-21.2.2014 द्वारा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

358	**मो0 नौशाद अंसारी ग्राम-तेन्दुआ, पो0-धनपोखर जिला-कैमुर।**	अभ्यवर्तीत्व सत्यापन के नाम पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नौकरी से खिलवाड़ करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-95 दिनांक-6.3.2014 द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
359	**मो0 सलाउद्दीन खुसरूपुर पटना।**	साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-96 दिनांक-5.2.2014 द्वारा जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
360	**मो0 अली ईमाम, बिहारी साव लेन, अशोक राजपथ, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना।**	पीरबहोर थाना में पदस्थापित पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री परमेश्वर सहनी को घुस नही दिए जाने पर गलत रिर्पोट अग्रसारित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-97 दिनांक-5.2.2014 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
361	**श्रीमती इफ्फत अंजुम, पति अकसर अहमद, आरक्षण पर्यवेक्षक राजेन्द्र नगर पटना।**	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले कर्मचारी से दूर्व्यवहार करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-102 दिनांक-5.2.2014 द्वारा मंडल रेल, प्रबंधक, पूर्व रेलवे, दानापुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
362	**मो0 अशफाक़ हुसैन, ग्राम+पोस्ट-बक्सर जिला-बक्सर।**	सजिश के तहत गलत आरोप लगाकर निलम्बित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-117 दिनांक-21.2.2014 द्वारा जिलापदधिकारी, बक्सर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
363	**मो0 सैयद अहमद खॉ, ग्राम-अकबरपुर, थाना-रोहतास।**	निजी जमीन पर अनाधिकष्टत रूप से पक्का रोड बनाने एवं नाली निकासी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-122 दिनांक-6.2.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, रोहतास, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
364	**श्रीमती शमीम आरा, पति-अकबर खॉ, ग्राम-डुमरी पोस्ट-कबिलासपुर, जिला-कैमूर।**	अल्पसंख्यक कोष से सहायता राशि देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-123 दिनांक-11.2.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर, पुलिस अधीक्षक, कैमूर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

365	**मो0 खुर्शीद आलम, ग्राम-रामपुर ईसमाईल, ग्राम पंचायत पुरूषोत्तमपुर पैनाठी थाना-बिहटा, जिला-पटना।**	कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-101 दिनांक-8.3.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
366	**सचिव अल फातिमा, एडुकेशनल सोसाईटी, पटना।**	अल फातिमा Educational Society के अंर्तगत संचालित बी.एड. कॉलेज को अल्पसंख्यक की मान्यता देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-129 दिनांक-12.3.2014 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, पटना। को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
367	**रानी, पति सुखराज सिंह,ग्राम+पोस्ट लक्ष्मीपुर, थाना-बरारी, जिला-कटिहार।**	वसगीत पर्चा को रद्द करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-159,दिनांक 14.08.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी कटिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजागया।
368	**मो0 अन्सार अन्सारी, वल्द सदन अन्सार अन्सारी, ग्राम-पनसुही, पो0-सिही, थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना।**	उनके बगलगीर द्वारा तंग-तबाह एवं पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-160,दिनांक 14.08.2013 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को पत्र भेजा गया।
369	**नानक शाही उदासीन मठ, थाना+जिला-लखीसराय।**	कृषियोग भूमि जिसका तौजी न0-3 थाना, न0-134, खाता न0-449, खेसरा न0-1599, एवं 1600 की कुल एराजी-58 डी0 जमीन को नजायज़ कब्ज़े से मुक्त कराने के संबंध मे।	आयोग के पत्रांक-161,दिनांक 16.08.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कटिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया।
370	**दरोगा राय पथ, सरपेटाइन रोड पटना।**	गुरूनानक भवन को आंटित जमीन का नवीकरण कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-162 , दिनांक 19.08.2013 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।
371	**अल्पसंख्यक महिला शमीमा खातुन, पति-शहाबुद्दीन अंसारी, ग्राम-रेपूरा, पो0-नगरी, थाना-चरपोखरी, जिला-भोजपुर।**	काण्ड सं0-149/12 के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-163 , दिनांक 20.08.2013 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर, आरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।

372	**मो0 इसलाम मियॉ, ग्राम+पो0-एन्खॉ, थाना-दुल्हिनबाजार जिला-पटना।**	जान माल की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-166 , दिनांक27. 08.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।
373	**बिहार सिक्ख प्रतिनिधि बोंड, गुरूनानक भवन।**	दरोगा राय पथ, पटना में नीज होल्ड भुमि के लीज नवीकरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-168 , दिनांक 6. 09.2013 द्वारा समाहर्त्ता पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
374	**ननक शाही उदासीन मठ, गुरूद्वारा।**	लखीसराय स्थित बालगुदर के द्वारा को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-172 , दिनांक 13. 09.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक लखीसराय को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
375	**लालगंज, नानकशाही**	लालगंज के नानकशाही गुरूद्वारे के पवित्र गुरूग्रन्थ सहिब के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-174 , दिनांक 16. 09.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक वैशाली को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
376	**पकिजा साहिन, पिता-सराजुल हक़, ग्राम-जोगापुर कोठी, थाना-जाओ, जिला- सिवान।**	डनको दहेज के लिए शादी न करना एवं थाने द्वारा केस न दर्ज करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-177 , दिनांक 23. 09.2013 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, सिवान को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
377	**डा0एम0डी0 आलम, पिता-स्व0 हबीब, मु0+थाना+पो0-दिदारगंज, पटना सिटी, जिला-पटना।**	डनके घर में घुसकर पारमीट करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-197 , दिनांक 9. 12.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना/ अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
378	**कीर्तन गढ़, गुरूद्वारा।**	कीर्तन गढ़, गुरूद्वारा परिसर में अल्पसंख्यक सिक्ख विधालय शुरू करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-198 , दिनांक 10. 12.2013 द्वारा सरदार हरि सिंह, प्रधान गुरूद्वारा कीतन गढ़, कलमबाग़ रोड, मुज्फरपुर को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
379	**स्व0 विनोद केमार टंडन, एल0 डी0 सी0**	उनके जी0 पी0 एफ0 एवं इन्शोरेन्स के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-202 , दिनांक 27. 12.2013 द्वारा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, बीरचन्द्र पटेल मार्ग पटना, को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
380	**दर्शन कौर पति-रणजीत सिंह, मिठनपुरा, रमना, मुज्जफरपुर।**	रणजीत कुमार गुप्ता,पिता गणेश शाह, जीवधारा	आयोग के पत्रांक-203 , दिनांक 30. 12.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी /

		मोतिहारी निवासी द्वारा उनको झूठा मुक़दमा में फंसाने के संबंध में।	पुलिस अधीक्षक, मुज्करपुर को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
381	**श्री मोहन सिंह, प्रयोगशाला प्रावैधिकी रेरल, अस्पताल, सिसवन सिवान।**	उन्हें स्थानान्तरण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-06 ,दिनांक 20.01.2014 द्वारा अशोक कुमार वि0प्र0से0 प्रशासी पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
382	**मो0 नुरूल होदा, पिता-स्व0 हैदर अली, मोहल्ला निषदगंज, नगरपालिका वार्ड न0-8 थाना+पो0-अनुमण्डल निंमली।**	आम रास्ता के जमीन पर अवैध रूप से दखल कब्जा कर खिड़की खोल दिया गया है उसे बन्द कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-11 ,दिनांक 28.01.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक सुपौल को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
383	**मो0 निजामुद्दीन, पिता-स्व0 महबुब आलम, ग्राम-हरदास विधा, पो0-बैकठपुर, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।**	विपक्षी साधुशरण रविदास एवं उसके असमाजिक अपराधिक प्रवृत्ति के साथीयों द्वारा जान मारने की धमकी देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-12 ,दिनांक 30.1.2014 द्वारा जिला पदधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
384	**सरदार हरि सिंह, निदेशक जगजीत सिंह, इसपात इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड।**	उच्च न्यायालय से इनके पक्ष में निंणय हुआ है उसके सम्बंध में पत्र लिखा गया है।	आयोग के पत्रांक-22 ,दिनांक 26.02.2014 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, वियाडा, पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
385	**भाषाई अल्पसंख्यक श्री तरूण कुमार मुर्खजी, निवासी राजेन्द्र नगर, रोड न0-11**	जल पर्षद द्वारा पानी आपूर्ति नही किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-212 ,दिनांक 25.04.2013 द्वारा सहायक अभियंता, पटना नगर निगम (जलापूर्ति शाखा) को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
386	**श्रीमती रोजमारी बर्नाड,**	भविष्य निधि खाता संख्या-BR/4419/59 को पेंशन भुगतान न करने के संबंध में	आयोग के पत्रांक-163 ,दिनांक 20.08.2013 द्वारा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
387	**बिहार राज्य द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक राज राजेश्वर उच्च विधालय बरबीघा, शेखपुरा।**	छात्र-छात्राओं को छात्रवष्टत्ति भुगतान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-163 , दिनांक 20.08.2013 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर, आरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।

388	**जहानाबाद**	इसाई समुदाय द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संत मैरीज मधय विधालय, जहनाबाद के छात्र छात्राओं को अनुमान्य सुविधाए नही मिल रही हैं।	आयोग के पत्रांक–14/96 , दिनांक 29.04.2013 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
389	**ग्राम–गोसाईपुर, दिघवारा प्रखण्ड, जिला–सारण, छपरा।**	कब्रिस्तान कि घेराबन्दी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–2/99 , दिनांक 2. 05.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी भोजपुर, सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
390	**Ronald Murray and Serena Murray, Keral**	Matter of Matrimonial grievance of Anglo Indian Couple	आयोग के पत्रांक–12/15 ,दिनांक 23. 07.2013 द्वारा मुखय सचिव, केरल को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
391	**बख्तियारपुर**	कैथेलिक ईसाई कब्रि–स्तान, बख्तियारपुर की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–12/101, दिनांक 14.5.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
392	**संजय डीकूज़, कटिहार।**	संजय डीकूज को प्रताड़ित करने, जबरन घन वसूली करने एवं चल सम्पत्ति को नुकसान पहॅचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–11/104 ,दिनांक 20.08.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी कटिहार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
393	**गुलशबा तरन्नुम एवं फरीद जबीन ग्राम+पो0 सुन्दरगंज, जिला–औरंगाबाद**	मेधाछात्र वृत्ति देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–7/106 , दिनांक 13.06.2013 द्वारा निदेशक अल्पसंख्यक निदेशालय, बिहार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
394	**अहिमन पट्टी, त्रिलोकचक पंचायत, दिघवारा प्रखण्ड, जिला–सारण, छपरा।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–2/108 , दिनांक 26.06.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
395	**ग्राम–फकुली, पो0–गोसाईपुर, थाना–अवतार नगर, जिला–छपरा, सारण।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–2/109 , दिनांक 26.06.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।

396	**श्री मिलन चॉगदार**	जान एवं माल के संरंक्षण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–3/114 ,दिनांक 22.07.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
397	**नालन्दा**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–12/117 , दिनांक 29.07.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी नालन्दा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
398	**बिहार शरीफ**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–12/147 , दिनांक 18.11.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी नालन्दा, बिहारशरीफ को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
399	**श्री विकास कुमार**	उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के सबंध में।	आयोग के पत्रांक–7/124 , दिनांक 16.8.2013 द्वारा जिला कल्याण, पदाधिकारी बिहार पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
400	**ग्राम–घनगाढ़ा, थाना–बनियापुर, जिला– सारण छपरा।**	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–2/126 , दिनांक 23.8.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
401	**श्रीमती नुरूस्सवाह उर्दू मध्यविद्यालय, शेख बहुआरा, प्रखंड–कोचस, जिला–रोहतास।**	स्थानांतरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–2/129 , दिनांक 9.9.2013 द्वारा निदेशक, प्रथमिक शिक्षा, बिहार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
402	**सुश्री सुशीला मुर्मू, छात्रा घनश्यम बालिका उच्च विधालय, खगौल, पटना।**	गलत अंक पत्रक निंगत करने सें संबंधित।	आयोग के पत्रांक–12/138 ,दिनांक 4.10.2013 द्वारा अधयक्ष, बिहार विधालय परिक्ष समिति, पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
403	**श्रीमती राना प्रवीन, उर्दू सहायक शिक्षिका, उत्क्रमित मध्य विधालय, चॉदी, प्रखण्ड अकोढ़ी गोला, जिला रोहतास।**	स्थानांतरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–2/137 , दिनांक 4.10.2013 द्वारा निदेशक, प्रथमिक शिक्षा, बिहार, सरकार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
404	**बी0 बी0 सोगरा अल्पसंख्यक छात्रावास, बिहारशरीफ।**	संचालन संबंधी खर्च वहन करने से संबंधित।	आयोग के पत्रांक–7/148 ,दिनांक 18.11.2013 द्वारा जिला, पदाधिकारी नालन्दा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है

405	**श्रीमती छवी चटर्जी निवासी-403, लालकोठी अर्पाटमेंट, न्यू जककनपुर, पटना।**	अंचल संपत्ति हड़पने के प्रयास के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-3/163 ,दिनांक 6.1.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
406	**श्रीमती शगुफता प्रवीन, धनरूआ, पटना।**	कुल प्राप्त मेधा अंक से कम मेधा अंक पाने वाली एवं न्यूनतम आबादी वाले वर्ग की आवेदिका का चयन करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-2/166 ,दिनांक 6.1.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
407	**अररिया**	मुस्लिम परिवार की महिलाओं के जान-माल एवं अंचल संपत्ति की सुरक्षा तथा उन्हें सरकारी योजनाओं में अनुमान्य प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-2/170 ,दिनांक 10.2.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी अररिया को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
408	**श्री सुबीर घोष निवासी लंगरटोली, कदमकुआँ, पटना।**	महतो निवासी आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, पटना द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-3/184 ,दिनांक 21.3.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है।

v/;k; & vkB

भ्रमण बैठकें एवं समीक्षा

भ्रमण बैठकें एवं समीक्षा

अल्पसंख्यक के लाभार्थ सरकारी योजनाओं की प्रगति, उनके संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर भ्रमण बैठकों एवं समीक्षा की जाती है।

अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग स्वंय, उपाधयक्ष गण तथा आवश्यकतानुसार सदस्यगण भी भ्रमण करते है। जिला स्तर पर समीक्षात्मक बैठक की जाती है। बैठकों में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं एंव राज्य तथा केंद्र सरकार की अन्य योजनओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की समीक्षा की जाती है।

इस संबंध में एक प्रपत्र पहले से भेज दिया जाता है, तथा उसी के आलोक में समीक्षा की जाती है। प्रपत्र का विवरण निम्नवत है:-

प्रपत्र

वर्ष.....

1. जिला अल्पसंख्यक कोषांग का गठन :-

2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित अल्पसंख्यकों का विवरण :-

(क) इंदिरा आवास- भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (प्रतिशत में)

(ख) स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोज़गार योजना : (प्रतिशत में)

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम - (प्रतिशत में)

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना : (प्रतिशत में)

(ड़) JNNURM के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में अल्पसंख्यकों को जन सुख सुविधाएँ- (प्रतिशत में)

3. <u>विद्यालय</u>

(क) उर्दू यूनिट की रिक्ति/नियुक्ति एवं सृजन (कुल संख्या में)

(ख) बंगला यूनिट की रिक्ति/नियुक्ति एवं सृजन (कुल संख्या में)

(ग) सर्वशिक्षा अभियान की रिक्ति /नियुक्ति एवं सृजन (कुल संख्या में)

(घ) विद्यालय से वंचित रहने वाले बच्चों की कुल संख्या .....

इसमें अल्पसंख्यकों की कितनी संख्या ..... है।

(ङ) तालीमी मर्कज के संचालन की स्थिति।

(च) कस्तुरबा बालिका विधालय में अल्पसंख्यक बच्चियों के नामांकन की स्थिति।

(छ) हुनर योजनान्तर्गत प्रशिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं की संख्या।

4. कल्याण

(क) यतीमखाना के लिए मध्यान् भोजन।

(ख) पोशाक योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभ (प्रतिशत में)

(ग) साईकिल योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभ (प्रतिशत में)

(घ) कल्याण विभागीय छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यकों को लाभ (प्रतिशत में)

(ङ) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभान्वित अल्पसंख्यकों को लाभ (प्रतिशत में)

(च) अल्पसंख्यक परिव्यक्ता महिला लाभान्वितों की संख्या।

5. बी०पी०एल०

(क) सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या .....

लाभान्वित अल्पसंख्यकों की कुल संख्या .....

(ख) लाल कार्डधारियों की कुल संख्या .....

लाभान्वित अल्पसंख्यकों की कुल संख्या .....

(ग) अन्नपूर्ण योजनान्तर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या .....

लाभान्वित अल्पसंख्यकों की कुल संख्या .....

(घ) वृद्धावस्था पेंशनों की कुल संख्या .....

लाभान्वित अल्पसंख्यकों की कुल संख्या .....

6. कब्रिस्तान की घेराबंदी

(क) कुल कब्रिस्तान की संख्या .....

(ख) घेराबंदी हेतु ली गयी कब्रिस्तान–पूर्ण/अपूर्ण (संख्या में)

(ग) शेष जिसे घेराबंदी का कार्य किया जाना है। (संख्या में)

7. अल्पसंख्यक छात्रावास

(क) छात्र/छात्राओं के छात्रावास के संचालन की स्थिति

8. शस्त्रअनुज्ञप्ति

(क) कुल निर्गत अनुज्ञप्तियॉ संख्या में)

कुल कितने अल्पसंख्यकों को शस्त्र अनुज्ञप्ति दी गयी (संख्या में)

9. <u>पासपोर्ट</u>

(क) अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट निर्गत हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या–.....

(ख) कुल कितने आवेदन पत्र निष्पादित किए गये – .....

10. वक्फ संपत्ति के सर्वे की प्रगति।

11. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चल रहे विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अल्पसंख्यकों को जानकारी एवं भागीदारी हेतु किए जा रहें प्रयासों की अधतन स्थिति।

12. धार्मिक स्थल (मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा इत्यादि) से जुड़े कुल विवादित मामलों की संख्या .....

(क) कुल कितने विवादित मामलों का निस्तार किया गया .....

(ख) कुल कितने विवादित मामलों का निस्तार किया जाना शेष है .....

13. हस्तकरघा उधोग/बुनकरों से जुड़े लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनान्तर्गत लाभान्वितों की कुल संख्या .....

v/;k; & uk

सेमिनार/कॉनफ्रेंस

सेमिनार/कॉनफ्रेंस

वर्तमान सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में उनके कल्याण के लिए सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान निमित कई योजनाएँ चलाई जा रही है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सरकार के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्रभावशाली व परिणामोखी बनाने तथा इसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँचे तथा उन्हें जागरूक करने के लिए सेमिनार/ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। व्यापक प्रचार का परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को इससे काफी लाभ पहुँचा है। उन्हें अपने हक की जानकारी मिली है। जिसके फलस्वरूप वे अपने हकूक तथा हितों के प्रति सचेत हुए है। अल्पसंख्यकों की लाभकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस प्रकार के कुछ सेमिनार तथा कॉनफ्रेंसों का ब्योरा निम्न प्रकार है।

आयोग द्वारा इस क्रम में राज्य के विभिन्न स्थानों यथा मधुबनी, किशनगंज, समस्तीपुर, मूंगेर, अररिया, सुपौल, बॉका एवं दरंभगा आदि में सेमिनार/कॉनफ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाग लिया। सेमिनार/कॉनफ्रेंस में दो पालियों में बैठक का आयोजन किया गया। प्रथम पाली में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके अधिकार एंव कर्त्तव्य की जानकारी के साथ साथ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उनलोगों को यह बताया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाकर इन अधिकारों, कर्त्तव्य एवं योजनाओं की जानकारी अल्पंसख्यकों तक पहूँचाऐ तथा इसका पूरा पूरा लाभ उठाने हेतु उन्हें जागरूक करें।

दूसरी पाली में सेमिनार/कॉनफ्रेंस में आये लोगों से उनके क्षेत्र में अल्पसंख्यको की शैक्षणिक, आर्थिक एंव सामाजिक समस्याओं की जानकारी ली गई तथा उन समस्याओं के समाधान हेतु उपाय बताये गये। जिन समस्याओं का सामाधान जिला स्तर या राज्य स्तर से होना था उन समस्याओं की पूरी जानकारी आयोग द्वारा प्राप्त की गई तथा आयोग ने उसे जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को राज्य स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई की। उन समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित पदाधिकारीयों को दिये गये निदेश का फौलोअप (follow up) भी किया गया ताकि समस्या का पूरी तरह निदान सभंव हो।

उपर्युक्त कॉनफ्रेंसों/सेमिनारों का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय तक बहुत प्रभावकारी ढ़ग से पहूँचा जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय में जागरूकता आई और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, साथ-साथ अल्पंसख्यकों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की होड़ लग गई। इसका ज्वलंत उदाहरण विभिन्न प्रकार की छात्रवृति योजनाओं में कोटा से काफी अधिक संख्या में आवेदन का प्राप्त होना है। लोग सरकारी कार्यालयों में पहूँचकर अपने लाभों एंव अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने लगे। काम का दबाव बढ़ जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में एक अलग निदेशालय तथा सभी जिलों मे जिला अल्पंसख्यक कल्याण पदाधिकारी पद का सृजन

किया ताकि अल्पसंख्यकों को अपने कार्यो से संबंधित सभी जानकारी एंव समस्याओं का निदान एक ही स्थान से हो सके।

2. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से समन्वय** :- राज्य अल्पंसख्यक आयोग ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से सौहाद्रपूर्ण समन्वय बनाये रखा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित सभी बैठकों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और राज्य अल्पंसख्यक आयोग की ओर से बहुमूल्य सूझाव रखें गये। जिसकी काफी सराहना हुई।

राष्ट्रीय अल्पंसख्यक आयोग के माननीय सदस्यगण समय समय पर बिहार के दौरे पर आये। आयोग ने पूरी तरह उनके साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें पूरा सहयोग दिया। राज्य के विभिन्न स्थानों पर दौरे के दौरान आयोग का प्रतिनिधि उनके साथ रहा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त परिवाद पत्रों में से जिन आवेदनों को राज्य अल्पसंख्यक आयोग को अपने स्तर से कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने उस पर तत्परता से कारवाई की और समस्याओं के समाधान का प्रयास किया।

3. **केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से समन्वय** :- बिहार राज्य अल्पंसख्यक आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं पर पैनी नजर रखी और अपना बहुमूल्य सुझाव एंव प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के माध्यम से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजा ताकि राज्य के अल्पंसख्यकों कों केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

4. **राज्य अल्पसख्यंक आयोगो से समन्वय** :- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित राज्य अल्पसंख्यक आयोग से समन्वय बनाये रखा तथा महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जिसका यह लाभ हुआ कि इस राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं का अनुकरण दूसरे राज्य में किया गया तथा दूसरे राज्य में चलाई जा रही अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं की रूपरेखा का लाभ उठाया गया।

अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, आंध्रप्रदेश, जम्मू-काश्मीर आदि राज्यों का भ्रमण कर वहॉ के राज्य अल्पसंख्यक आयोग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की ताकि उसका लाभ उठाया जा सके।

5. **अध्यक्ष बिहार राज्य आयोग का विदेश भ्रमण** :- माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार के पाकिस्तान भ्रमण के दौरान उनके शिष्टमंडल में अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग श्री नौशाद अहमद भी शामिल थे। पाकिस्तान दौरे के क्रम में अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पाकिस्तान के मुसलमानों खास तौर पर बिहारी मुसलमानों के बीच गये और उन्हें देश के विशेषत: बिहार के मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी दी और नीतीश सरकार द्वारा मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यो एवं मुसलमानों को राज्य तथा देश की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों की जानकारी दी।

अध्याय - दस

आयोग की कार्य योजना

आयोग की कार्य योजना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग लगातार प्रयासरत है कि आयोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो तथा उन्हें लाभ पहुँचे। साथ ही आयोग की यह भी मंशा है कि लोगों को आयोग तक अपनी बात पहुँचाने में कोई भी परेशानी नही हो। इसके अतिरिक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं की जानकारी उन्हे घर पर बैठै मिल सके ताकि वे इन योजनाओं का समुचित लाभ उन्हें मिल सके इसकी चेष्टा भी आयोग करती रही है। इसी विचार से आयोग ने एक कार्ययोजना तैयार की है जिसके तहत प्रथम चरण में निम्न चार मुख्य योजनाओं पर कार्य किया जाना है :-

1. **टोल फ्री टेलीफोन** :- अपनी छोटी-छोटी समस्याओं और जिज्ञासाओं के लिए लोगों को पटना आने जाने में होने वाले खर्च एवं परेशानी से बचाने के लिए आयोग यथा शीघ्र टोल फ्री टेलीफोन सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा का उपयोग कर कोई भी पीड़ित व्यक्ति घर बैठे आयोग की सहायता का गुहार लगा सकता है। साथ ही अपनी समस्याओं या जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकता है। इस सेवा में फोन करने वाले को कॉल का कोई खर्च नही होगा बल्कि फोन का खर्च आयोग उठाएगा।

2. **आयोग का ख़बरनामा** :- आयोग की गतिविधियों, अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्योरा, नई योजनाओं की अधतन जानकारी अल्पसंख्यक आबादी तक पहुँचाने के लिए आयोग एक मासिक खबरनामा (समाचार बुलेटिन) शुरू करने पर विचार कर रहा है। यह समाचार बुलेटिन हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होगा। लोग घर बैठें प्रत्येक माह अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

3. **आयोग का वेबसाईट** :- कम्प्यूटर युग में वेबसाईट जानकारी का एक महत्वपूर्ण अंग है। आयोग जल्द ही अपना वेबसाईट आरम्भ करने का विचार रखती है। आयोग की इस वेबसाईट पर आयोग तथा अल्पसंख्यक कल्याणार्थ विभिन्न संस्थानों तथा उन संस्थानों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इससे घर बैठे लोग अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ एवं उससे संबंधित उपयोगी बातों की अधतन जानकारी प्राप्त कर सकेगे।

4. **समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर कार्रवाई** :- विभिन्न समाचार पत्रों खास तौर पर उर्दू समाचार पत्रों में अल्पसंख्यकों की ज्वलन्त समस्याओं के संबंध में प्रकाशित समाचारों पर आयोग गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस कार्य योजना पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। आयोग के कार्यालय में समाचार पत्रों में प्रकाशित अल्पसंख्यकों की ज्वलन्त समस्याओं से संबंधित समाचारों का अध्ययन कर उसपर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया जा रहा है।

v/;k; & X;kjg

परिशिष्टियाँ

परिशिष्टियाँ

सूची

परिशिष्ट सं.	विषय	पृष्ठ
परि० 1:-	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित समितियो में अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखने हेतु निर्गत आदेश।	135
परि० 2:-	अल्पसंख्यकों की भाषाई समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य के प्रत्येक जिला में स्थाई समिति गठित करने हेतु।	137
परि० 3:-	नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के संबंध में निर्गत पत्र।	139
परि० 4:-	निदेशक श्रमसंसाधन विभाग द्वारा अल्पंसख्यकों के कल्याणर्थ 15-सूत्री कार्यक्रम के निदेशों का कार्यान्वयन, निबंधन आदि में भेदभाव नही करने के संबंध में।	141
परि० 5:-	निदेशक श्रम संसाधन विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्यानार्थ 15-सूत्री कार्यक्रम के निदेशों का कार्यान्वयन विशेष अभियान चलाकर निबंधन करने के संबंध में।	143
परि० 6:-	निदेशक श्रम संसाधन विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्यानार्थ 15-सूत्री कार्यक्रम के निदेशों का कार्यान्वयन, नियोजनालयों में अलग शाखा खोलने के संबंध में।	145
परि० 7:-	गृह विभाग द्वारा साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने हेतु स्थाई समिति गठन के लिए निर्गत पत्र।	147
परि० 8:-	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा 1988 में अल्पसंख्यकों को 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रमों में लाभ पहुँचाने हेतु आदेश।	149
परि० 9:-	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रमों में लाभ पहुँचाने हेतु 1988 में निर्गत पत्र का नवीकरण।	151
परि० 10:-	अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्गत परिपत्र।	153
परि०11 'क':-	आयोग द्वारा आद्री के माध्यम से कराये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसाएँ।	156
परि०11 'ख':-	सच्चर समिति की अनुशंसाएँ।	160
परि० 12:-	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत कवर किए गए राज्य/जिला-वार ब्लॉकों और शहरों की सूची।	177
परि० 13:-	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की जिलावार आबादी का ब्योरा	181
परि० 14:-	बिहार सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन।	183

परि० 1

पत्र सख्या -3/ एम-15066/86-का0-6725

बिहार सरकार

कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एम0 एल0 मजुमदार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी समाहर्त्ता।

पटना, दिनांक 22 मई 1989, ई0।

विषय :- सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों के कलयाणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य में किया जा रहा है। इन 15 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चूकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पद आरक्षित रखना संवैधानिक नही है इसलिए यह आवश्यक है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों को विशेष रूप से चयन किया जाए ताकि सरकारी सेवा में सरकार के अधीन लोक उपक्रमों के सेवा में उनको प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो।

2. उपर्युक्त तथ्य के आलोक में सरकार ने इस विषय पर भली-भाति विचार कर निम्न निर्णय लिया है।

3. नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, इसाई एवं सिख के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए।

4. सरकार का विचार है कि चयन/प्रोन्नति समिति में अल्पसख्यंक समुदाय के प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में रहना सरकारी सेवा/लोक उपक्रम के संवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सहायक सिद्ध होगा।

विश्वासभाजन

ह०/- एम० एल० मजुमदार,

सरकार के सचिव

ज्ञांप संख्या-3/एम-15066/86-का.-6725 पटना-15, दिनांक 22 मई, 1989

प्रतिलिपि :-अधयक्ष लोक उद्यम ब्यूरो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु आग्रसारित।

2. अनुरोध है कि यह व्यवस्था लोक उपक्रमों में भी लागू की जाए।

ह०/- एम० एल० मजुमदार,

सरकार के सचिव

परिशिष्ट-10

पत्र संख्या- आर०/आयोग-1075/77-204/आ०

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

श्री सरयू प्रसाद सिंह,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक-17 जून,1978

विषय :- राज्य के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषायी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए स्थायी समिति, स्टैडिंग कमिटि का गठन।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषायी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें आपके जिले के लिए निम्नांकित सदस्य मनोनित किये गये है।

1. जिला पदाधिकारी - पदेन अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी - पदेन सचिव।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक एंव जिला विद्यालय निरीक्षण में से कोई एक जिसका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेगें - पदेन सदस्य।
4. श्री ..... पदेन सदस्य
5. श्री ..... पदेन सदस्य
6. श्री ..... पदेन सदस्य
7. श्री ..... पदेन सदस्य

2 – यह समिति भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों को विभिन्न स्थानीय समस्याओं पर विचार कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव देगें। स्थानीय स्तर पर इन सुझावों पर कार्रवाई होने में यदि कोई दिक्कत हो तो समिति द्वारा इसे सरकार के निर्णयार्थ उपस्थापित किया जा सकता है।

3 – समिति की बैठक जिला पदाधिकारी की सुविधानुसार माह में एक बार अवश्य की जाए तथा बैठक जिला की कार्यवाही की एक प्रति धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को भेजी जाए।

4 – कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरयू प्रसाद सिंह,

सरकार के उप सचिव

परि० 3

बिहार सरकार

श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञांप संख्या - ई0 4003/85-164 पटना, दिनांक 18.01.1986

सेवा में,

सभी प्रभारी नियोजन पदाधिकारी, बिहार

विषय :- नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के निबंधन के संबध में।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निर्देशों के कार्यान्वयन के संबध में दिल्ली में हुई एक बैठक में लिए गये निर्णयों के उपरान्त राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में पड़ने वाले नियोजनालयों एवं ऐसे नियोजनालयों जिनके क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय का जमाव है जिसे इस निदेशालय के पत्र संख्या 2177, दिनांक 19.07.1985 के द्वारा यह अनुदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों का निबंधन अलग से किया जाए और उनके लिए निबंधन पंजी, नवीकरण एंव जीवित पंजी का पोषण भी अलग से किया जाए।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ एक बैठक राज्य श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29.10.1985 को हुई थी। बैठक में अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के अलग से निबंधन करने के प्रश्न पर विचार किया गया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों का निबंधन अलग से करने तथा उनकी जीवित पंजी अलग से पोषण करने में उक्त समुदाय के आवेदकों को सम्प्रेषण के मामले में कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेगा बल्कि सम्प्रेषण में उनके नाम आदि छूट जाने का भय बना रहेगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के निबंधन पहले की भांति किया जाऐगा। परन्तु अलग से एक निबंधन पंजी एक्स-63 का पोषण होगा जिसमें उक्त समुदाय के आवेदकों का निबंधन संख्या, नाम आदि मूल निबंधन पंजी से देखकर अंकित कर दिया जायेगा। ऐसे आवेदकों का निबंधन कार्ड एक्स - 11 की फाईलिंग नियमानुसार पूर्व की भॉति ही की जाऐगी ताकि सम्प्रेषण में वरीयता के आधार पर इनके नामों का सम्प्रेषण हो सके। अत: निदेशालय नियोजन के पत्र संख्या-2177 दिनांक 19.07.1985 में निहित अनुदेशों को रद्द करते हुए पुन: आदेश दिया जाता है कि निबंधन की यह प्रक्रिया राज्य के सभी नियोजनालयों द्वारा अपनाई जाऐगी और यह अनुदेश 01.01.1986 से राज्य के सभी नियोजनालयों में लागू किया जाऐगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक्स - 64 (रिक्त) पंजी में एक ओर स्तम्भ जोड़ दिया जाए जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सम्प्रेषित आवेदकों की संख्या अलग से अंकित किया जा सके। अत: इस प्रक्रिया को भी लागू करने का निदेश दिया जाता है।

पूर्व में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक जो जीवित पंजी पर है, उनकी निबंधन संख्या आदि एक्स-63 पंजी से उतार कर दूसरी एक्स 63 पंजी में रखा जाय ताकि इससे पता चल सके कि उक्त समुदाय के कितने आवेदक जीवित पंजी पर उपलब्ध है।

ह० :- अस्पष्ट

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - 164 **पटना, दिनांक 18.01.1986**

1. प्रतिलिपि सभी उप निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत नियोजनालयो मे उक्त प्रक्रिया को 01.01.1986 से निश्चित रूप से लागू करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।
2. प्रतिलिपि नियोजन पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एंव मार्गदर्शन केंद्र, कनीय नियोजन पदाधिकारी, सभी ग्रामीण नियोजन केंद्र, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कायार्थ।
3. प्रतिलिपि निदेशालय नियोजन में पदस्थापित सभी पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० :- अस्पष्ट

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

परि० 4

पत्र संख्या-ई0-4003/85-1439

बिहार सरकार

श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन बिहार, पटना-15

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,

निदेशक, नियोजन एंव प्रशिक्षण, बिहार , पटना।

सेवा में,

1. बिहार के सभी प्रभारी नियोजन पदाधिकारी।
2. सभी उप मुख्य, विश्वविद्यालय नियोजन एंव मार्गदर्शन केंद्र, बिहार

पटना, दिनांक 18 मई, 85

विषय :- अल्पसंख्यक के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन निबंधन आदि में भेदभाव नहीं करने के संबंध में।

महाश्य,

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्री निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में 29.01.1985 को गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री आर0 के0 सईद की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में उपरोक्त विषय पर विचारोपरान्त यह सुझाव दिया गया कि महानिदेशालय नियोजन एंव प्रशिक्षण डी0 जी0 ई0 टी0 द्वारा अल्पसंख्यकों के आवेदकों को नियोजनालयों में निबंधन एंव उनके नाम नियोजकों को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किये जाने के स्बंध में जो अनुदेश निर्गत किया गया है उसे कठोरता से पालन किया जाए।

अत: निदेश दिया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के निबंधन एंव रिक्तियों के विरूद्ध सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नही बरता जाए ताकि प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निर्देशों का कार्यान्वयन भलि-भाति हो सके।

विश्वासभाजन

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या – ई0 4003/85-1439 पटना, दिनांक 18 मई 1985

प्रतिलिपिः- संयुक्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अल्प संख्यक कोषाँग, वेस्ट ब्लौक–8, विगं नं0–2, दूसरा मंजिल, रामकृष्णापूरम् नई दिल्ली 66 को उनके पत्रांक 17/42/85 एम0 सी0, दिनांक 16.02.85 तथा 10.04.85 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या – ई0 4003/85-1439 पटना, दिनांक 18 मई 1985

प्रतिलिपिः- सभी क्षेत्रीय उप निदेशक नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

परि० 5

पत्र संख्या-ई0-4003/85-2178

बिहार सरकार

श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभग बिहार।

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,

निदेशक, नियोजन एंव प्रशिक्षण, बिहार , पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक नियोजन,

अवर प्रादेशिक नियोजनालय,

बोकारो स्टील सीटी, धनबाद/रॉची, जमशेदपुर/दुमका।

जिला नियोजन पदाधिकारी,

मोतिहारी/बेतिया/लहेरियासराय/पूर्णिया।

पटना, दिनांक 19जुलाई, 85

विषय :- अल्पसंख्यक के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के निदेशों को कार्यान्वयन विशेष अभियान चलाकर निबंधन करने के संबंध में।

महाशय,

इस निदेशालय के पत्र संख्या - ई0-4003/85-1439, दिनांक 18.05.85 की और आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को निबंधन एंव सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नही बरती जाए। हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उक्त विषय पर विचार विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्यों में जहॉ अल्पसंख्यक का जमाव है, वहॉ विशेष अभियान चलाकर उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन अधिक संख्या में किया जाए ताकि नियोजनालय की जीवित पंजी पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पूरा हो।

अत: प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यदिशा के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह अनुदेश दिया जाता है कि आप अपने नियोजनालय के क्षेत्र में जहॉ अल्पंसख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव है वहॉ जाकर उनके निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाए ताकि अधिक से अधिक उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन हो और उन्हें जीवित पंजी पर लाया जाए।

जिस क्षेत्र में निबंधन अभियान चलाना हो उस क्षेत्र के मुखिया को पहले एक पत्र लिख कर सूचना दे दें ताकि मुखिया अल्पसंख्यको के बीच इसका प्रचार कर सके और फिर जिस तिथि को निबंधन अभियान के लिए जाना हो उस तिथि की जानकारी मुखिया को दे दें जिसमें कि निर्धारित तिथि को आवेदक निबंधन के लिए उपलब्ध हो सके।

अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख एंव क्रिश्चयन आते है।

कृपया इसे आवश्यक समझें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से मुझे अवगत करायें।

विश्वासभाजन

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - ई0 4003/85-2178 पटना, दिनांक 19 जुलाई 1985

प्रतिलिपिः- रोजगार एंव प्रशिक्षण महानिदेशालय/संयुक्त सचिव, डी०जी०ई०टी० श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके गोपनीय पत्र संख्या- डी०जी०ई०टी० 61441/84 ई०-1 दिनांक 3.05.85 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - ई0 4003/85-2178 पटना, दिनांक 19 जुलाई 1985

प्रतिलिपिः- :- श्री एम० असलम, सयुक्त निदेशक एम०सी० गृह मंत्रालय अल्पसंख्यक कोषागं बेस्ट ब्लौक-8, विगं नं 2 दूसरी मंजिल नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - ई0 4003/85-2178 पटना, दिनांक 19 जुलाई 1985

प्रतिलिपिः- सभी क्षेत्रीय उप निदेशक नियोजन बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

परि० 6

पत्र संख्या-ई0-4003/85-2177

बिहार सरकार

श्रम नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना।

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक (नियोजन)

अवर प्रादेशिक नियोजनालय,

बोकारो स्टील सिटी/धनबाद/रॉची/दुमका/जमशेदपुर।

जिला नियोजन पदाधिकारी,

मोतिहारी/बेतिया/लहेरियासराय/पूर्णिया

पटना, दिनांक 19 जुलाई, 85

विषय :- अल्पसंख्यको के कल्याण के सबंधं में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन नियोजनालयों में अलग शाखा खोलने के संबंध में।

महाशय,

कृपया इस निदेशालय के पत्र संख्या -4003/85-1439, दिनांक 18.05.85 का निदेश करे जिसमें यह अनुदेश दिया गया है कि अल्पंसख्यक समुदाय के व्यक्तियों के निबंधन एंव सम्प्रेषण में किसी प्राकर का भेदभाव नही बरता जाए। हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गयी थी जिसमें अल्पंसख्यकों के कल्याण से संबंधित विषय पर विचार विमर्श हुआ। विचारोपरान्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के ऐसे क्षेत्र जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव है वहॉ उनके लिए एक अवर नियोजनालय खोलने पर राज्य सरकार विचार करें ताकि उन समुदाय के व्यक्तियों के नियोजन के मामले पर दृढ़ता से कर्रवाई हो सके। महानिदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त इस सुझाव को राज्य की वित्तीय स्थिति को मदेनजर रखते हुए जॉचने पर यह महसूस किया गया कि अलग से अवर नियोजनालय खोलने के प्रस्ताव में सरकार सहमत नही होगी फिर भी प्रधानमंत्री के 15 सूत्री निदेशों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए औद्योगिक क्षेत्र एवं जन्म क्षेत्रों में जहॉ ऐसे व्यक्तियों का जमाव है कि नियोजनालयों में अलग से इनके लिए एक शाखा खोला जाए।

2- अतः इस संदर्भ में यह अनुदेश दिया जाता है कि आप अपने नियोजनालय में अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए एक अलग से शाखा खोलने का व्यवस्था करें। जिस प्रकार प्रत्येक नियोजनालयों में महिला शाखा कार्यरत है उसी प्रकार अल्पसंख्यक शाखा भी कार्य करेगा। इस समुदायों के लिए अलग से निबंधन नवीकरण एंव जीवित पंजी का पोषण करना है। पूर्व से जीवित पंजी पर उपलब्ध उक्त समुदाय के व्यक्तियों का एक्स-1 कार्ड अल्पसंख्यक शाखा की जीवित पंजी में लाया जाएगा और नियोजनालय में रिक्तियों की प्राप्ति पर इनकी जीवित पंजी से भी सम्प्रेषण की कार्रवाई की जाए ताकि सम्प्रेषण में इनका उचित प्रतिनिधित्व रहें। इस शाखा का कार्य वर्तमान में उपलब्ध कर्मचारियों के द्वारा ही चलाया जाएगा। अल्पंसख्यक समुदाय शाखा खोलने के पूर्व नियोजनालय में एक अलग काउन्टर की व्यवस्था कर ली जाए एवं इसके संबंधित एक सूचना पट भी लगा दी जाए।

यह आदेश दिनांक 01.08.85 से लागू किया जाए और इसकी सूचना इस निदेशालय को भी दी जाए।

विश्वासभाजन

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

ज्ञाप संख्या - ई0 4003/85-2177 पटना, दिनांक 19 जुलाई 1985

प्रतिलिपिः- रोजगार एंव प्रशिक्षण महानिदेशालय/संयुक्त सचिव, डी0जी0ई0टी0 श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके गोपनीय पत्र संख्या- डी0जी0ई0टी0 61441/84 ई0-1 दिनांक 3.05.85 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

ज्ञाप संख्या - ई0 4003/85-21787 पटना, दिनांक 19 जुलाई 1985

प्रतिलिपिः- श्री एम0 असलम, सयुक्त निदेशक एम0सी0 गृह मंत्रालय अल्पसंख्यक कोषागं बेस्ट ब्लौक-8, विगं नं 2 दूसरी मंजिल नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञाप संख्या - ई0 4003/85-21787 पटना, दिनांक 19 जुलाई 1985

प्रतिलिपिः- सभी क्षेत्रीय उप निदेशक नियोजन बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० :- शिव प्रिय

निदेशक

N0 A/CP – 1014/68-14042C

GOVERNMENT OF BIHAR

Political (Special) Department

From,

Shri S.D. Prasad,

Under Secretary to Government.

Patna, the 18th July,1970

To,

All District Officers.

Subject :- Recommendation of the Sub-Committee of the National Integration Council on Communalism about the Constitution of standing committees to deal with the group tension-

Sir,

I am directed to enclose a copy of the summary record of the proceedings of the second meeting of the Sub-committee of the National Integration Council on communalism held on 22nd May, 1969 in New Delhi and to say that it would appear from Proceeding that the member of the said committee laid emphasis among other points on the constitution of standing committees to deal with group tensions to prevent occurrence of incidents and to ensure communal harmony in pockets were communal riots leading ot loot and arson are cronic it has been in practice since long in this state whenever communal trouble in apprehended in any part of a District, immediately a pease committee consisting of prominent publicmen is formed which give valuable contribution in preserving harmonious realations between different communities and in restoring normalcy. The sub committee of the NIC have now given consideration to the manner in which these committees should be formed at District, Tashil and Block level and should be permanent bodies. They should not only be composed of representatives of different political parties but should have a wider cross section of the people from different walks of life who command the confidence of the commumity in general at the same time committee should not be unwidely. The district Magistrate should be co-ordinator or the secretary of the committee at the district level, although a barricate of flexibility would have to maintained in this regard depening on the special circumstances and need of each place.

In the industrial areas, triparlite committees consisting of representatives of the employees the employers and the public should be formed to create a climate of healthy relations among them, locate and resolve causes of tension and generally to minimise occurance of roots breaking out within or in the vicility of industrial areas or township.

The committees at various levels should work continuously for communal harmony and would need to go into such fact or as are responsible for creating tension in the areas with which they are concerned. They could associate with their work other voluntary organisations like the Gandhi peace Foundation. These Committees could also help the District Administration in maintaining harmony between different castes and groups. In this context communal harmony should not be interpreted in any narrow sense of involving people of different religious only.

Accordingly the State Government have decided to constitute such committees at distict and Subdivisional levels.

I am, there fore, to request you in regard to that names of journalists and other persons to be nominated in the committees at District and subdivisional level may please be sent to Government Immediately, taking into account all aspects of the recommendation made by the Sub committee in this regard.

Your Faithfully,

Sd/- S. D. Prasad

Under Secretary to Government

Memo No. 4042/C Patna, the 18th july,1970

Copy with a copy fo enclosure forwarded for information to:-

All Commissioners of Divisions

Inspector General of Polices, Bihar

D.I.G.C.I.D(S.B) Bihar

Sd/- S. D. Prasad

Under Secretary to Government

परि० 8

पत्रांक-457

बिहार सरकार

20-सूत्री कार्यक्रम विभाग।

प्रेषक,

श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय,

सरकार के अवर सचिव।

पटना, 19.03.1988

सेवा में,

बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभाग।

विषय : अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री सुझाव।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री सुझाव के सूत्र संख्या 13 (प्रति संलग्न) के अनुसार अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त बीस सूत्री कार्यक्रम अंर्तगत अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से जिस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है उसकी सूची संलग्न की जा रही है।

अत: आपसे अनुरोध है कि अधिनस्थ पदाधिकारियों को इनके दृढतापूर्वक कार्यान्वयन करने का आदेश जारी करने की कृपया व्यवस्था करेगे।

विश्वासभाजन

ह0/- सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक टी0पी0पी-02/87/451 **पटना, दिनांक 19.03.88**

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त (नाम से) /सभी जिला पदाधिकारी (नाम से)/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।ण

ह0/- सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक टी०पी०पी-02/87/451 **पटना, दिनांक 19.03.88**

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/अध्यक्ष, राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक टी0पी0पी-02/87/451 **पटना, दिनांक 19.03.88**

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के सचिव/सचिव गृह (विशेष) विभाग को सूचनार्थ।

ह0/- सरकार के अवर सचिव

परि० 9

पत्रांकः का. का. (विविध) 04/97/562

सेवा में,

20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी

आयुक्त एंव सचिव/विभागाधयक्ष। दिनांक 28.08.1997

विषय :- अल्पंसख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 13 के अंर्तगत अल्पसंख्यकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंर्तगत लाभान्वित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे निदेशानुसार कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मई 1983 में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की धोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम को पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा अगस्त 1985 में रेखांकित किया गया । इस कार्यक्रम के सूत्र संख्या 13 में अंकित है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंर्तगत चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रम में यह धयान रखा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को उनके लाभ उचित और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो तथा ऐसे कार्यक्रमों इस विभाग के पत्रांक 451 दिनांक 19.3.1988 (प्रतिलिपि पुनः सलग्न) के द्वारा आपको सूचित यिका गया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अर्तगत अल्पसंख्यको को मुख्य रूप से किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है तथा यह भी अनुरोध किया गया था कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसके दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन करने का आदेश निर्गत किया जाय। इसी क्रम में राज्य अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त पत्रांक 7665/दिनांक 18.06.97 की एक प्रति भी संलग्न की जा रही है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के द्वारा अंकित किया गया है कि इस विभाग के उपरोक्त आदेश का अनुपालन क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों में रोष एवं बैचनी है।

2- विषय की समीक्षा हेतु इस विभाग के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस बैठक मे विचार विमर्श हेतु कृपया सूचित किया जाए कि पिछले 5 वर्षों में आपके विभाग द्वारा कार्यान्वयन की जा रही विकास योजनाओं से अल्पसंख्यकों को कितना लाभ पहुंचाया गया तथा इनक कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए गठित समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है अथवा नही। कृपया इस विभाग के उपर्युक्त आदेश के आलोक में आपके विभाग द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यदि कोई आदेश निर्गत किया गया हो तो उसकी प्रति भेजी जाए तथा उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु यदि कोई समिति गठित की गई हो, तो उनके गठन से संबंधित अधिसूचना/ संकल्प की एक प्रति भी भेजवाई जाए।

3- कृपया इसे प्राथमिकता देते हुए वांछित सूचना दिनांक 10.09.97 तक इस विभाग को भेजवाने की कृपा की जाए।

अनु0-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पी० पी० शर्मा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक का. का. (विविध) 04/97/5662 दिनांक 28.07.1997

प्रतिलिपि :- श्री सोहेल अहमद, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक 7665, दिनांक 28.7.97 के क्रम में सूचनार्थ प्रषित। विभिन्न विभागों में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इसे अवगत कराया जाएगा।

ह०/-

(पी० पी० शर्मा)

सरकार के सचिव

परि०10

पत्रांक-अ0सं0क0-16/2000-991

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

बिहार।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त

सभी उप विकास आयुक्त।

पटना/दिनांक 23.11. 2000 ई0

विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन एंव पर्यवेक्षण के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देती है। ये कार्यक्रम विभिन्न / ऐजेंसियों के अधीन चलाये जाते है, लेकिन सामान्यता: इन सभी का कार्यान्वयन जिला स्तर से होता है। इधर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों की मोनिटरिंग के लिए कोई ठोस व्यवस्था या प्रक्रिया निर्धारित नही है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कुछ सुझाव भी दिये है।

2- अल्पसंख्यको के कल्याण के कार्यक्रमों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जिलाधिकारी/ उपायुक्त के समग्र नियंत्रण एंव मार्गदर्शन में अल्पसंख्यकों से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन एंव मोनिटरिंग के जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार पदाधिकारी होगे। उप विकास आयुक्त अपने अधीन एक सुयोग्य पदाधिकारी के प्रभार में एक ''अल्पसंख्यक कल्याण कोषांग'' का गठन करेंगे जो अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सभी विभागों/संगठनों द्वारा किये जा रहे सभी कार्यो/योजनाओं की सतत निगरानी एंव अनुश्रवण करेगा और उनसे संबंधित ऑकडों, प्रतिवेदनों इत्यादि को इकट्ठा करेगा।

3- राज्य के सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त अपने जिला के 20 सूत्री कार्यक्रम एंव अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को पहुँचाये जा रहे लाभों एवं कार्यक्रमों के संबंध में एक माहवारी प्रतिवेदन प्रत्येक माह ठीक उसी प्रकार से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को देंगे जैसा कि अनुसूचित जाति/जन जाति/ महिलाओं के संबंध में दिया जाता है।

4– प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन/अनुश्रवण के संबंध में जो व्यवस्था अपनाई गई है, वही व्यवस्था अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन/अनुश्रवण के संबंध में भी अपनाई जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(मुकुन्द प्रसाद)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 991 पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपि :– प्रो० सोहेल अहमद, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पंसख्यक आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(मुकुन्द प्रसाद)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 991 पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपि :– सभी जिला के प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि जब भी जिला/प्रखंड स्तर पर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति/प्रंखड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हर स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाली लाभ से संबंधित योजना की समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

ह0/–
(मुकुन्द प्रसाद)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 991 पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सचिव, सांस्थिक वित्त एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मुकुन्द प्रसाद)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 991 पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मुकुन्द प्रसाद)
मुख्य सचिव

आयोग द्वारा आद्री (ADRI) के माध्यम से कराये गये सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की अनुशंसाएँ

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The overall socio-economic status of the Muslims in Bihar is generally inferior to that of the other sections of the population, but the socio-economic distances between them are not the same on all counts. Both the extent of the distances and the reasons for their emergence and continuation vary, depending upon the nature of the indicator, the locale — rural or urban, and gender.

6.1 Conclusions

1. Among the sections of the population which were bypassed by the post- independence development process in India, Muslims form a significant section, a majority of whom are afflicted by low income, widespread illiteracy and many other socio-economic disadvantages.

2. Bihar is one of those ten states where the Muslims constitute at least 10 percent of the population. According to the 2001 census, the Muslim population in Bihar was 137.2 lakh, forming 16.5 percent of state's total population and 9.9 percent of the country's total Muslim population. Viewed from either perspective, the Muslims constitute a sizeable minority in Bihar. It is, therefore, not possible to visualize a vigorous development process in Bihar of which the Muslim population is not a beneficiary and in which it is not an equal and active participant.

3. According to the 1991 census, 87.0 percent of the Muslims in Bihar live in the rural areas and the remaining 13.0 percent in the urban areas. Taking into account both the absolute size of the Muslim population in different districts and the share of that population in the district's total population (the two indicators of Muslim concentration in a district), it is found that the districts with a relatively higher Muslim concentration are all in north Bihar.

4. The Islamic ethos is basically egalitarian and, in its religious texts, no division of the society ordained by birth is indicated. But because of long interactions with the Hindus, the Indian Muslims are also divided among castes as are the Hindus. The Muslim caste categories have appeared largely along occupational lines; but as among the Hindus, the caste-occupation relationship is losing strength. The present survey has identified 43castes among the Muslims in Bihar. Of these, 4 belong to the 'upper castes', 11 to the 'backward castes' and 28 to the 'most backward castes'.

In the rural areas, the shares of these three categories in the total population are 40.4, 25.0 and 34.6 percent respectively; in the urban areas, the distribution is very similar. This pattern is very different from that among the Hindus, among whom the upper castes account for a much smaller part of the population.

5. Out of 137.2 lakh Muslims in Bihar, 87.0 percent live in rural areas where land and related resources form the main base of livelihood. But only 36 percent of the rural Muslim households have some land; among the general population, land-owning households constitute 58 percent. Further, the average land per land-owning Muslim household is only 1.91 acres, compared to 2.32 acres for the general population. To make the situation worse, there is also a slow trend of land alienation from the Muslim households. However, relatively better irrigation facilities available to the Muslim cultivating households, partially compensate for their lower land endowment.

6. With respect to livestock resources, the rural Muslim households are worse off compared to the general population — 56 percent of them owning some livestock resources, compared to 61 percent among the general population. The critical importance of livestock rearing as a part of their survival strategy is indicated by the fact that nearly half of them sell part of their animal husbandry products, though the level of production is very low.

7. The non-land resource base of the Muslim households is even smaller than the land and land-related resource base. The percentage of the Muslim households engaged in artisan-based activities is only 2.1 in rural and 4.4 percent in urban areas. This obviously indicates that, in the face of competition from modern manufacturing industries; the traditional artisan-based activities in many Muslim households have fast disappeared, forcing their workers to become low-paid wage-earners. Manufacturing 108 activities by Muslim households are entirely absent in rural areas and, in urban areas, it is very rare (0.6 percent). However, self-employment activities are fairly wide among the Muslim households, both in the rural areas (23 percent) and the urban areas (42 percent). These activities like retail trade, bidi-making, tailoring, rickshaw-pulling and repair workshops, are generally low paying.

8. The resource base for self-employment being very limited, wage/salary employment is the more common form of livelihood for the Muslim workers. Among male workers, wage/salary earners constitute 58 percent in the rural areas and 63 percent in the urban areas. Many of these wage/salary earners do not have a regular employer, especially in the rural areas. But even those

having a regular employer are mostly employed in the unorganised private sector, where both earning levels and service conditions are very poor. For the Muslim workers in Bihar, therefore, the disadvantages are two fold —for self-employed workers, the resource base in so limited that they are mostly in lowincome activities; and among those who are wage/salary earners, a vast proportion are in the unorganised sector. Admittedly, employment in the organised sector is low even among the general population; but among the Muslims, it is lower, indicating a segmentation of the labour market to the disadvantage of the Muslim workers.

9. Given the very adverse livelihood conditions, outmigration by workers is a wide practice among the Muslims in Bihar, possibly much wider than among the general population. For every 100 rural Muslim households, there are 63 outmigrants; in the urban areas, the figure is 24. Most of the outmigrants move outside the state, but a none too small proportion also manages to reach the Gulf countries. Their remittances are substantial — about one-fourth of the total income of the rural Muslim households. The share is about one-tenth in the urban areas.

10. The average annual income of a Muslim household is about Rs. 31.55 thousand in the rural and Rs. 43.64 thousand in the urban areas. Assuming a 7-member household to be an average one, the survey estimates that about 49.5 percent of the rural Muslim households live below the poverty line, compared to 44.3 percent for the general population. In the urban areas, however, the poverty estimates for the Muslim and general population differ considerably — 44.8 percent for the Muslim households, but a much lower 32.9 percent for the general population. There is a sizeable economic 109 distance between the Muslims and general population. But the distance is much wider in urban than in rural areas, because of the combined effect of resource disadvantage and employment discrimination.

11. A comparison between the Muslim and general population in respect of their living conditions (like housing, drinking water supply, toilet/sewerage facilities, cooking fuel used and possession of various durable goods) clearly shows that such conditions are inferior for the Muslims in the urban areas, In the rural areas, the living condition of the Muslims is slightly better with regard to some amenities, but it is because of historical factors (like better housing) or social habits (wider prevalence of in-house toilets).

12. To make the situation worse for the Muslims, nearly all the poverty alleviation programmes of the government bypass the community. The food support by the Public Distribution System

(PDS) is, of course an exception; but even here, nearly one-fifth of the rural and one-fourth of the urban Muslim population remain outside its purview.

13. As regards educational status, the overall literacy rates for the Muslims are lower than for the general population. This social distance between the two populations may be moderate in rural areas, but it becomes large in urban areas. Secondly, the gender differences in the literacy rates are narrower among the Muslims than among the general population, indicating that the undesirable practices of gender discrimination is relatively less among the former. The Muslim population, however, at least partly compensates for their lower literacy status, by having among its literate members, a relatively smaller proportion of 'marginal' literates (primary or less) and correspondingly, a relatively larger proportion of 'decent' literates (i.e., above primary).

14. About one-fifth of the Muslim children in the school-going age do not attend school, in both rural and urban areas. The extent of educational exclusion, therefore, is still substantial among the young Muslims and its negative impact would obviously be a long-drawn process. But fortunately, the situation is improving as compared to what it was about a generation back. Nearly half the adult Muslims in urban areas and more than half in rural areas had never been to school. An even more positive development in this direction is that much of the increase in school enrolment is because of higher enrolment of girl students. The trend clearly indicates the community's eagerness to modernise itself.

15. The majority of Muslim students receive their education through Hindi, more so in the urban areas. English-medium schools, being generally expensive, are mostly beyond the reach of Muslim students. The use of Urdu as a medium of instruction is rather limited — for one-fifth of the students in urban areas and two-fifths of the students in rural areas. However, so far as the knowledge of Urdu is concerned, the present survey show that about four-fifths of the Muslims students now in school know Urdu, having learnt or currently learning it in their schools.

16. The estimated birth rates of the Muslims in Bihar was 33.8 in rural and 25.9 in urban areas; these rates are close to that of the general population in 1989-91 (33.4 for rural and 25.9 for urban general population). In other words, with respect to fertility behaviour, the Muslim population in Bihar is about a decade behind the general population. An important reason behind higher fertility rates among the Muslims is their desire for more children — in rural areas, the average desired

family size for mothers of general population is 3.30, but for Muslims, it is 3.64; in the urban areas, the corresponding figures are 2.80 and 3.30. As a consequence, the practice of family planning by Muslim couples is relatively less compared to couples from the general population. The consequent higher fertility rates among the Muslims is in large measure related to their lower economic status and is partly also due to socio-cultural factors.

17. The death rates among the Muslims in Bihar are again found to be higher than for the general population, indicating inferior health care for the former. The process starts right at the time of birth (with birth at home aided by traditional 'dais' being wider among the Muslims), followed by substantially lower immunisation rates for the Muslim children. Consumption of nutritional food items (like milk and fruit) is also comparatively less by Muslim households, all resulting in their inferior health status and higher death rates.

18. The political participation of the Muslims of Bihar, as indicated by their voting practices, is very high. In both rural and urban areas, although about 10-15 percept of eligible voters are not listed, nearly all the listed voters exercise their voting rights.

6.2 Recommendations

Our study shows that the socio-economic status of the Muslims in Bihar is, in practically all aspects, much lower than that of the general population in the State. This is attributable to a number of factors; but the main reason is their low incomes. These severely limit their ability to do better in other areas. It is, therefore, extremely important to take urgent, effective and, where possible, special measures to enhance their incomes and expand their employment opportunities. We make the following specific suggestions in this regard:- **Economic Measures**

1. Since the vast majority of the Muslims in Bihar live in the rural areas, any measure taken for the general improvement of the conditions in the rural areas – like improving agricultural productivity, building the rural infrastructure, processing of primary products and reviving rural-based industries — will go a long way towards improving the economic conditions of the Muslims as well. However, for improving the socio-economic conditions of the Muslims, it is desirable that in areas with concentration of Muslim population, these measures should receive additional attention.

2. As the Muslims in Bihar have been bypassed by most of the poverty-alleviation programmes of both the central and state governments, it is important to make a conscious effort to ensure that

the benefits of these programmes reach them fully. In this connection, priority should be attached to programmes designed to enhance incomes, provide employment, develop skills and provide assets for undertaking productive activities. Secondly, the programmes targeted at the minority population, like loans from, the Minority Development and Finance Corporation should be revamped through the provision of much larger resources and by improving the procedures to facilitate quick disbursement of loans. Thirdly, the government should co-finance and otherwise support the programmes for the Muslim community, undertaken by the organisations of the community and other civil society organisations.

3. The artisan industries in which the Muslims have been traditionally skilled, are fast disappearing and have now ceased to be an important source of income for them. These industries should be revived by providing easily accessible credit at affordable terms and 112 conditions, organising training for the development of skills and creating marketing facilities for the products of these industries. Measures should also be taken to provide appropriate knowledge input for these industries by undertaking research and development (R&D) designed to enhance their competitiveness.

4. A substantial number of workers, both Muslims and others, acquire their professional skill through family tradition and informal methods. The typical examples are auto-repair, electric/ electronic equipment maintenance, air-conditioning and refrigeration, plumbering, cooking and catering, food processing, textile dyeing, book-binding, tailoring, embroidery, etc. In the absence of any formal certification of such skills, these workers are forced to remain in the informal sector where the wages are low. The state government, after proper testing (as the process adopted for issuing driving licence), should arrange for formal certification of such skills which could help the workers to acquire better employment opportunities.

5. The economic improvement of the Muslim population will greatly depend on more and more of their workers obtaining high skilled employment. For upgradation of skill of Muslim workers, special training institutions like ITI's, computer training centres, para medical training centres, etc. should be established in all areas where there is concentration of Muslim population. The National Institute of Open School (NIOS), under the Union Ministry of Human Resource Development (MHRD), should also extend its network to include Madarsas (both boys' and girls') and minority

schools where its vocational training courses could be organised for Muslim boys and girls, enhancing their skill and employability.

6. The Muslims in Bihar are employed mainly in the unorganised private sector where salary levels are low and other conditions of work are poor. Their other major source of income is self-employment in low-paying economic activities. In the long run, their economic conditions will improve only with the enlargement of employment opportunities in the government and the organised sectors. But in the short and medium run, measures should be taken to improve the conditions of work, facilitate the marketing of products, prevent exploitation and ensure the payment of minimum wages, in the sectors in which they are presently employed.

7. Social stratification, and often outright discrimination, is the predominant, if not the sole, reason for the insignificant presence of the Muslims in Bihar in the organised sector and for their much less than proportionate share of government jobs. Special measures are called for to overcome this segmentation of the labour market. These include setting targets for the recruitment of Muslims in these jobs and monitoring progress on a continuing basis towards achieving these targets and the government opening a high level dialogue with the organised sector to ensure that their recruitment process is transparent and that they also set targets for the recruitment of Muslims and review progress on a regular periodical basis.

8. Among others, two major reasons for the poor economic conditions of the Muslims are that they are very often bypassed by the poverty alleviation programmes of the government and, secondly, they are discriminated against in the employment market. To stop this negative tendency, it is important to conscientise the administration at all levels, supplemented by issuance of instructions whenever necessary, and thereby ensure that the Muslims receive their due share in both poverty alleviation programmes and employment market. Besides, exemplary punishment should be meted out to all cases of discrimination against the Muslims which is a crime according to our law. If the existing laws are not adequate, fresh laws should be enacted with provision for such punishment.

9. The government should pay more attention to centres of Muslim culture, like Maner and Biharsharif, scattered throughout the state. These places, if restored fully, can promote religious tourism, providing additional employment opportunities for both Muslim and other sections of the populations.

Education and Health

10. The low score of the Muslims on most of the scales of human development, particularly education and health should be a cause of great concern to the Muslim community and to the nation. The social distance between them and the general population which is already quite large will become larger if urgent steps are not taken to bridge it. The entire future of the Muslim community will depend upon what is done in this area.

11. The present study shows that, though the current educational status of the Muslims is lower than that of the general population, there is a recent trend of distinct improvement both in the reduction of dropout rates and in bridging the gender gap in enrolement. There is also a very strong desire among Muslim parents to educate their children. This bodes well for the future. But the society must organise itself to respond to this desire.

12. A significant finding of the study is that because of their weak economic position, a much larger proportion of the Muslim households send their children to government schools in spite of their falling standards. On the other hand, the Muslims are forced to opt for generally costly private medical services, in spite of their weak economic position. The obvious policy implication of these findings is that for the sake of the Muslims and other low income groups, the government must attach the highest priority to providing education and health services of good quality and at affordable prices. The Muslim population will be among those who will benefit most if large investments are made and other necessary action taken for reviving the common school system which has all but collapsed, and for improving the condition of primary health centres and government hospitals.

13. The present survey also shows that the educational facilities like books and government financial assistance available to the Muslim students to pursue their educational goals are very limited. The obvious policy implication of this finding is for the Central and State governments to provide books free of cost up to at least the primary level to all students and up to secondary level to poor students, and to sizeably increase financial assistance to Muslim students.

14. It is the general experience that the institutions promoted by the Muslims to disseminate knowledge and skill to the members of their community are discriminated against in the matter of grant of affiliation, issue of no objection certificate and sanction / disbursement of grant-in-aid. The long delays or denial of affiliation, grants and issue of no objection certificate has resulted in frustration

among the educationist and philanthropist members of the community. The ultimate burnt of such discrimination is borne by the entire community. It is therefore suggested that a general direction be issued to all departments to end such discrimination. Preferably, a specific time limit should be fixed within which 115 administrative clearance for establishment of a new institution should be given. This time limit should be applicable to all applications, not just those by the Muslims.

15. Nearly 60 percent of the present generation of Muslim students have Hindi as their medium of instruction; an extremely small percent of them attend English-medium school/colleges; and the remaining nearly 40 percent of the current students are being educated through the medium of Urdu. This is partly because Hindi or English medium education offers relatively higher prospects of employment, the other factor being inadequate attention being paid to education through the medium of Urdu. Efforts should be made so that facilities for education through Urdu are at par with that through Hindi from the primary stage onwards so that Muslim parents can exercise their option regarding the medium of instruction of their children. In this context, it is recommended that all Madarsa schools in Bihar are made part of the Bihar Education Project (BEP) which is the implementing agency for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) in the state.

16. As regards the financial aid for Madarsas, there are three categories — first, comprising those which are both recognised and aided; second, those which are recognised, but not aided; and third, those which are neither recognised nor aided. But among those Madarsas in the first category (i.e, both recognised and aided), nearly all are boys' Madarsas. Only a few girls' Madarsas fall in that category, because they fail to fulfill the required conditions, particularly regarding their own land and building. These conditions are indeed very stringent. It is suggested that these conditions may be reasonably relaxed so that more girls' Madarsas are able to receive financial aid and thereby promote literacy among Muslim women.

17. Generally, the socio-economic distance between the Muslims and the general population in urban areas is wider than that in rural areas. A major handicap in the urban areas, making the lives of the Muslims there more miserable, is the generally lower levels of urban civic facilities in Muslim localities. Although seemingly an administrative failure, it is probably an instance of social discrimination. The municipal authorities should be directed to implement a time-bound programme to remove this anomaly. Adequate resources should be provided to them for this purpose.

Empowerment of Women

18. The Muslim women seem to be shouldering greater household burdens than those in the general population. There are more women-headed households among the Muslim than in the general population. Besides, the Muslim women shoulder a large part of the family responsibilities even when men head the households. Without adequate economic strength, they are highly constrained to perform this role, They should, therefore, be provided with productive assets and other means to be able to discharge their responsibilities.

19. Muslim women, like all poor women, should be included systematically in all the government-sponsored women empowerment schemes. In particular, the micro-credit programmes for the women Self-Help Groups (SHGs) should be so implemented that the poor Muslim women get their due share without any discrimination.

Participation in Social Organisations

20. The participation of the Muslims in Bihar in organisations like panchayats, municipalities and educational, professional, development and other organisations is minimal or insignificant. This is a poor reflection on the social and political integration of this most important minority community in India. It is, therefore, extremely important to make special efforts to secure a greater participation of the Muslims in social organisations, both in the rural and urban areas. Political parties should give more seats to Muslims for contesting in local elections. The Muslim community itself should make special effort to seek proper representation in these bodies. Similarly, Muslim leaders should organise the community for a more active participation in educational, professional, development and other organisations.

Revival of Muslim Cultural Organisations

21. Bihar has been a centre for the development of humanitarian and spiritual values of Islam.

The Muslim culture in Bihar came to acquire local characteristics giving it a new face and imparting it a richness of its own. Some of the local Islamic Anjumans and institutions, like the Khuda Bakhsh Khan Library have played a very important role in this. Most of 117 these institutions have been languishing for want of finances and leadership. It is high time they are revived and rejuvenated with the induction of additional funds in the form of government grants; new leaders,

researchers and scholars; and new agenda and work programmes in keeping with the spirit of the modern times.

Strict Enforcement of Right to Life

22. The present enquiry did not delve deep into the security perceptions of the Muslims of Bihar. However, the responses to a few queries that were made indicate that a relatively small proportion (5-7 percent) of the Muslim population in the rural areas and a somewhat larger proportion (12-14 percent) in the urban areas recall having personally suffered from communal riots. It is also significant that a relatively small proportion of the Muslims find the police trustworthy; about only one-fourth of them find the role of police to be unbiased during communal riots. Fortunately, by and large, the communal peace has prevailed in Bihar during the recent years. This may be partly due to the convergence of fortuitous political circumstances, which cannot be taken for granted. It is, therefore, extremely important, particularly in the context of the experience of not too distant past, for both the Muslim and Hindu communities as well as the State government administration to remain constantly vigilant in this regard. Our Constitution guarantees to the Muslims, as to all other citizens, the right to life, which, above all, includes right to physical survival. This right must never be breached.

23. Security is a precondition for growth and development. Thus conditions should be created to make the Muslims feel physically secured. In this connection, it is desirable that, even if the Muslims are not given reservation in public employment as a whole, it is essential for them to have adequate representation in police and armed constabulary, all members of which should be conscientised to uphold the secular values.

False Propaganda affecting the Rights of the Muslim

24. During the last few years, the issue of the so-called appeasement of the Muslims has been raised in different contexts and from different quarters. One would have, perhaps, dismissed it if it were only politically motivated. What is worse is that this issue is being 118 raised to rob the Muslims of their rights under the Constitution and reduce them to the status of second class citizens. This is unconstitutional and poses a threat to India's unity and stability. For a democracy to survive in a pluralistic society, it is incumbent upon the majority community and the State which is generally controlled by this community, not to do or say anything which carries an implication of denial to the

minority communities of their rights under the Constitution and which is perceived by them as an affront to their human dignity and detrimental to their religious identity.

Responsibility of the Muslim Community

25. A large part of the responsibility for improving the socio-economic conditions of the Muslims in Bihar rests on the leaders of the Muslim community. Therefore, many of these recommendations are addressed to them. These recommendations are unlikely to be implemented without their enlightened leadership and their effort to organise the community. Other civil society organisations should fully support them in their effort and collaborate with them whenever they are called upon to do so. To cite one example, if the community leaders can mount an effective campaign to persuade the Muslim families, particularly in the rural areas, to use the remittances received from their out migrant members, for acquiring productive assets and educating their children, and not for accumulating articles of conspicuous consumption, they will be laying the foundations for a bright future of the community. Similarly, as already suggested, they can play a stellar role in promoting wider and more effective participation by the community in social and political organisations. Besides, there is a crying need for new initiatives in the educational field. For all these, the Muslim community in Bihar as well as India today is truly in need of new community leaders who are sensitive, dedicated and courageous.

सच्चर समिति की अनुशंसाएँ

Looking Ahead Perspectives and Recommendations

1. The Context

This report has probed the question of whether different socio-religious categories (SRCs) in India have had an equal chance to reap the benefits of development, with a focus on Muslims in India. It was stated at the outset that minorities have to grapple with issues relating to identity, security and equity. It was also recognized that these three sets of issues are inter-related. But since the mandate of this Committee is primarily on equity, the Report essentially deals with relative deprivation of Muslims vis-à-vis other SRCs in various dimensions of development. It may also be useful to recall the distinction made in the introductory chapter between issues that are common to all poor people and those that are specific to minorities, especially Muslims.

Our analysis shows that while there is considerable variation in the conditions of Muslims across states, (and among the Muslims, those who identified themselves as OBCs and others), the Community exhibits deficits and deprivation in practically all dimensions of development. In fact, by and large, Muslims rank somewhat above SCs/STs but below Hindu-OBCs, somewhat above SCs/STs but below Hindu-OBCs, Other Minorities and Hindu-General (mostly upper castes) in almost all indicators considered. Among the states that have large Muslim populations, the situation is particularly grave in the states of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Assam. Interestingly, despite such deficits, the Community has lower infant mortality rates and sex-ratios. In addition to the 'development deficit', the perception among Muslims that they are discriminated against and excluded is widespread, which exacerbates the problem. The Committee strongly suggests that the policies to deal with the relative deprivation of the Muslims in the country should sharply focus on inclusive development and 'mainstreaming' of the Community while respecting diversity. There is an urgent need to recognise diversity in residential, work and educational .

created by public programmes and policy interventions. The need for equity and inclusion in a pluralistic society can never be overemphasized. But the mechanisms to ensure equity and equality

of opportunity to bring about inclusion should be such that diversity is achieved and at the same time the perception of discrimination is eliminated. This is only possible when the importance of Muslims as an intrinsic part of the diverse Indian social mosaic is squarely recognized. Given this context, the policy perspectives and recommendations discussed below fall into two broad categories:

- *General* policy initiatives/approaches that cut across different aspects of socioeconomic and educational development analysed in the Report; and
- *Specific* policy measures that deal with particular issues and/or dimensions (e.g., education, credit, etc.) covered in the Report.

2. General Policy Initiatives and Approaches

We discuss here a set of over-arching initiatives that are of importance on their own and would also enhance the efficacy of more specific instruments discussed later.

2.1 Need for Transparency,Monitoring and Data Availability Availability of reliable data on a continuing basis across SRCs on socio-economic conditions, articipation in government programmes and the like is critical for designing appropriate policies, ensuring transparency and effectively monitoring various initiatives and programmes. In other words, availability of detailed data is a prerequisite for good governance. Availability of such data would also make policy instruments like Right to Information Act more efficacious. The Committee had faced the acute problem of non-availability of reliable data and, therefore, had to launch an independent effort to collect, collate and, consolidate available data. The data obtained through these mechanisms with considerable difficulty was still not exhaustive enough to analyse several issues to our satisfaction. There is an immediate need, therefore, to make arrangements to collect data for different SRCs on a regular basis and make it available to researchers and the public. We recommend a creation of a National Data Bank (NDB) where all relevant data for various SRCs are maintained. All the data should be eventually computerized and made available on the Internet. The Census, the National Accounts Statistics (NAS) and NSSO are the most important sources of large scale good quality data but they are not able to readily provide data on crucial variables to assess the social, economic and educational conditions according to SRCs. There is an urgent need, therefore, to assess afresh the data needs for evaluating conditions of citizens by SRC status on a regular basis so as to

understand and assess the flow of development benefits. The NDB should also be the repository of data on different beneficiary-oriented government programmes undertaken at the national and the state levels along with the details of beneficiaries drawn from different SRCs. Details of employment, credit flows, programme participation, etc. should also be shared by various national and state agencies and undertakings with the NDB. For this purpose, the NDB should have the resources and authority to access data from other agencies identified above as well as to obtain required information from government departments both at the Centre and the state levels. In fact, it

should be obligatory on the part of the relevant departments of the Central and state governments to supply the information to the NDB. While the Central Statistical Commission which has been set up recently could provide the broad framework, the NDB should function as an autonomous body.

Once such data are available there is a need to institutionalize the mechanisms for assessment and monitoring in order to suggest policy options on a timely basis. The Committee recommends the setting up of an autonomous Assessment and Monitoring Authority (AMA) to evaluate the extent of development benefits which accrue to different SRCs through various programmes. Academics, professionals, civil society organizations alongwith state authorities as the official members can be part of this Authority and perform a watch-dog function which closely monitors the participation of various SRCs in both state and Central level programme implementation. As the government and public records are being digitized it would be possible for the AMA to monitor 'diversity' in participation on a regular basis. The digitization will also facilitate monitoring at all levels of governance particularly the panchayats and nagar palikas, districts and of course the states and the Centre. While monitoring should be done on a concurrent basis, an elaborate monitoring exercise should be undertaken every five years. The results of this exercise can be profitably utilized for reformulation of policies , if required.

2.2 Enhancing the Legal Basis for Providing Equal Opportunities

The widespread perception of discrimination among the Muslim community needs to be addressed. There are hardly any empirical studies that establish discrimination.1 Research in this area needs to be encouraged but is particularly difficult at the moment due to non-availability of

data. Hopefully, better availability of data would result in more studies in this area. While equity in the implementation of programmes and better participation of the Community in the development process would gradually eliminate this perception of discrimination, there is a need to strengthen the legal provisions to eliminate such cases.

The Indian Constitution in 'Part-III - Fundamental Rights' has exhaustively provided not only for equality of all citizens irrespective of their religion but has also provided special provisions for protecting the rights of minorities in respect of their religion, language and culture. Thus, any violation of the rights of the minority by the State could be challenged in a court of law. There are also institutions like National Human Rights Commission (NHRC), National Looking Ahead: Perspectives and Recommendations

1. A recent study shows that despite the presence of eligible persons in the villages in Gujarat that she studied, there were no Muslim beneficiaries in the Self Help Group(SHG) programme and not a single Below Poverty Line (BPL) card was issued to them. See Nikita Sud (2004) *'There are no non-Gujaratis in this village'/ 'We can recognise a Waghri from his chaal': Constructing and Contesting a Gujarati-Hindu Identity. Paper prepared for the workshop on 'Engagements with Tradition in the Gujarati World', School of Oriental and African Studies, London*

Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India

National Commission for Minorities (NCM) to look into complaints made by the minorities with respect to the State action. But, these mechanisms can only have a limited role and cannot look into many complaints arising on a day-to-day basis against non-State agencies. The minorities, many a time, may feel that there is discrimination against them in the matter of employment, housing, for obtaining loans from the public or private sector banks, or opportunities for good schooling. It is self evident that if minorities have these perceptions, law must provide an effective mechanism which should examine their complaints and be able to give effective relief. It is imperative that if the minorities have certain perceptions of being aggrieved, all efforts should be made by the State to find a mechanism by which these complaints could be attended to expeditiously. This mechanism should operate in a manner which gives full satisfaction to the minorities that any denial of equal opportunities or bias or discrimination in dealing with them, either by public functionary or any

private individual, will immediately be attended to and redress given. Such a mechanism should be accessible to all individuals and institutions desirous to complain that they have received less favourable treatment from any employer or any person on the basis of his/her SRC background and gender.

It is wrong to assume that there is an inevitable conflict between the interests of majority and minority communities in the country. This is flawed reasoning and assumption. Deprivation, poverty and discrimination may exist among all SRCs although in different proportions. But the fact of belonging to a minority community has, it cannot be denied, an in-built sensitivity to discrimination. This sensitivity is natural and may exist among religious minorities in any country. Recognizing this reality is not pandering to the minorities nor sniping at the majority. This recognition is only an acceptance of reality. It is a well accepted maxim in law that not only must justice be done but it must appear to be done. It is in that context that the Committee recommends that an Equal Opportunity Commission (EOC) should be constituted by the government to look into the grievances of the deprived groups. An example of such a policy tool is the UK Race Relations Act, 1976. While providing a redressal mechanism for different types of discrimination, this will give a further re-assurance to the minorities that any unfair action against them will invite the vigilance of the law.

2.3 Enhancing Participation in Governance

One reason for less than adequate participation in the development process may be due to inadequate participation in the governance structures. The Indian democracy provides opportunities for communities and groups of various social, economic and political orientations to democratically get elected and participate in different levels of 'governance' beginning from the grass roots to the state and national level political structures. Thus, democratic participation is possible for all communities within the country at a number of levels - national, the states/ union territories and at the grassroots. The local self governments - panchayats and zilla parishads in rural areas, and municipalities and corporations in urban areas – are crucial instruments in this context. Besides these institutions of parliamentary the principles of electoral democracy and public representation. For example, a cooperative society established for the purpose of providing finance for development in a locality can elect its own representatives from among its residents. In a society characterized by, considerable socio-cultural complexity, such as the one we have in India, democratic processes

founded on universal adult franchise often fail to provide opportunities to ethnic, linguistic and religious minorities from getting elected and becoming part of the governance structure because of their low population shares. Over the last sixty years minorities have scarcely occupied adequate public spaces. The participation of Muslims in nearly all political spaces is low which can have an adverse impact on the Indian society and polity in the long run. The marginalized either have inadequate numbers that comes in the way of making their presence felt in the normal course of governance or they are not politically empowered. Given the power of numbers in a democratic polity, based on universal franchise, minorities in India lack effective agency and political importance. They do not have the necessary influence or the opportunity to either change or even influence events which enables their meaningful and active participation in development process. Therefore, there is a strong case to put mechanisms in place that enable them to engage in democratic processes at various levels of polity and governance. Mere material change will not bring about the true empowerment of the minorities; they need to acquire and be given the required collective agency.

Formulating and Implementing New Nomination Procedures

For increased participation it is imperative that there is a corresponding representation in governance structures. A carefully conceived 'nomination' procedure can be worked out to increase the participation of minorities at the grass roots. Mechanisms should be put in place so that a larger number of minorities are indeed nominated so as to increase their participation in public bodies. The Committee recommends that on the lines of initiatives taken by the Andhra Pradesh government, appropriate state level laws can be enacted to ensure minority representation in local bodies (See Box 9.2 in Chapter 9). Each state implementing this provision may need to recognize both linguistic and religious minorities. This effort on the part of the government to enhance diversity in the local governance structures leading to the visible participation of minority communities would go a long way in building an atmosphere of trust and faith and will yield extraordinary results enabling India to be a vibrant democracy.

Establishing a More Rational Procedure for Delimitation of Constituencies

The Committee also recommends the elimination of the anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes discussed in Chapter 2. A more rational delimitation procedure that does not reserve constituencies with high minority population shares for SCs will

improve the opportunity for the minorities, especially the Muslims, to contest and get elected to the Indian Parliament and the State Assemblies. Apart from these two initiatives it is important to evolve other methods to enhance political participation of the Community.

Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India

2.4 Shared Spaces: Need to Enhance Diversity

There is an urgent need to enhance diversity in living, educational and workspaces. A variety of initiatives may be required for this purpose, some of which are discussed later in this chapter. With increasing ghettoisation and limited participation of certain SRCs in regular employment and educational institutions, the spaces available for interaction among SRCs have shrunk. Efforts are required to recreate and enhance such spaces. Enhancement of diversity in different spaces should be seen as a larger policy objective. And in this context, while SRCs can be the core element for defining diversity, in specific contexts (say employment and education), gender should also be included. The challenge is to develop an index o diversity that is transparent and easy to implement.

Linking Incentives to Diversity

The idea of providing certain incentives to a 'diversity index' should be explored. Admittedly, this is a complex proposition but if a transparent and acceptable method to measure diversity can be developed, a wide variety of incentives can be linked to this index so as to ensure equal opportunity to all SRCs in the areas of education, government & private employment and housing. The diversity principle which entails equity is to be applied not only between the majority and minorities but also between minorities so that the truly disadvantaged can and should benefit. Given an acceptable diversity index, policies can provide for :

- Incentives in the form of larger grants to those educational institutions that have higher diversity and are able to sustain it. These incentives can apply to both colleges and universities, both in the public and the private sector.
- Incentives to private sector to encourage diversity in the work force.

While such initiatives should be part of the corporate social responsibility, some affirmative action may help initiate this process.

- Incentives to builders for housing complexes that have more 'diverse' resident populations to promote 'composite living spaces' of SRCs.

Facilitate Creation of Common Public Spaces

Most poor children do not have access to parks, libraries and even study spaces within their own houses. Such spaces can enhance interaction among SRCs and also provide the much needed fillip to educational initiatives; such spaces can be used by the community or civil society to organize remedial classes, reading rooms and other constructive initiatives. The State should encourage such initiatives in mixed localities and across neighbourhoods so that children belonging to different SRCs can interact and at the same time pursue studies. These spaces can also be used for interaction and constructive activities among adults of different SRCs. Such initiatives are essentially a domain of civil society but mechanisms to encourage such activities through provision of unused/vacant municipal premises/land etc. can be quite useful.2 Part of the funds earmarked for the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission(JNNURM) can be used for this purpose.

2. One such experiment with community participation is being successfully run in parts of Gujarat by the Society for Promotion of Rational Thinking (SPRAT).

Sensitization-Related Initiatives

In order to respect and sustain diversity in the development and implementation of innovative programmes or in the provision of services, the relevant functionaries should be sensitive to the need to have diversity and the problems associated with social exclusion. It is important to sensitize state and other functionaries on these issues. A large scale programme for sensitization of various staff members, especially those who come in public contact on a regular basis is desirable, with a focus on health personnel, teachers, police and other security personnel.

3. Specific Policy Initiatives

While the initiatives discussed in Section 2 would provide a broad thrust to diversity, equity and inclusiveness, specific policy interventions in the areas of education, employment, credit etc. will also be required to complement them. Two points need to be emphasized at the outset. One, the policy measures suggested below and outlined above will have a better impact if they are adopted together and not in a piecemeal manner. Two, there is a need to focus more sharply on issues relating to women in each of the initiatives discussed in this section.

3.1 Criticality of Education

Access to education is critical for benefiting from emerging opportunities that are accompanied by economic growth. The report brings out clearly the educational deprivation experienced by the Muslim community. From lower levels of enrollment to a sharp decline in participation in higher levels of education, the situation of Indian Muslims is indeed very depressing as compared to most other SRCs; in fact their situation seems to have worsened in relative terms. And the problem is more acute for girls/women. Reasons for this are varied - ranging from poverty to perceived discrimination resulting in alienating school environment. While the overall situation remains bad, the enrolment rates of Muslims have picked up in recent years and the policies should help sustain the momentum that can get created through this change. Our analysis also shows that the major problems lie in school education; the likelihood of Muslim children completing school education is significantly lower than other SRCs, except SCs/STs, once factors like household expenditure, place of residence, gender etc. are controlled for. Once the "hurdle" of school education is crossed, the differences across most SRCs in the likelihood of completing graduate studies narrow down and are at times not very significant. Therefore, a sharper focus on school education is desirable.

Free and compulsory education up to the age of 14 is the responsibility of the State. And the fulfillment of this obligation is critical for the improvements in the educational conditions of Muslims, in fact, of all socio-economically deprived children. In addition, a sharper focus on a few areas listed below is desirable.

परि० 12

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत कवर किए गए राज्य/जिला-वार ब्लॉकों और शहरों की सूची।

क्रम सं.	राज्य	जिला	जिला एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
1.	बिहार	**पश्चिमी चम्पारण**	मैनाटांड	
			नरकटियागंज	
			लौरिया	
			सिक्टा	
		सीतामढ़ी	बैरगनिया	
			बोखारा	
			परीहार	
			राजपट्टी	
			पुप्री	
			नानपुर	
		मधुबनी	कलुवाही	
			मधुबनी	
			बिस्फी	
				मधुबनी (एम)
		सुपौल	बसंतपुर	
				सुपौल (एम)
		अररीया	नरपतगंज	
			रानीगंज	
			फारबीसगंज	

		किशनगंज	अररीया सिक्टी पलासी जोकिहट टेड़ागाछी दिघलबैंक ठाकुरगंज पोठिया बहादुरगंज कोचाधामिन किशनगंज	
		पूर्णिया	कृत्यानंद नगर पूर्णिया ईस्ट कस्बा श्रीनगर जलालगढ़ अमौर बैसा बैसी डगरूआ	
		कटिहार	कस्बा फाल्का कोरहा हुसैनगंज कदवा	

			बलरामपुर	
			बरसोई	
			आजमनगर	
			प्राणपुर	
			कटिहार	
			मानसाही	
			बरारी	
			मनिहारी	
			अम्दाबाद	
		दरभंगा	दरभंगा	
			मनीगाछी	
			अलीनगर	
			हयाघट	
			जाले	
			सिंघवारा	
			कोतिरानवेय	
			किरतपुर	
			गोरा बैराम	
		गोपालगंज	उचकागांव	
			माझां	
			थावे	
		सिवान	हसनपुरा	
			हुसैनगंज	
			बरहारिय	

				सिवान (एम)
		भागलपुर	सोनहौला	
			जगदीशपुर	
				भागलपुर (एम कोर्प)
		बांका	धुरैया	
		वैशाली	चेहराकलाँ	
		समस्तीपुर	ताजपुर	
		पूर्वी चम्पारण	अदापुर	
			रामगढ़वा	
			बंजारिया	
			नरकटिया	
			ढाका	
		नालंदा		बिहार शरीफ (एम)
		पटना		फुलवारी शरिफ (एनए)
		रोहतास		सासाराम (एम)
		नवादा		नवादा (एम)
	उप-योग	20	75	8

परि० 13

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की जिलावार आबादी का ब्योरा

No.	District	Headquarters	Population (2001)	Muslim Population	Percentage
1	Kishanganj	Kishanganj	1296348	1011151	78%
2	Katihar	Katihar	2392638	1017495	43%
3	Araria	Araria	215608	887972	41%
4	Purnia	Purnia	2543942	935239	37%
5	Darbhanga	Darbhanga	3295789	748971	23%
6	Sitamarhi	Sitamarhi	2682720	568992	21%
7	West Champaran	Bettiah	3043466	646597	21%
8	East Champaran	Motihari	3939773	755005	19%
9	Bhagalpur	Bhagalpur	2423172	423246	18%
10	Madhubani	Madhubani	3575281	641579	18%
11	Siwan	Siwan	2714349	494176	18%
12	Gopalganj	Gopalganj	2152638	367219	17%
13	Supaul	Supaul	1732578	302120	17%
14	Sheohar	Sheohar	515961	80076	16%
15	Muzaffarpur	Muzaffarpur	3746714	573951	15%
16	Saharsa	Saharsa	1508182	217922	14%
17	Begusarai	Begusarai	2349366	313713	13%

18	Banka	Banka	1608773	190015	12%
19	Gaya	Gaya	3473428	403439	12%
20	Jamui	Jamui	1398796	170334	12%
21	Nawada	Nawada	1809696	204457	11%
22	Madhepura	Madhepura	1526646	173605	11%
23	Aurangabad	Aurangabad	2013055	221436	11%
24	Kaimur	Bhabua	1289074	123048	10%
25	Khagaria	Khagaria	1280354	131441	10%
26	Rohtas	Sasaram	2450748	246760	10%
27	Samastipur	Samastipur	3394793	355897	10%
28	Saran	Chhapra	3248701	337767	10%
29	Vaishali	Hajipur	2718421	259158	10%
30	Jehanabad	Jehanabad	1514315	124149	8%
31	Munger	Munger	1137797	89791	8%
32	Patna	Patna	4718592	366164	8%
33	Bhojpur	Arrah	2243144	163193	7%
34	Nalanda	Bihar Sharif	2370528	176871	7%
35	Sheikhpura	Sheikhpura	525502	37755	7%
36	Buxar	Buxar	1402396	86382	6%
37	Lakhisarai	Lakhisarai	802225	35378	4%

बिहार सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन

वक्फ (बिहार संशोधन) विधेयक, 2006

(बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित)

बिहार राज्य में इसके उपयोजन हेतु वक अधिनियम, 1995 (अधिनियम 43/1995) को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

(1) यह अधिनियम वक्फ (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम 43, 1995 में एक नयी धारा ''85क'' का जोड़ा जाना - 1995 का अधिनियम, 43 में धारा 85 के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा ''85क'' जोड़ी जाएगी।

''85क'' लंबित मामलों का अन्तरण - (1) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व तथा इस अधिनियम (43, 1995) के प्रारंभ की तारीख के बाद, किसी न्यायालय में लंबित कोई वाद या अन्य कार्यवाही, जिसका वाद हेतुक ऐसे तथ्यों पर आधारित हो कि यदि न्यायाधिकरण का गठन हुआ रहता तो उस न्यायाधिकरण की अधिकारिता में होती, न्यायाधिकरण के गठन की तारीख को, उस न्यायाधिकरण को अंतरित समझी जायेगी।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय से न्यायाधिकरण को अंतरित समझी गयी हो वहाँ-

(क) ऐसा अन्तरण हो जाने के बाद, न्यायालय, यथाशीध्र, ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही का अभिलेख न्यायाधिकरण को अंतरित कर देगा,

(ख) ऐसे अभिलेखों से प्राप्त हो जाने पर, न्यायाधिकरण ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही पर, जहाँ तक हो सके, उसी रीति से कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा जिस रीति से इस अधिनियम की धारा-83 की उप-धारा (2) के अधीन किए गए आवेदन पर की जाती हो और उस स्तर से कार्यवाही कर सकेगा जिस स्तर तक उक्त न्यायालय के समक्ष पहुँच गई थी या किसी पूर्व स्तर से या नए सिरे से कार्यवाही कर सकेगा, जैसा वह ठीक और उचित समझे।

बि०स०मु० (एल० ए०) 65 - मोनी एल-50-6

शाहिद अली खान
माननीय मंत्री

नौशाद अहमद
अध्यक्ष

पद्मश्री सुधा वर्गीज
उपाध्यक्ष

सरदार चरण सिंह
उपाध्यक्ष

प्रहलाद कुमार सरकार
सदस्य

टी.बी.एस. जैन
सदस्य

जहीर मलमली
सदस्य

मो० लियाकत अली मंसूरी
सदस्य

डा० इस्लाम राही
सदस्य

मो० शमशाद आलम
उर्फ शमशाद साईं
अधिवक्ता
सदस्य

मो० अब्दुल्लाह
सदस्य

डा० मंसूर अहमद एजाज़ी
सदस्य सचिव

मो० फारूकुज्जमाँ
मीडिया प्रभारी

मुमताज अहमद
लोक सूचना पदाधिकारी